खण्ड-228, अंक-4
गुरूवार, 8 चैत्र, शक संवत् 1884
(29 मार्च, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 228 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय					पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	..	..	..	१२९–१३३
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	..	..	..	..	१३३
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें	..	..	..	..	१३४
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	..	..	..	..	१३४–१९५

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २९ मार्च, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—४२१

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार, श्री
अवधेशप्रताप श्री, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छ्न्न गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथ बहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केशरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री

गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री (वाराणसी)
गयाप्रसाद, श्री (सीतापुर)
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्ता, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगन्नाथ, श्री (जौनपुर)
जगन्नाथ, श्री (बलिया)
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह श्री

जमीलुर्रहमान, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जिया उर्रहमान, श्री (उपनाम बबकन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटझिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम, श्री
नत्थूराम, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)

नरेन्द्रसिंह, श्री (पिथौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पाताराम, श्री
पितई, श्री
पीतमसिंह, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
वंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री (इटावा)
बद्रीप्रसाद, श्री (फतेहपुर)
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषण शरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री (आगरा)
भगवानदास, श्री (मिर्जापुर)
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री

मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (ललन जी)
योगेश्वरप्रसाद खांडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रनबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप , श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, श्री राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री

विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, श्री कुंवर
श्रीराम, श्री (उन्नाव)
श्रीराम, श्री (बिजनौर)
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (झाटवा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुबेदारसिंह, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री अध्यक्ष––पूर्व इसके कि आज की कार्यवाही प्रारम्भ हो, एक महिला सदस्या शपथ लेने के लिये आयी हुई हैं। श्रीमती किश्वर आरा बेगम शपथ लेंगी।

(श्रीमती किश्वर आरा बेगम ने शपथ ग्रहण की।)

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---आज दो सूचनायें नियम ५२ के अन्तर्गत मुझे मिली हैं। एक तो माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने दी है और दूसरी श्री नरसिंह नारायण जी ने।

श्री चन्द्रजीत यादव जी की सूचना के सम्बन्ध में, मेरा मत है कि इसमें बहुत से तथ्य समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर आधारित हैं। ऐसी अवस्था में, मैं समझता हूं कि यह विषय अल्पसूचित प्रश्नों के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। तदनन्तर, यदि माननीय सदस्य को संतोष न हो सके तो विचार कर लिया जायगा और पुनः ऐसी सूचना दी जा सकती है। अतः वर्तमान स्थिति में मैं यह सूचना स्वीकार करने में असमर्थ रहा हूं।

दूसरा श्री नरसिंह नारायण जी का नियम ५२ के अन्तर्गत एक नोटिस है। मेरा इस सम्बन्ध में भी मत है कि कल भी उन्होंने इस सम्बन्ध में कार्य-स्थगन का प्रस्ताव भेजा था और आज भी भेजा है। जितना समय इस सम्बन्ध में वह दे रहे हैं अगर कल ही अल्पसूचित प्रश्न की सूचना दे दिये होते तो तीन दिन के अन्दर ये सब बातें साफ हो जातीं।

इसके अतिरिक्त मैं समझता हूं कि यह सूचना बहुत कुछ अस्पष्ट है। "लाखों मन गन्ना पड़ा हुआ है और सूख रहा है" ये सब बातें अल्पसूचित प्रश्नों द्वारा सुनिश्चित हो सकती हैं और इस सूचना के सम्बन्ध में भी मेरा वही मत है जो मैं अभी आदरणीय सदन के समक्ष निवेदन कर चुका हूं। तो वर्तमान स्थिति में आज की ये दोनों सूचनायें अस्वीकृत हुईं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव---(क्रमागत*)

श्री अध्यक्ष---अब आपके सामने मैं श्री जगदीशशरण अग्रवाल द्वारा धन्यवाद का प्रस्ताव जो प्रस्तुत हुआ है .....

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---इसके पूर्व मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---अभी कार्यवाही प्रारम्भ हुई है और व्यवस्था का प्रश्न तो जो कार्यवाही हो रही हो उसी के सम्बन्ध में उठ सकता है। जो कार्यवाही अभी तक शुरू नहीं हुई है उसके सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। अगर कार्यवाही के अतिरिक्त कोई व्यवस्था का प्रश्न हो तो, वह कदाचित् हम और आप बैठ कर उसके ऊपर विचार-विनिमय कर सकते हैं। सदन में उसे प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा---मैं निवेदन कर रहा था उस नियम ५२के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिसके सम्बन्ध में आपने निर्णय न देकर यह कहा कि अल्पसूचित प्रश्न हो सकता है उसके सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियम ३० के अन्तर्गत यह है कि अल्पसूचित प्रश्न दिया जायगा और उसे आप जब स्वीकार कर लेंगे तो उसे माननीय मंत्रीजी के पास भेज दिया जायगा तीन दिन के अन्दर और माननीय मंत्री जी तैयार हैं या नहीं, इसकी आपको सूचना देंगे। उसके बाद अगर तैयार हैं तो वह सूची में आ जायगा। बहुधा होता यह है कि .....

श्री अध्यक्ष---मैं समझ गया। आप तशरीफ रखिये। अगर आप अल्पसूचित प्रश्न देते हैं और मंत्री महोदय उसका उत्तर नहीं देते हैं या उत्तर देने में संकोच करते हैं तब फिर हमें विचार करना पड़ेगा कि हम कौन-सा मार्ग अपनायें। तो जब वह स्थिति आये तब हम और आप बातें कर लेंगे।

श्री नेकराम शर्मा---अगर आप सुन लेते तो मेरा स्पष्टीकरण हो जाता। आप मेरी बात सुन लीजिये। जब माननीय अध्यक्ष ने अल्प सूचित प्रश्न की स्वीकृति दे दी। इसका मतलब यह है

---

*२८ मार्च, १९६२ की कार्यवाही से।

कि माननीय अध्यक्ष ने महत्व को समझा। लेकिन उसके बाद जब मंत्री जी को वह भेजा गया तो मंत्री जी ने इतना समय लगा कर उत्तर दिया कि उस प्रश्न का महत्व समाप्त हो जाता है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैंने कहा है कि इस सम्बन्ध में अल्पसूचित प्रश्न हो सकता है। जब वह आयेगा तो उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जब महामहिम राज्यपाल के भाषण के संबंध में सोशलिस्ट सदस्यों ने वाक आउट किया था और दूसरे पहर आपने उसके ऊपर मद्रास की प्रक्रिया नियमावली का हवाला देते हुए कहा था कि इस प्रक्रिया नियमावली के सम्बन्ध में हमारे सदन में विचार होना चाहिये और ऐसे मामले भी प्रिविलेजेज के मामले होते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसी मद्रास की असेम्बली में गवर्नर के भाषण पर वाक आउट हुआ है।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करें। यह प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। मैं आप से कल कह चुका हूं और आज भी कहता हूं कि जो व्यवस्था मैंने दी है उस सम्बन्ध में अगर कोई बातचीत करना चाहता है तो मुझसे कर सकता है वह सदन का विषय नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण---मान्यवर, चूंकि इस सदन में उस बात की बहुत चर्चा हुई और उस तरफ के लोगों ने चर्चा की इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि यह बात साफ हो जाय, क्योंकि यह संसदीय परम्परा के लिये बहुत आवश्यक बात है....

श्री अध्यक्ष---मैं आपसे कह चुका हूं। चर्चा हुई या नहीं, उस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ रहा है। न होना चाहिये और न हो सकता है। आप आसन ग्रहण करें। जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसके ऊपर बहस प्रारम्भ होगी।

***श्री लालबहादुर** (जिला वाराणसी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैंने राज्यपाल का अभिभाषण भी पढ़ा और जो संशोधनकर्त्ता लोगों ने संशोधन किये हैं उनको भी पढ़ा। मैं खासकर सोशलिस्ट पार्टी के लोगों से निवेदन करूंगा कि राज्यपाल ने उनकी जो सबसे बड़ी मांग थी उसको तो मान लिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सन् १९६५ में सारा सरकारी कार्य हिन्दी में होने लगेगा। मेरी समझ में नहीं आया कि इसके बावजूद भी सोशलिस्ट पार्टी ने क्यों वाक आउट किया। उनकी सब से बड़ी मांग यही थी जिसके लिये उन्होंने कुछ आन्दोलन भी किया था। आज भी जगह-जगह पर सड़कों पर जो अंग्रेजी में नम्बर लिखे हुये हैं उनको काले से मिटाया गया।

जो और बातें संशोधनों में कही गयी हैं उसमें करीब-करीब सभी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा है कि आम चुनाव में सरकारी पक्ष का बड़ा समर्थन किया गया। अगर ऐसा हुआ होता तो क्या यह जरूरी था कि १८२ लोग उधर आ कर बैठ जाते। विदेशों में खासकर के उन देशों में जो सोशलिस्ट पैटर्न पर सरकारें चला रहे हैं जरा रूस का कांस्टीट्यूशन उठा कर आप देखें तो वहां किसी को जो कम्युनिस्ट या बोल्शेविक पार्टी का मेम्बर न हो वोट देने का हक नहीं है। लेकिन हमारे यहां, मैं तो यहां तक कहूंगा कि विरोधियों की दुहाई पर हमारे कांग्रेसी उम्मीदवार दबाये गये हैं और मैं स्वयं उसका एक शिकार हुआ हूं। यहां तो सभी को कहने और बोलने की स्वतंत्रता है, जिस तरह से चाहा प्रस्ताव रख दिया, जो चाहा कह लिया, लेकिन वास्तविकता देखी जाय तो हम जो कांग्रेसी लोग हैं वे दबाये गये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लालबहादुर]

और बातें जो संशोधनों में कही गयी हैं वे आपस में ही एक दूसरे की विरोधी हैं। उसी प्रस्ताव में कहा जाता है कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया नहीं गया और चीनी का दाम घटाया नहीं गया। पता नहीं कामर्स का साधारण नियम भी छोड़ देते हैं। अगर उत्पादन पर किसी चीज का मूल्य कम किया जायगा तो जिससे वह चीज पैदा होती है उसका भी दाम कम होगा। गन्ने का मूल्य अगर बढ़ेगा तो चीनी का दाम ख्वामख्वाह बढ़ेगा। यह भी कई माननीय सदस्यों ने रखा है कि जिनके १० बीघे के खाते हैं उनकी मालगुजारी माफ कर दी जाय। हम नहीं जानते हैं कि उन्होंने इस चीज पर अच्छी तरह से गौर किया है या नहीं। हमारे प्रदेश में और खास तौर से पूर्वी जिलों में ऐसे कितने खाते हैं। अगर दस बीघे वाले खातों की मालगुजारी माफ कर दी जाय तो कितने खाते बचेंगे जिन पर लगान लिया जाय। इससे एक बड़ी विषमता पैदा हो जायगी। क्या आप चाहते हैं कि राज्य में एक झंझट पैदा हो जाय जबकि यहां पर शान्तिपूर्वक गवर्नमेन्ट चल रही है। अगर दस बीघे वालों की मालगुजारी माफ कर दी जाय तो सवा दस और साढ़े दस बीघे वालों की क्यों न माफ की जाय? तो मैं कहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने जो अपने अभिभाषण में कहा है वह वाजिब है।

हमारी तीसरी योजना को प्रारम्भ हुये एक साल व्यतीत हो चुका है और किस तेजी से हमारा देश उन्नति कर रहा है, उसके बारे में जो फारेनर्स आते हैं उनसे मालूम करें तो पता चलेगा। यही दशा है जैसे कोई नाव पर चलता है तो उसे नाव खड़ी मालूम होती है और दूर से खड़े होने वाला समझता है कि नाव चल रही है। अंग्रेजों के जमाने में आपने और हमने जो लड़ाई लड़ी थी उस समय क्या हालत थी? आज क्या वही हालत है?

एक चीज मैं और निवेदन कर दूं कि इस चुनाव में जो अभी हुआ है दो ताकतें बड़े जोरों से बढ़ी हैं। एक तो सामन्तशाही लोगों की और दूसरी रिलीजस माइंडेड लोगों की। जो गलत नारे लगाते थे। जनसंघ की ओर से तमाम जगह प्रचार किया गया कि गौ हत्या की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। यही सदन है जिसमें माननीय खेर साहब की अध्यक्षता में गौ हत्या निषेध का कानून पास किया गया था और इन्हीं की अध्यक्षता में हर पार्टी के लोगों ने मिल कर कंडक्ट रूल्स बनाये थे कि किस तरह से इलेक्शन में प्रचार होगा। लेकिन न जाने क्या क्या प्रचार किया गया। आज सामन्तशाही लोग चाहते हैं कि दुनिया आगे चल रही है तो सामन्तशाही जो कि खत्म हो गई है उसे फिर से उभाड़ा जाय लेकिन एक चीज मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग यह सोचते हैं कि सामन्तशाही को पनपा देंगे वे गलतफहमी में हैं। अब जनता काफी जागरूक हो चुकी है। आपने देखा है कि किस तरह की चीज इस इलेक्शन में हुई है। चाहे इधर के लोग हों या उधर के हों, बड़े-बड़े नेताओं के परास्त होने में देर नहीं लगी। जनता समझती है कि वास्तविकता क्या है? टेम्पोरेरी फेज से काम नहीं चलने वाला है। सामन्तशाही और रिलीजस माइंडेड लोगों की आज विक्टरी नहीं हो सकती है, वे सरकार में नहीं जा सकते हैं। आज जनता को यह मालूम है कि सरकार किस के हाथ में सुरक्षित है।

करीब-करीब जितने अमेंडमेन्ट मूव किये गये है उनमें एक बात की शिकायत की गई है कि मंत्रिमंडल का बहुत बड़ा विस्तार हो गया है। मुझे एक कहावत याद आ जाती है कि 'काजी जी दुबले क्यों, शहर के अंदेशे से'। आप क्यों परेशान हैं? मंत्रिमंडल बनाने वाले लोग समझेंगे, आपको क्या परेशानी है। (व्यवधान) जी हां, ठेकेदारी मिली है।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री लालबहादुर—मन्त्रिमण्डल बनाने की जिन पर जिम्मेदारियां हैं, वह खुद समझते हैं कि हमें कितना बड़ा या छोटा मन्त्रिमण्डल बनाना चाहिये। मन्त्रिमण्डल बड़ा बना लेने से या छोटा बना लेने से गवर्नमेंट की एफीशियेंसी में कोई खास अन्तर नहीं आता। कांग्रेस पार्टी एक सिद्धान्त के ऊपर, एक विचारधारा के ऊपर, गवर्नमेंट को रन कर रही है। यहां तो ऐसे लोग भी आते हैं जो संविधान को भी चैलेंज करने लगते हैं। मिनिस्ट्री बढ़ाने

और न बढ़ाने को चैलेंज करना कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा कि जनता के साथ खिलवाड़ न करें। जिस जनता के प्रतिनिधि हो कर यहां आये हैं उसको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दें।

संशोधनों में कई जगह कहा गया है कि लेबर का कानून नहीं बना। अंग्रेजों के जमाने में लोगों ने देखा होगा कि यहां क्या लेबर कानून था। आज इतनी बड़ी-बड़ी लेबर ट्राइबुनल्स हैं। कई लोगों का यह निश्चित मत है कि लेबर ट्राइबुनल्स बना कर बहुत सा खर्चा कर दिया जाता है। लेबर के झगड़ों को पहले एस० डी० ओ० और सिटी मैजिस्ट्रेट निपटाते थे लेकिन आज लेबर के झगड़ों की अपीलेट अथारिटी कई ट्राइबुनल्स बना दी गई हैं। उनमें कुछ पब्लिक के नुमाइन्दे और कुछ रिटायर्ड सर्वेन्ट्स रखे जाते हैं।

गवर्नर महोदय ने जो ४ सौ करोड़ या कितने करोड़ की योजना थर्ड फाइव इयर प्लान में रखी है उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पीने के पानी के कुयें चाहे वह पर्वतीय क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो, बनाये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष---समय समाप्त।

श्री मैनेजर (जिला बलिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के सिलसिले में, जो धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय जगदीशनारायण अग्रवाल जी ने रखा है उसके सिलसिले में माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं भी जगदीश शरण शरण जी के साथ राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन यह चाहता हूं कि जो संशोधन माननीय गेंदासिंह जी ने प्रस्तुत किया है उसे भी स्वीकार कर लिया जाय। मुझे महामान्य राज्यपाल को धन्यवाद देने में कोई हिचक नहीं है। मैं तो उस राजनीति नियन्ता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने एक ही डीलडौल के राज्यपाल और मुख्य मन्त्री हमारे प्रदेश में मुबारक किये हैं।

मान्यवर, आप जानते ही हैं कि इस सदन में मुख्य मन्त्री द्वारा बराबर यह घोषणा की गई कि गुप्त मन्त्रिमण्डल इस प्रदेश में किफायतशारी की योजना लागू करेगा। हमने देखा कि सहायक उप विद्यालय निरीक्षकों के चपरासियों के पद तोड़ दिये गये और चन्द महीने के अन्दर प्रत्येक जिले में एक उप विद्यालय निरीक्षक का पद बढ़ा दिया गया। तो यह सरकार छोटे कर्मचारियों के पद को समाप्त करती है और नये-नये बड़ी तनख्वाह के पदों का सृजन करती है। यही नहीं हमने देखा कि इस आम चुनाव के बाद जो मन्त्रिमण्डल का गठन हुआ उसका विरोध प्रत्येक वर्ग ने किया गया। कांग्रेस की आपसी गुटबन्दी को ठीक रखने के लिये मन्त्रिमण्डल का इतने व्यापक स्तर पर संगठन किया गया है, हर ग्रुप को, हर कोने को प्रतिनिधत्व देने की कोशिश की गई है। यही नहीं, मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने अभी भी कहा है कि यह प्रक्रिया मन्त्रिमण्डल के विस्तार की अभी जारी है। इसलिये हमारे कई एक साथी कल जब धन्यवाद के पक्ष में बोलने के लिये खड़े हुये तो उन्होंने बहुत तैश में उसका समर्थन किया। हमारे माननीय जे० बी० मिश्र, माननीय हरीसिंह वगैरह शायद वे भी इसके उम्मीदवार हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से व्यापक मन्त्रिमण्डल के नाम पर इतने बड़े मन्त्रिपरिषद् का बोझ जनता के ऊपर लादा गया है यह अन्याय है और जनता के साथ गुनाह है। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, चुनाव में ईमानदारी की बात कही गई। अभी माननीय लालबहादुर सिंह जी ने कहा कि यदि ईमानदारी न बरती गई होती तो यह १८० यहां दिखलाई नहीं पड़ते। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर बेईमानी न बरती गई होती तो यह सफेद टोपी एक भी यहां दिखाई नहीं पड़ती और इस प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत स्थापित नहीं होती। मान्यवर, मैं पूछना चाहूंगा माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से कि जौनपुर के चुनाव में या लखनऊ शहर के चुनाव में कितना पैसा व्यय हुआ? क्या जो इसकी हद-बन्दी है ६ हजार रुपये की, उसके अन्दर व्यय हुआ? क्या इतनी ईमानदारी हमारे माननीय

[श्री मैनेजर]

मुख्य मन्त्री और मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों में है कि वे यह कह सकें कि हां ९ हजार के अन्दर या उससे ज्यादा व्यय हुआ है ? लाखों रुपया व्यय करके और सरकारी साधनों का दुरुपयोग करके यहां बहुमत में आये हैं और कहते हैं कि हम यहां निष्पक्षता से आये हैं। मान्यवर, कल हमारे एक साथी ने, कांग्रेस के एक भाई ने कहा कि हमारी इस सरकार की उदारता की वजह से गरीब मतदाता रोक दिये गये हैं और जमीन्दार ताल्लुकेदार आ गये हैं। क्या यह उदारता का लक्षण है या (आपकी) अकर्मण्यता का लक्षण है, आपकी नालायकी का लक्षण है, यह मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं। स्वयं कांग्रेस के लोग इसको स्वीकार करते हैं कि इस प्रदेश में गरीब मतदाता रोक दिये गये हैं लाठी के बल से या धमकी वगैरह के बल से। लाठी और धमकी का प्रयोग कांग्रेस के लोग ज्यादा कर सकते हैं। मैं भी इस बात को पसन्द नहीं करता कि हमारे इस माननीय सदन में ताल्लुकेदार या पुराने राजे महाराजे अधिक संख्या में आयें। लेकिन इनको लाने का श्रेय किसको है ? मान्यवर, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के कुकर्मों की वजह से यह हमारे ताल्लुकेदार और राजे महाराजे इस सदन में आये हैं। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं अपने कांग्रेस के भाइयों से कि वह अपनी इस नीति का परित्याग करें। पहले जमाने में जब जमीन्दारी और ताल्लुकेदारी थी तो लगान साल दो साल बाद भी किसान दे देते थे या कहीं दही और लौकी वगैरह देने से भी काम चल जाता था। लेकिन आज इस सरकार के कर्मचारी दही, लौकी और पैसे वगैरह तो लेते ही हैं, उसके साथ ही साथ तहसीलदार और एस० डी० ओ० ब्लैंक वारन्ट अमीन के हाथ में दे देते हैं जिसमें कि वह जिसको चाहे पकड़ लेते हैं और इस तरह से रोजाना पैसे की लूट मची हुई है। किसान परेशान हैं लगान की इस वसूली और बढ़ोत्तरी की वजह से। तो इससे जनता यह महसूस करती है कि ताल्लुकेदारों और जमीन्दारों के जमाने में हम ज्यादा आराम से थे बनिस्बत इस कांग्रेसी हुकूमत के। तो आपके इन कुकर्मों और कारनामों की वजह से जमीन्दारों और ताल्लुकेदारों को इस जमाने में पनपने का मौका मिल रहा है। इसलिये, मैं आपके द्वारा मन्त्रिपरिषद के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि वह मन्त्रिमण्डल में इसके ऊपर विचार करें और इसका निराकरण करें।

चुनाव में हमारे जिले में पुलिस की मदद ली गई। सरकारी जो कर्मचारी थे, उनकी मदद ली गई और ४०० के करीब अन्ट्रेन्ड अध्यापक नियुक्त किये गये। कांग्रेस के उम्मीदवारों ने ब्लैंक नियुक्ति पत्र लेकर देहात का दौरा किया और जिसको चाहा नियुक्ति पत्र दे दिया और कहा कि जाकर एलेक्शन में काम करो। परिषद् एवं फेडरेशन की जीपें कांग्रेस उम्मीदवारों की ओर से दौड़ रही थीं। तो मैं आपके द्वारा यह उनसे कहना चाहता हूं कि यह गलतबयानी छोड़ें और कथनी और करनी में समानता लायें, तभी देश का भला हो सकेगा।

अभी एक माननीय सदस्य जे० बी० मिश्र ने कहा कि प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के सिलसिले में व्यापक मन्त्रिमण्डल का गठन हुआ है। मुझे खेद है कि हमारे आदरणीय सदन के उधर के दोस्त विकेन्द्रीकरण की व्याख्या को नहीं समझते हैं। उधर सरकारी बेंचों पर श्री फूलसिंह जी भी विद्यमान हैं। जिनकी विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में पूरी आस्था है। मैं चाहता हूं उनसे इस विषय को वे जानें और पढ़ें। मुझे इस बात की शिकायत है कि इस प्रदेश के अन्दर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रदेश के अन्दर, मैं चाहता हूं कि प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मैं यह देखता हूं कि प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के विरुद्ध जिलों के अन्दर कार्यवाही चल रही है। अभी यहां पर जो जिला परिषद् विधेयक स्वीकृत किया गया था उसके अन्दर ऐसी धारा है जिन में पंचायत के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। समिति के बारे में यह किया गया है कि जिला स्तर पर जो नियोजन समिति का गठन किया गया है, जिसके ऊपर के जिले के नियोजन का सारा भार है उस समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा कुल सरकारी अधिकारी जिले के अन्दर रख दिये गये हैं। उसके लिये कहा यह जाता है कि नियोजन

की सारी जिम्मेदारी हमने जन प्रतिनिधियों के हाथ में दी है। यह बिलकुल झूठ है और बेबुनियाद है। आप इस बात को देख सकते हैं कि उस जिला परिषद् विधेयक में जन प्रतिनिधियों के हाथ में इस सरकार ने क्या अधिकार दिये हैं।

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस बलिया के इलाके से मैं आया हूं वह सारा बाढ़ का इलाका है, जहां पर लोग बाढ़ से परेशान रहते हैं। उस इलाके के पूर्वी अंचल का तो यह हाल है कि वहां हजारों हरिजन परिवार साल भर से सड़कों के ऊपर झोपड़ी डालकर पड़े हुये हैं। हमारे जिले के प्रश्न को यह सरकार हल करने में सदा अकर्मण्य रही है। आज हजारों परिवार के लोग बेघरबार होकर पड़े हुये हैं। उनकी मुसीबत पूछने वाला कोई नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उस तरफ ध्यान देने की कृपा की जाय और इस समस्या को हल किया जाय।

इसके साथ ही बलिया और बिहार के बार्डर का प्रश्न भी बहुत दिनों से उठाया जा रहा है.....

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया।

(श्री होतीलाल अग्रवाल का नाम पुकारने के उपरान्त)

मैं किसी माननीय सदस्य के भाषण में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता। मैं केवल इतना निवेदन जरूर करूंगा कि यदि वह किसी विशेष संशोधन के समर्थन में खड़े हुये हैं, या कि अमक व्यक्ति के संशोधन के समर्थन में, तो अधिक अच्छा हो, कि उस संशोधन की जो बातें हैं, उन्हीं के सम्बन्ध में वह कहें। या फिर, कोई और बात, अगर किसी तरह से कहना भी चाहें तो उसका सम्बन्ध राज्यपाल महोदय के भाषण से हो। जो बात किसी संशोधन में नहीं कही गई है लेकिन अपने भाषण में कहना चाहते हैं, तो उस सम्बन्ध में वह कहें कि जो बातें माननीय राज्यपाल के भाषण में कही गई हैं उनके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इसका ध्यान रखा जाय, ताकि ऐसा न हो कि जो बातें न तो सम्बोधन में कही गई हैं और न किसी संशोधन में हैं, और न प्रस्ताव में हैं, लेकिन उस पर भाषण हो रहा है। तो इतना ही मुझे निवेदन करना था।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---कृपया आप बैठें। मैंने तो स्थिति को स्पष्ट किया है।

श्री नेकराम शर्मा---कल आपने यह कहा था कि जो माननीय सदस्य संशोधन देना चाहें उनको देने की आवश्यकता नहीं है। वह इस पर बोल सकते हैं। जितने संशोधन रखे गये हैं वह अपना भाषण उन पर दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---मैंने क्या कहा, उसको आपने सुना नहीं। मैंने यह कहा कि अगर कोई माननीय सदस्य यह कहते हैं कि अमुक संशोधन के समर्थन में बोल रहा हूं तो वह उस संशोधन पर ही अपने को कन्फाइण्ड रखें। या यह कहें कि राज्यपाल महोदय ने जो कहा है उस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चहाता हूं तो उसी पर अपने विचार प्रकट करें। जिस संशोधन के समर्थन में वह खड़े होते हैं उसी पर उनको बोलना पड़ेगा, यह चीज मैंने कही थी।

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)---अध्यक्ष महोदय, मैं जगदीशशरण जी अग्रवाल के प्रस्ताव के पक्ष में और जितने यहां उसके विरुद्ध संशोधन पेश हुये हैं उनके विरोध में अपनी बातें कहना चाहता हूं। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को भी पढ़ा और दोनों तरफ से जो बहस हुई, उसको भी गौर से सुना। तीन बातों पर दोनों ओर से खासतौर पर जोर दिया गया है। उसमें पहली बात यह है कि लगान बहुत ज्यादा है, आबपाशी बहुत ज्यादा है और टैक्सों का बोझ किसानों पर इतना ज्यादा है कि किसान बराबर गरीब होता

[श्री होतीलाल अग्रवाल]

चला जा रहा है । यह स्लोगन है जिससे यह मालूम पड़ता है कि लोग केवल वोट के लिये बात करते हैं । जो देश की भलाई की बात है उसका कुछ ख्याल नहीं करते । जहां तक मुझे अनुभव है, मैं हजारों ही गांवों में गया हूं और वहां की हालत देखी है । हमारे किसानों की हालत में बड़ी तब्दीली जरूर हुई है । यह मैं नहीं कहता कि वे बड़े मालदार हो गये हैं और उनकी गरीबी मिट गयी है या उनकी तरक्की की ओर कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं यह अवश्य कहता हूं कि १५–२० वर्ष पहले किसानों की जो हालत थी उस से आज उनकी हालत अच्छी ही है । किसी भी गांव में चलकर देखा जाय तो फौरन पता चल जायगा । एक न एक बात से पता चल जायगा, उनके खाने-पहिनने, उनकी साइकिलों या उनके अन्य सामान से पता चल जायगा और वहां पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा चीज मिलेगी और चारों तरफ गांव में दो चार किसानों के पक्के मकान बनते हुये दिखायी देंगे । तो ऐसी सूरत में यह कहना कि उनकी हालत खराब है और पहले से ज्यादा खराब है, मैं नहीं समझता कि कहां तक ठीक है और ऐसा कहने मात्र से कैसे उनकी हालत अच्छी हो जायगी । मैं मानता हूं कि उनकी हालत में और तरक्की करने की जरूरत है, लेकिन यह कहना कि उनकी हालत खराब है गलत है ।

कहा गया कि लगान में कमी नहीं की गयी और वह ज्यादा बढ़ा दिया गया है तथा आबपाशी बढ़ती चली जा रही है । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि लगान का आधार हमेशा खेत की पैदावार पर हुआ करता है । खेत की पैदावार के एक हिस्से का जो मूल्य होता है वह लगान हुआ करता है और मनुस्मृति में, कौटिल्य अर्थशास्त्र में, सभी जगह लगान का आधार पैदावार को ही माना गया है । मनुस्मृति में और कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताया गया है कि उस समय जो लगान का रेट था वह पैदावार का १/६ था । इसी तरह से बादशाह अकबर के जमाने में, आइने अकबरी से पता चलता है कि, खेत की पैदावार का १/४ भाग लगान हुआ करता था.....

एक सदस्य––सेल्स टैक्स भी लगता था ।

श्री होतीलाल अग्रवाल––सेल्स टैक्स की बात आगे आयेगी ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि उस वक्त आइने अकबरी के हिसाब से लगान पैदावार का एक चौथाई भाग होता था । अंग्रेजी राज में इस से भी ज्यादा लगान था । जब गल्ला सस्ता था, १९३२ या १९३३ की बात है, जब गेहूं का भाव १५ या १६ सेर का था उस समय किसानों पर लगान का असहनीय बोझ था । उस वक्त पैदावार का आधा हिस्सा लगान में चला जाता था और आधा उसे बच रहता था । उसके बाद बड़ा एजीटेशन हुआ, लगान में कमी हुई और फिर वही लगान आज तक चला आता है हालांकि गल्ले का भाव बहुत बढ़ गया है । १५ सेर जब गल्ले का भाव था तब भी एक बीघे का एक रुपया लगान का पड़ता था और आज भी वही लगता है । हांलाकि गेहूं १५ सेर के बजाय ढाई सेर का बिकता है और किसान को एक रुपये की जगह उसके ६ रुपये मिलते हैं । क्या यह सही नहीं है कि आज पैदावार का ज्यादा से ज्यादा २५वां हिस्सा किसान को लगान का देना पड़ता है और बाकी किसान के घर में रहता है । वास्तविक मूल्य अगर देखा जाय तो वास्तव में आज रुपये का जो मूल्य है घटकर ३ आना या ४ आना के बराबर रह गया है । उसके अनुसार लगान बहुत कम है और उस हिसाब से जो लगान १५ साल पहले था आज उसका पांचवा या छठां हिस्सा ही है । तो उस पांचवें या छठें हिस्से को यह कहना कि लगान पहले से बढ़ गया है ठीक बात नहीं है ।

इसी तरह आबपाशी को भी अगर आप देखें उसका रेट भी बढ़ा नहीं है । इसी तरह से सेल्सटैक्स वगैरह की बात आती है सेल्सटैक्स एक नया टैक्स जरूर है लेकिन उसके बारे में भी अगर देखा जाय तो मेरा निश्चित मत है कि उसका बोझ किसान पर बहुत कम है । गांव की बनी चीजों पर कोई सेल्सटैक्स नहीं है और जो है वह बहुत कम पड़ता है ।

अध्यक्ष महोदय, तो यह हालत है किसानों की। हम चाहते हैं कि उनकी हालत में सुधार हो और उसके लिये बराबर प्रयत्न भी हो रहे हैं। मैं इटावा का रहने वाला हूं और वहां पर जो महेवा स्कीम चली उससे किसानों को बहुत फायदा हुआ। वहां पर अगर एक मटर के बीज को ही ले लें तो पता चलेगा कि उससे उपज दुगुनी और तिगुनी हो गई। धान के बीज से भी इसी तरह से काफी तरक्की हुई। लेकिन इतनी तरक्की होने के बाद भी किसानों की हालत सुधारने की आवश्यकता है और मेरा विश्वास है कि उसके लिये हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है।

दूसरी बात चुनाव के बारे में कही गयी। यह कहा गया कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से नहीं हुये। यह भी कहा गया कि पक्षपात हुआ। शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव न होने के दो उदाहरण भी दिये गये, एक हरदोई का और दूसरा बलरामपुर का। इन जगहों पर कुछ दुर्घटनायें हुईं यह मैं मानता हूं, लेकिन केवल इन दो दुर्घटनाओं के कारण उसको ऐसा कहना ठीक नहीं है। निष्पक्ष और शान्तिपूर्ण दोनों शब्द रिलेटिव (अपेक्षाकृत) है और इसमें देखना यह है कि अगर केवल इन्हीं दो जगहों पर चुनाव होते तब तो यह कहना ठीक होता कि चुनाव शान्तिपूर्ण और निष्पक्ष नहीं हुये, लेकिन अगर आप इसके विस्तार को देखें और यह देखें कि करीब ४० हजार बूथ्स थे, २० हजार जगहों पर चुनाव हुये और हर जगह करीब-करीब दो-दो हजार-तीन-तीन हजार लोग इकट्ठे हुये थे, जो अपने अपने उम्मीदवारों को विजयी बनाने में लगे हुये थे और उसके लिये उनमें एक तनाव था। तो ऐसी सूरत में २० हजार जगहों में से अगर २जगहों पर झगड़े हो भी गये तो उसके लिये यह कहना कि वे शान्तिपूर्ण नहीं हुये ठीक नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि यहां पर चुनाव जितने शान्तिपूर्ण ढंग से हुये उतने शायद ही कहीं किसी मुल्क में हुये हों। न उधर के बैठने वालों की, न इधर के बैठने वालों की राय काम देगी, काम बाहर के लोगों की राय देगी और यह बाहर के लोगों का कहना है कि हमारे यहां चुनाव बिलकुल निष्पक्ष और शान्तिपूर्ण हुये हैं। बाहर के लोगों ने काफी प्रशंसा हमारे चुनाव की की है।

आपने देखा कि हमारे कर्मचारियों ने कितनी मुस्तैदी के साथ काम किया। लेकिन फिर भी आप उन पर लांछन लगाते हैं कि कांग्रेस की माफकत की। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर वाकई ऐसी बात थी तो जिस वक्त ऐसा किया गया तो क्या आप लोगों ने शिकायत की? एक दो शिकायत की गयी होगी, क्योंकि वास्तव में शिकायतें थीं ही नहीं। ये तो राजनीतिक तरीके से बनायी गयी हैं।

तीसरी बात यह कही गयी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। मैं मानता हूं कि मंत्रियों की तादाद पहले से कहीं ज्यादा है, लेकिन जो पहले मंत्रिमंडल बना था उसमें २४ मिनिस्टर और ३ पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी थे और आज ३१ मिनिस्टर और १२ पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी हैं। पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज बढ़ने से कोई ज्यादा खर्चा नहीं पड़ता और मिनिस्टरों में ७ का फर्क है। जिस प्रदेश में साढ़े सात करोड़ सज्जन रहते हों उसके लिये जरूरत थी कि थके हुये दिमाग से काम करने के बजाय फ्रेश दिमाग से काम किया जाय ताकि ज्यादा काम हो सके।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

(उपनेता स्वतंत्र दल, श्री भानुप्रताप सिंह से) मुझे मालूम हुआ है कि नेता स्वतंत्र पार्टी माननीय राघवेन्द्र प्रताप नहीं बोलेंगे, तो उनका समय आपको दिया जायगा।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कल इस सदन के समक्ष अपने संशोधन का प्रस्ताव रखा था, उसी के समर्थन में, आपकी अनुमति से, कुछ बातें कहना चाहता हूं। श्रीमन्, मैंने परसों महामान्य राज्यपाल के भाषण को बहुत ही ध्यान-पूर्वक और श्रद्धापूर्वक सुना। मैं बराबर इस बात की खोज में रहा कि कहीं भी किसानों के लिये कोई आशा की किरण उसमें दिखाई दे, परन्तु मुझे खेद है कि उसमें मुझे कोई ऐसी बात न दिखाई दी जिससे यह समझा जा सके कि किसानों के दिन आने वाले समय में बदलने वाले हैं। श्रीमन्, राज्यपाल महोदय लगभग एक घंटे तक बोलते रहे। उस एक घंटे के समय में उन्होंने

[श्री भानु प्रताप सिंह]

मुश्किल से ५-६ मिनट ग्रामीण तथा कृषि के विषय में बातें कहीं, बाकी उनका समय औद्योगीकरण, विद्युतीकरण, यातायात के साधनों का प्रबन्ध तथा कोयला इत्यादि के डिपो खोलने के विषय पर लगा। उनका भाषण सुन कर ऐसा लगा कि वह उत्तर प्रदेश जो एक कृषि प्रधान प्रदेश है उसके राज्यपाल नहीं हैं, बल्कि एक औद्योगिक देश के प्रमुख की हैसियत से भाषण कर रहे थे। मैं नहीं कहता कि औद्योगीकरण न हो, या उन बातों का प्रबन्ध न हो जिनका अधिक विवरण दिया गया है, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि कृषि की अवहेलना करके केवल औद्योगीकरण का भरोसा करके इस प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती। कम से कम अगले ५० वर्षों तक यह आशा करना कि केवल औद्योगीकरण से इस प्रदेश की गरीबी, बेरोजगारी दूर हो सकेगी, यह अपने आप को धोखे में रखना है।

श्रीमन्, सरकार के पास प्रचार के अधिक साधन हैं। अभी कल एक शासक दल के सदस्य ने कहा कि गांव वालों की हालत बहुत सुधर गयी है। आज भी एक महोदय ने कहा कि गांव वालों की उन्नति बहुत हुई। कल तो यहां तक कहा गया कि इतनी उन्नति हुई है, गांव वालों की दशा में इतना सुधार हुआ है कि जमीन आसमान का अन्तर हो गया है, चौगुनी, तिगुनी पैदावार बढ़ गयी है। मैं ऐसी भाषा समझने में असमर्थ हूं क्योंकि उन्हीं की सरकार द्वारा प्रकाशित एक बुलेटिन निकलता है, जिसको "मंथली बुलेटिन आफ स्टैटिस्टिक्स" कहते हैं। उसके आंकड़ों को यदि हम देखें तो १९४८-४९ की तुलना में १९६०-६१ में ग्रामीण निवासियों की आमदनी प्रति व्यक्ति बढ़ने के बजाय घटी है। १९४८-४९ में प्रति व्यक्ति आय १९६ रुपये थी जो कि १९५९-६० में घटकर १९१ रुपये रह गई यानी ५ रुपये प्रति व्यक्ति गिरावट आई। जिस विभाग की यह पत्रिका है उस विभाग के वह शासक हैं। तो फिर या तो इस विभाग को जो इस तरह के आसक आंकड़े प्रकाशित करता है उसको विघटित कर दें या फिर इन आंकड़ों को सरकार सत्य माने और उन्हीं के अनुसार अपनी बातें कहे। श्रीमन्, सम्भव है कि ५ रुपये की कमी कोई बहुत बड़ी कमी न मानी जाती हो, यदि देहात में रहने वालों के साथ-साथ शहर वालों की आमदनी भी घटी होती तो यह पांच रुपये की कमी कोई विशेष चिन्ता का विषय न समझी जाती लेकिन जिस अवधि में गांव वालों की आमदनी घटी है उसी अवधि में शहर वालों की आमदनी काफी बढ़ी है। १९४८-४९ में नगर निवासियों की आमदनी जब एक रुपया होती थी तो उसकी तुलना में देहात में ३५ नये पैसे हो जाया करती थी। लेकिन आज यह अवस्था है कि शहर के रहने वालों की आमदनी जब १ रुपया होती है तो गांव वालों की उनकी तुलना में २८ नये पैसे होती है। आज यह स्थिति है गांव वालों की, जिस पर शासक दल को अभिमान है।

कहा गया है कि राज्यपाल महोदय के भाषण में कृषि उत्पादन में काफी उन्नति हुई है और उसके कारण भावों को ठीक रखने में सहायता मिली है। श्रीमन्, मैं यह आंकड़े भी प्रस्तुत करना चाहता हूं कि १९५०-५१ में ११५.९ लाख टन खाद्यान्न इस प्रदेश में पैदा हुए और उस समय प्रदेश की आबादी सवा ६ करोड़ थी। १९६०-६१ में जब कि आबादी ७ १/३ करोड़ हो गई तो खाद्यान्न १३५ लाख टन हुई। यदि आप हिसाब जोड़ें तो प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ हुई थी उसकी तुलना में घटी है, एक छटांक भी बढ़ी नहीं है। क्या यह संतोष का विषय है कि हम अपनी आबादी के अनुपात में भी कृषि उत्पादन को नहीं बढ़ा पा रहे हैं? कहा गया है कि भावों पर नियन्त्रण रखने में हम सफल हुये हैं यदि सरकार भावों को नियंत्रण रखने के लिये स्वयं श्रेय न लेकर अमरीका और दूसरे विदेशी देशों को श्रेय देती, जिनका अन्न बाहर से मंगाकर हम अपना पेट पाल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह अधिक ईमानदारी की बात होती। हमारे लिये यह शर्म की बात है, और सरकार के लिये यह शर्म की बात है कि प्रति दिन इस देश में लगभग ५० लाख रुपये का अन्न मंगाया जाता है। यह है कृषि उत्पादन और कृषि उन्नति का दृष्य जो मैंने आपके सामने रखा।

वर्तमान सरकार अपने को समाजवादी बतलाती है। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि इस सरकार ने समाज के सबसे पिछड़े हुये वर्ग के साथ कैसा व्यवहार किया है। वह वर्ग है खेतिहर

मजदूरों का । भारत सरकार ने दो कृषक मजदूर जांच समितियां नियुक्त की थीं जिनसे पता चलता है कि खेतिहर मजदूरों की दैनिक आमदनी घटी है, बेरोजगारी बढ़ी है और उनके ऊपर कर्जे का बोझ बढ़ा है। कैसा है यह समाजवाद और कैसी हैं यह योजनायें कि देहात में रहने वाले ८३ प्रतिशत व्यक्तियों की आर्थिक दशा गिरती जा रही है, खेतिहर मजदूरों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उनकी आमदनी घटती जा रही है और उन पर कर्जा बढ़ता जा रहा है और कृषि उत्पादन में प्रति व्यक्ति उत्पादन गिरता जा रहा है । श्रीमन्, हमारे प्रदेश की कृषि की अवनति का मुख्य कारण यह है कि यहां किसानों के साथ बहुत दिनों से इंसाफ नहीं हुआ है और दुःख है कि आज भी नहीं हो रहा है । जिस समय हमारे देश में अंग्रेज थे तो यहां जमींदारी प्रथा थी। इससे तो किसी प्रकार किसानों को मुक्ति मिली लेकिन आज भी मूल्य का शोषण किसानों पर हो रहा है ।

श्रीमन्, किसानों को इसकी चिन्ता नहीं है कि उनको उनके एक बोरा चावल या एक बोरा गेंहूं का मूल्य कितना मिलता है लेकिन उनको चिन्ता इस बात की है कि खाद्यान्न को बेचकर जो वस्तुयें वे पहले मोल ले सकते थे उससे अधिक ले सकते हैं अथवा कम । जितना मूल्य कृषि वस्तुओं का बढ़ता है उससे अधिक औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य बढ़ता जाता है । कृषि वस्तुओं और औद्योगिक वस्तुओं के एक अनुपात में बढ़ने को समता का सिद्धान्त कहा गया है। उसी सिद्धान्त के अनुसार कृषि वस्तुओं का मूल्य हमारे प्रदेश में निर्धारित होना चाहिये । कायदा यह है कि पहले उन वस्तुओं का जो किसान के प्रयोग में आती हैं, सूचकांक निकाला जाता है और फिर कृषि वस्तुओं का सूचकांक निकाला जाता है । इस प्रकार यदि औद्योगिक वस्तुओं का सूचकांक मान लिया १०० है तो इसके अनुपात में कृषि का सूचकांक अगर कम होता है तो उतनी ही कृषकों की हकतलफी होती है और जितना अधिक होता है उतना ही किसानों का लाभ होता है ।

अब इस बारे में बुलेटिन आफ स्टेटिस्टिक्स में जो कृषि समता सूचकांक के आंकड़े दिये हुये हैं, उनको अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से पिछले ३-४ वर्षों में किसानों की हकतलफी हुई है । १९५८ में यह ९९.४ था जो समता की स्थिति के बिलकुल पास ही था और उससे मालूम होता था कि किसानों के साथ न्याय हो रहा था । १९५९ में यह ९४.५ हो गया, १९६० में ८४.३ रह गया और १९६१ में वह ७९.१ ही रह गया । इससे यह स्पष्ट हो गया है कि औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य निरन्तर बढ़ रहा है जो हमारे ग्रामीणों की दुर्दशा का कारण हो रहा है । बावजूद इसके कि दो-दो योजनायें बनीं और कृषि के उत्पादन में वृद्धि भी हुई लेकिन किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी । इसका एक मात्र कारण यही है कि जितनी पैदावार बढ़ती है उतना ही कृषि की पैदावार का मूल्य घट जाता है और उस बढ़ी हुई पैदावार का लाभ किसानों को न मिल कर दूसरे वर्ग को मिल जाता है और समता से किसानों को बहुत कम मूल्य मिलता है । इस समता से कम मूल्य मिलने पर किसानों को कितना नुकसान होता है कि इसका कुछ अनुमान मैं आपको करा देना चाहता हूं । मैं इसके सारे हिसाब को प्रस्तुत करके माननीय सदस्यों को उबा देना नहीं चाहता परन्तु यदि वे थोड़े धीरज के साथ मुझे सुनने का प्रयत्न करें तो मैं उनको यह बताउंगा कि इस प्रदेश में लगभग १ हजार करोड़ रुपये के मूल्य की कृषि वस्तुओं की बिक्री होती है। उत्पादित वस्तुओं में से ३० प्रतिशत बाजार में बिकती हैं और ७० प्रतिशत किसानों द्वारा ही प्रयोग में ले आयी जाती हैं । इसलिये सिर्फ ३०० करोड़ रुपये के मूल्य की कृषि उपज ही बिकती है । किसानों को यह जो मूल्य मिला है वह केवल ७९ प्रतिशत समता पर ही मिला है, यानी ३०० करोड़ रुपये के बजाय उनको ३७५ करोड़ रुपया मिलना चाहिये था । इसका अर्थ यह होता है कि समता से कम मूल्य मिलने के कारण उसको ७५ करोड़ रुपये का नुकसान होता है ।

[श्री भानुप्रतापसिंह]

हमारे शासक दल क कई सदस्य कह चुके हैं कि गांव की उन्नति के लिये तो हम करोड़ों और अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामोत्थान के लिये जो धनराशि व्यय होने वाली है वह केवल ४०–४२ करोड़ रुपया प्रति वर्ष है। एक तरफ से आप ४०–४२ करोड़ रुपये की धनराशि व्यय करके यह आशा करते हैं कि ग्रामीणों की दशा सुधर जायगी, पर दूसरी तरफ मूल्यों के आधार पर ७५ करोड़ रुपये का उनका शोषण करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि आप शोषण करते हैं बल्कि सरकारी व्यवस्था की वजह से यह शोषण हो रहा है। जब तक उस शोषण को बन्द नहीं किया जायगा, तब तक किसानों की हालत में कोई सुधार होने वाला नहीं है।

इस मूल्य का कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है वह भी मैं आपको बतला देना चाहता हूं। केवल यह सोचना कि किसानों की हकतलफी हो गयी तो हो गयी, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसका बहुत बुरा असर पड़ता है और यह देश के हित में नहीं है। किसानों को जब उचित मूल्य नहीं मिलेगा, उनकी खेती-बारी लाभप्रद नहीं रह जायगी तो कोई भी खेती में पूंजी लगाना पसन्द नहीं करेगा। जितनी ही कम पूंजी लगेगी, खेती के उत्पादन में उतनी ही गिरावट आयेगी और किसान बेचारा कहीं का नहीं रह जायगा।

संभव है यह कहा जाय कि किसानों को पूंजी लगाने के लिये काफी कर्जा दिया जाता है। यह बात ठीक है कि कर्जा दिया जाता है लेकिन उन कर्जों को वापस करने के योग्य भी तो किसानों को बनाया जाना चाहिये। मैं तो कहता हूं कि किसानों को कर्जा देना भी एक तरह से उनको धोखा देने के बराबर है क्योंकि मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पूर्व जब खेतों में गेहूं की फसल खड़ी ही थी, उसी समय भारत सरकार ने यह घोषणा की कि गेहूं १३ रुपये मन के हिसाब से खरीदा जायगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस १३ रुपये मन का औचित्य क्या है? इसी सदन में भूतपूर्व कृषि मंत्री से पूछा गया था कि सरकारी फार्मों में गेहूं पैदा करने में कितना खर्च आता है, तो उत्तर मिला था १४ रुपये ५ आने मन। जब सरकार अपने कृषि फार्म पर ही १४ रुपये ५ आने मन गेहूं पैदा करे और वह १३ रुपये मन पर किसानों का गेहूं खरीदने की योजना बनावे, यह कितना न्यायोचित है, यह मैं माननीय सदस्य-गण पर ही छोड़ता हूं।

खेती एक बहुत ही खतरे का पेशा है। किसान अच्छी खाद दे, अच्छा बीज दे और खेती संबंधी सब काम परिश्रम से करे, फिर भी ओला पड़ सकता है, बाढ़ आ सकती है, सूखा पड़ सकता है, हजारों किस्म की बीमारियां व कीड़े-मकोड़े खेती का सत्यानाश कर सकते हैं और करते हैं। ऐसी स्थिति में अपने देश के तथा विदेश के कृषि विशेषज्ञों ने भी इस बात को माना है कि कृषि में तभी कोई पूंजी लगा सकता है जब उसे आश्वासन हो कि एक रुपये की पूंजी लगाने पर उसे कम से कम दो रुपये की आमदनी होगी। श्रीमन्, मैं आपके सामने इस १३ रुपये मन गेहूं खरीदने के बारे में जरा और विस्तार से बतलाना चाहता हूं। एक पौंड नाइट्रोजन खाद के रूप में देने से ७ पौंड गेंहूं की वृद्धि होती है। १३ रुपये मन के हिसाब से ७ पौंड गेहूं का मूल्य लगभग एक रुपया होता है जबकि एक पौंड नाइट्रोजन का मूल्य भी एक रुपया ही होता है। ऐसी अवस्था में कौन ऐसा मूर्ख किसान होगा जो रासायनिक खाद खरीद कर खेतों में देगा और फिर १३ रुपये मन पर गेहूं बेचेगा। इसके बजाय तो वह एक रुपया अपना बचा लेना ही बुद्धिमानी समझेगा और कम पैदावार ही लेना पसन्द करेगा। यही सब कारण हैं जिससे हमारे देश की यह गिरी हुई अवस्था है। हम जापानी ढंग से धान बोने की बात करते हैं, चीनी ढंग से कृषि संगठन की बात करते हैं लेकिन अपने यहां की अच्छी बातों का अनुकरण नहीं करना चाहते हैं। . . .

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, मुझे तो २० मिनट मिले थे।

श्री अध्यक्ष---२० मिनट खत्म होने को हैं, आप देख ल । अब केवल दो मिनट शेष हैं ।

श्री भानुप्रतापसिंह---श्रीमन्, मुझे ५ मिनट और दे दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, ५ मिनट आप और ले लें ।

श्री भानुप्रतापसिंह---खैर, इन सब विषयों पर मुझे बोलने का फिर अवसर मिलेगा । मैं सिर्फ दो-एक बातें अपने समाजवादी भाइयों से जिन्होंने स्वतन्त्र पार्टी की कटु आलोचना की थी, उन से कहना चाहता हूं । मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा क्योंकि आगे अनेक अवसर आयेंगे लेकिन समाजवाद को इतना पुनीत शब्द बनाया गया है कि जो भी उसकी आलोचना करते हैं उनको सामन्तवादी या प्रतिक्रियावादी आदि नई-नई प्रकार की गालियों से पुरस्कृत किया जाता है । मैं और ज्यादा न कहकर केवल इतना कहूंगा और अपने समाजवादी मित्रों का ध्यान दिलाऊंगा कि महात्मा गांधी के जीवन भर इन लोगों ने इस बात के लिये कोशिश की कि वह भी समाजवादी हो जायं लेकिन महात्मा गांधी ने समाजवाद को स्वीकार करने से सदैव इन्कार किया और कभी उसको स्वीकार नहीं किया । क्या वह भी सामन्तवादी थे या प्रतिक्रियावादी थे ? मैं पूछना चाहता हूं कि इंगलैंड, अमरीका, जापान आदि देशों के लोग क्या सभी सामन्तवादी या प्रतिक्रियावादी हैं ? इन सब बातों पर विचार करने की आवश्यकता है । ऐसी संकीर्ण विचारधारा से जो विरोध करे और दूसरों को सामन्तवादी या प्रतिक्रियावादी कहे तो यह कोई अच्छी बात नहीं है, इससे तो वर्गसंघर्ष ही पैदा होगा और कोई अच्छा परिणाम या लाभ होने वाला नहीं है ।

कल हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के मित्र माननीय चन्द्रजीत यादव ने यहां एक बात कही थी । यद्यपि मैं कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत सी बातों से सहमत नहीं हूं लेकिन उनकी एक बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं । उन्होंने कहा था कि यदि देश में सचमुच समाजवाद लाना है तो यहां की शासन प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने पड़ेंगे, विधान में आमूल परिवर्तन करने होंगे और प्रजातन्त्र के ढंग में भी आमूल परिवर्तन करने होंगे । मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं और मैं इस बात को अपने समाजवादी मित्रों से चेतावनी के रूप में कहता हूं कि अगर समाजवाद लाना है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करना है जो रूस और चीन ने प्राप्त किये हैं तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है । आमूल परिवर्तन तभी हो सकता है जब हम जनतंत्र की प्रणाली को ही बदल दें । आप देखें कि रूस में भी चुनाव हुआ, वहां भी १,८०० डिप्टी खड़े थे । वहां पर एक भी विरोधी दल का डिप्टी नहीं था जब कि ९९.१० प्रतिशत वोट पड़े थे । अगर आमूल परिवर्तन से हमारे कम्युनिस्ट भाई का यही मतलब है तो मैं कहूंगा कि उस के लिये यह देश तैयार नहीं है और ऐसा परिवर्तन इस देश में होने वाला नहीं है ।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामान्य राज्यपाल जी के संबोधन के संबंध में जो प्रस्ताव आया है उसके अनुमोदन के लिये खड़ी हुई हूं । मैं समझती हूं कि माननीय राज्यपाल ने अपने संबोधन में सर्वप्रथम इस चुनाव में निष्पक्षता के साथ कार्य करने के लिये राज्य कर्मचारियों को बधाई दी है । यह बहुत ही उचित बात है । मेरी समझ से हमने जो यह तीसरा चुनाव लड़ा है और जिस के द्वारा हमारे देश में प्रजातन्त्र की बुनियाद और मजबूत हुई है, जिस तत्परता और निष्पक्षता के साथ राज्य कर्मचारियों और अफसरों ने अपने कर्त्तव्य को पूरा किया है और निभाया है और जिस पालिसी को हमारी सरकार बरतने जा रही है उसको अक्षरशः निभाने का प्रयत्न इन कर्मचारियों ने किया, उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं और इसका उल्लेख राज्यपाल ने अपने भाषण में करके उनके उत्साह को बढ़ाया है और उनकी उचित प्रशंसा की है । यह कहना कि इस चुनाव में कर्मचारियों पर विशेष दबाव डाला गया और पक्षपातपूर्ण नीति को अपनाया गया, मैं समझती हूं यह बातें विरोधी दल ने ऐसे ही कह दीं जिसकी गहराई में यदि वे जायं तो वे स्वयं समझेंगे कि कहने के लिये ही उन्होंने ऐसा कहा है । जो चुनाव के परिणाम हैं वे इस बात के ज्वलंत उदाहरण हैं

[श्रीमती राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

कि यदि इस तरह का पक्षपात किया जाता तो इस तरह के परिणाम न होते जो आज हमार सामने हैं। हमें इस बात का पूर्ण अनुभव है कि इस तरह की पक्षपात की बात इस प्रदेश और हमारे नगर में नहीं की गई।

जो यह कहा जाता है कि बहुत जगह अशांति और झगड़े हुये, इतने बड़े चुनाव में जो दुनिया का बहुत बड़ा चुनाव माना जाता है जिसमें इतने अधिक मतदाता हैं यदि १,२ जगह इस तरह की बातें हो जाती हैं तो इसके माने यह नहीं होते कि सारे चुनाव पर ऐसी बात आ जाती है। कर्मचारी वर्ग के ऊपर जो आक्षेप लगाया जाता है मैं तो समझती हूं कि यह बात ठीक नहीं क्योंकि एक अच्छी शुद्ध परम्परा कायम रखने के लिये यह आवश्यक है कि कर्मचारियों को इस तरह की बातों में न घसीटा जाय। विरोधी दल के लोगों को इस बात को मान लेना चाहिये कि यदि कांग्रेस की सरकार ने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोई बहुत बड़ी चीज हिन्दुस्तान को दी है तो वह है देश के अन्दर प्रजातन्त्र की नींव को मजबूत करना और इस तरह का विधान देना जिसको हमारी पार्लियामेंट ने बनाया था, उसको कार्यान्वित करना। यदि हमें डर होता तो हम ऐसे चुनावों को टाल सकते थे। लेकिन हमने इस की परवाह नहीं की। हमें विश्वास है कि जनमत और बहुमत हमारे साथ है इसीलिये हम चुनाव समय से कराने पर तैयार रहे।

महामना राज्यपाल ने अपने भाषण में मूल्य संबंधी और कृषि संबंधी बातें कहीं। उनके संबंध में हमारे विरोधी दल के नेताओं ने यह कहा कि जहां एक ओर राज्यपाल ने गन्ने की कीमत बढ़ाने की बात नहीं कही वहां दूसरी तरफ चीनी की दर घटाने की बात भी नहीं कही। मेरी समझ में नहीं आता दोनों विरोधी बातें कैसे हो सकती हैं। एक ओर कहते हैं गन्ने की कीमत को बढ़ाइये और दूसरी ओर कहते हैं चीनी की कीमत को घटाइये, यह कैसे संभव हो सकता है? एक ओर कहते हैं सरकार बहुत अधिक दाम बढ़ा रही है, दूसरी तरफ कहते हैं कि अनाज की कीमत को बढ़ाइये। हमारा प्रदेश जो कृषि प्रधान है इसमें यदि आज सरकार की यह नीति है कि हम अनाज की कीमत घटने न दें, जिसकी वजह से शहर के चन्द लोग परेशान हैं, तो उससे हमारे ऊपर आक्षेप नहीं आना चाहिये। आज सरकार की यह सफलता है कि हमने पिछले वर्षों में प्राइस को बढ़ने नहीं दिया है। कभी किसी महीने में अगर प्राइस इंडेक्स यह बताता है कुछ डसीमल पाइंट बढ़ गया है तो इसके यह माने नहीं होते कि हमारी सरकार ने प्राइसेज को बढ़ा दिया है। बल्कि अगर पिछले सालों के आंकड़ों को देखा जाय तो यह कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी सफलता सरकार की इस बात में रही है कि मूल्य बढ़े नहीं हैं तथा प्राइस स्टेबिलिटी की जो हमारी नीति रही है उसमें हम काफी कामयाब रहे हैं।

आज जब हमारा देश प्रगति कर रहा है तथा राज्यपाल ने तृतीय योजना के अन्तर्गत जिन-जिन बातों का उल्लेख किया है जिसके आधार पर हम तृतीय योजना के अन्तर्गत अपने प्रान्त की आर्थिक तरक्की करने जा रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूं। मैं समझती हूं कि सहकारिता संबंधी जिस नीति का उल्लेख महामना राज्यपाल ने आपने भाषण में किया है वह बहुत ही समयानुकूल है और यदि हम अपने देश की आर्थिक हालत को आमूल सुधारना चाहते हैं तो उसके लिये जरूरी है कि जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं उनकी माली हालत सुधरे। छोटे-छोटे काश्तकारों की माली हालत सुधारने का एक ही उपाय है कि सहकारिता के आधार पर उन्हें संघटित किया जाय। सहकारिता के आधार पर संघटित करने के लिये सहकारिता संबंधी अनुदानों में परिवर्तन करने के लिये जो विधान हमारा आने वाला है जिसका संकेत महामना राज्यपाल ने किया है उसका भी मैं स्वागत करती हूं।

मैं यह समझती हूं कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये उपाय यह है कि हमारे प्रदेश में नये-नये उद्योग धन्धे खुलें। नये-नये उद्योग धन्धों को खुलने के लिये देश को टेक्निकल एजूकेशन की आवश्यकता है। इंजीनियरिंग कालेजेज की आवश्यकता है और जिन बातों की

आवश्यकता है उनकी ओर भी महामना राज्यपाल ने संकेत किया है और उसका भी मैं स्वागत करती हूं ।

मैं यह समझती हूं कि महामना राज्यपाल ने जो शिक्षा के रिआरियेंटेशन की बात कही है वह अच्छी बात है लेकिन उसमें मेरा सुझाव एक यह है कि उसमें माध्यमिक शिक्षा तथा विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा की उन्नति की बात कही गयी है । इसके साथ-साथ मैं यह समझती हूं कि इस बात की भी आवश्यकता है कि प्राइमरी स्टेज की शिक्षा का भी हम रिआरियेंटेशन करें । (लाल बत्ती होने पर) समय हो चुका है इसलिये मैं एक बार पुनः इस प्रस्ताव का अनुमोदन करती हूं जो राज्यपाल महोदय के संबोधन के समर्थन में रखा गया है ।

*श्री रामचरन शाह (जिला खीरी)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण में जो कमियां रह गयी हैं जिनके संबंध में हमारे विरोधी दल के नेता श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे जी ने संशोधन के रूप में प्रस्ताव रखा है उसी के बारे मुझे कुछ कहना है । महामहिम राज्यपाल के भाषण में जो यह आया है कि चुनाव निष्पक्ष हुए हैं उसके बारे में सरकारी पक्ष के लोगों ने इस बात की कटु आलोचना की है कि विरोधी पक्ष के लोग जो कहते हैं वह नितान्त अनर्गल बातें कहते हैं । मुझे इस संबंध में गोंडा की मतगणना की ओर आपका ध्यान दिलाना है । दोबारा जब रिकाउंटिंग कराई गई उसके बारे में किसे दोषी ठहराया गया ? या तो पहले के चुनाव के परिणाम जो घोषित नहीं किये गये थे वह ठीक थे जिसमें एक पक्ष विजयी हुआ था या रिकाउंटिंग होने पर जो रिजल्ट निकला जिसके फलस्वरूप दूसरा पक्ष विजयी हुआ वह ठीक था । इससे सिद्ध होता है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ियां अवश्य हुईं ।

इसके अतिरिक्त हमारे निघासन क्षेत्र में कांग्रेस की तरफ से प्रचार करने के लिये जितनी भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मशीनरी थी उसका खुल कर प्रयोग किया गया और सभी सरकारी अधिकारियों ने भी उसमें भाग लिया है जिसके कि मेरे पास कुछ सबूत भी हैं । उसी अवसर पर हमारे दोस्तों ने मुझ पर भी हमला करवाया था पलिया पुलिस स्टेशन के सामने । कुछ सरदारों को शराब पिला कर हमारी जीप को भी तुड़वाया गया और जीप हमारी चूर चूर हो गयी थी । मैं उस समय उसमें नहीं था, अगर होता तो मेरी जान के भी लाले पड़ जाते । डी० एम० तथा अन्य अधिकारियों को भी मैंने तार दिया, लेकिन उस पर क्या हुआ आज तक पता नहीं चल सका । कल कहा था कि अगर कोई ऐसे वाकयात हुये हैं तो उनको अदालत में भेजना चाहिये । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैंने पुलिस में रिपोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कहा, परन्तु उस पर किया क्या गया ? दूसरा हमला मुझ पर मुहम्मदी क्षेत्र में किया गया । मैं भाषण दे रहा था कि कुछ हमारे साथियों ने पत्थर चलवाये । उसकी भी रिपोर्ट मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को फ़ोन पर की, पुलिस को भी की, पुलिस का दरोगा वहां मौजूद था, पहले तो वह रिपोर्ट ही नहीं लिख रहा था फिर ढाई घंटे के बाद रिपोर्ट लिखी । इस प्रकार सरकार ने अपने कुछ अधिकारियों को आदेश दे रखे हैं । मैं यह नहीं कहता कि सभी को आदेश दिये हैं, कुछ को दिये होंगे, परन्तु मैं यह अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल ने अपने संबोधन में लगान कम करने की कोई बात नहीं कही वैसे कांग्रेस घोषणा-पत्र में देखा जाय तो जब आजादी प्राप्त नहीं हुई थी तब उसने घोषणा की थी कि जब कांग्रेस स्वतंत्रता प्राप्त करेगी और जमींदारी विनाश कानून पास करेगी तो लगान कम कर दिया जायगा या खत्म कर दिया जायगा, परन्तु मैं देखता हूं कि लगान कम करने के बजाय सन् १९५४ और ५५ की रिपोर्ट से मालूम होता है कि कांग्रेस की सरकार जो पहले मालगुजारी के रूप में ७ करोड़ कुछ रुपया वसूल करती थी वह आज २२ करोड़ रुपया उन्हीं किसानों से वसूल कर रही है । जो १५ करोड़ रुपया किसानों को लाभ होना चाहिये था उसकी जगह उनको दो पैसे की भी छूट नहीं दी गयी, बल्कि उल्टे उन पर २ आने रुपया और बढ़ा दिया गया । इसके अलावा अधिवासी के रूप में सात गुना वसूल कर के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामचरन शाह]

दूना लगान बांध दिया जाता है । चाहिये तो यह था कि किसानों को लाभ पहुंचता । जमींदारी खत्म होने के बाद जो १५ करोड़ रुपया बचा उसमें से कुछ खर्चे के रूप में ले कर बाकी रुपया किसानों के बीच में वितरित कर देते, जिससे उनमें पैदावार बढ़ाने की रुचि बढ़ती ।

इसके अलावा हम देखें कि सरकार ने जो सहकारी कृषि की बात कही है इससे यहां के किसान तबाह हो जायेंगे । आज जो सहकारी खेती के रूप में कार्य हो रहा है उससे मैंने यही देखा है कि प्लान और प्रैक्टिकल में बहुत अन्तर है। सहकारिता तो वहां चल सकती है जहां बराबरी की बात हो । हम देखते हैं कि किसानों के ऊपर कोआपरेटिव का कर्जा इतना ज्यादा हो गया है कि लोग अपने घर के बैल वगैरह कुर्की करा कर भी उसे अदा नहीं कर पाते हैं । किसान आज सहकारी खेती के लिये तैयार नहीं है और भारत में यह चल भी नहीं सकती । यह तो सरकार की ७२ फीसदी किसानों को गुलाम बनाने की चाल है । नाम सहकारी रखा जायगा परन्तु वह सरकारी हो जायगा और उसके बाद तानाशाही कायम होगी । महामहिम राज्यपाल अगर अपने संबोधन में यह कहते कि सहकारी खेती यहां पर नहीं चलेगी तो अच्छा होता, अन्यथा जनसंघ को बराबर इसका विरोध करना पड़ेगा ।

इसके अतिरिक्त राज्यपाल के अभिभाषण में सुरक्षा की दृष्टि से कोई बात नहीं कही गयी है । वैसे तो यह दिल्ली गवर्नमेंट की बात है, परन्तु हमें अपने प्रान्त की सुरक्षा की ओर भी ध्यान देना होगा । हमारे प्रान्त की उत्तरी और पूर्वी सीमा तिब्बत और नैपाल से लगी हुई है । मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं । जिला लखीमपुर की तहसील निघासन का क्षेत्र नैपाल बार्डर से मिलता है । आज नेपाल में क्या हालत है उसके बारे में तो रोज पत्रों में मालूम होता है । नैपाल और भारत सरकार में कुछ इस प्रकार का वातावरण है कि पत्रों में उसका संकेत आता है । मैं उस बात को यहां नहीं कहना चाहता, परन्तु यह कहने पर मजबूर हूं कि हमें अपने प्रान्त की सुरक्षा की ओर ध्यान देना होगा और जबतक आप ऐसा नहीं करेंगे तबतक हम समझते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों में एक भय और आतंक का वातावरण बना रहेगा । इस आतंक को दूर करने के लिये सब से अच्छा उपाय यह है कि वहां पर इस प्रकार के कार्य किये जायं जिससे वहां के लोगों को ऐसा मालूम हो कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो रही है । वहां पर रोड्स तक नहीं हैं । यदि कोई मौका आ जाय तो वहां पर हमारी कुमुक तक नहीं पहुंच सकती और न वहां जाया ही जा सकता है और रास्ते बहुत खराब हैं । इसलिये मेरा नम्र निवेदन यह है कि इस क्षेत्र में सड़कों का निर्माण होना चाहिये । इसक अलावा वहां पर उद्योग धंधे चलाये जायं, जिससे वहां के लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठ सके । हमारे यहां निघासन तहसील में जूट बहुत ज्यादा पैदा होती है और उसकी पैदावार का फायदा वहां के लोगों को नहीं मिल पाता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि वहां पर एक जूट मिल खोल दी जाय । इससे वहां के लोगों की आर्थिक दशा सुधरेगी । दूसरे हमारे क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आती हैं और वह तबाह हो जाता है । हमारे प्रांत की सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर सड़कों का निर्माण होना चाहिये जिससे वहां के लोगों में यह विश्वास जम सके कि उनकी सुरक्षा का प्रबंध हो रहा है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय दुबे जी के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन पर दो दिन से बहस चल रही है और पक्ष और विपक्ष की ओर से आदरणीय सदन के समक्ष बहुत से सुझाव भी आ चुके हैं । मैं भी कुछ सुझाव सदन में प्रस्तुत करना चाहती हूं । लगातार चार साल से महंगाई के कारण हमारे प्रदेश की जनता परेशान है और उसे आशा थी कि नई सरकार ऐसी योजना रखेगी जिससे महंगाई कम होगी । लेकिन जनता की यह आशा निराशा में परिणत हो गई ।

श्रीमन्, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ आवश्यकतायें ऐसी होती हैं जो बहुत जरूरी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो कुछ समय के लिये टाली जा सकती हैं । मेरा आपके द्वारा

नम्र निवेदन है कि अन्न, वस्त्र, शिक्षा और रहने के लिये मकान की हर परिवार के लिये आवश्यकता होती है और हमारी सरकार जो नाचघर आदि की अन्य योजनायें चलाने वाली है जिनको कुछ समय के लिये टाला जा सकता है, इसलिये इन योजनाओं को रोककर जनता की गरीबी दूर करने की योजनायें बनाई जायं तो अति उत्तम होगा।

श्रीमन्, हमारे सामने सब से बड़ा लक्ष्य समाजवाद की रचना का है और हम उस ओर चल भी रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में कुछ ऐसी विषमतायें हैं जिनके कारण हम अधिक तेजी से नहीं चल पा रहे हैं। हमारी विषमतायें तीन प्रकार की हैं। आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक। आर्थिक कठिनाइयां उसी समय दूर हो सकती हैं जब जनता और सरकार का सहयोग हो। धार्मिक कठिनाइयों के बारे में हमारे भाइयों ने अभी महसूस किया कि यहां पर पार्टी के नाम पर वोट नहीं मांगे जाते हैं, बल्कि जाति और धर्म के नाम पर मांगे जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहां पर मौजूदा पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों ने उसकी मदद की। यह नितान्त गलत है। यदि ऐसी बात होती तो विरोधी दल यहां पर इतनी संख्या में नहीं होता। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है।

श्रीमन्, हमारे सामने बहुत सी चीजें सुझाव के रूप में आचुकी हैं और महामान्य राज्यपाल महोदय ने भी अपने सम्बोधन में संकेत किया है कि हरिजन और पिछड़ी जातियों के लिये नई सुविधायें दी जायंगी और नई मान्यतायें कायम की जायंगी। इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि सब से बड़ी समस्या हरिजनों के लिये मकानों की है। हमने जो योजनायें बनाई हैं उनमें हरिजन बस्ती अलग से बसाई जाती है जिससे उनके अन्दर ऊंच नीच की भावना की खाई ज्यादा गहरी होती है। अति उत्तम होता यदि हरिजन बस्तियां सवर्णों के साथ बसायी जायं।

श्रीमन्, मैं समानता और विषमता का नमूना यह रखना चाहती हूं कि जहां पर ५ रुपये पाने वाला, २ हजार रुपये पाने वाले के मुकाबले में खड़ा होता है, तो दोनों का स्तर एक नहीं हो सकता है। समानता को दृष्टि में रखते हुए, उच्चाधिकारियों को जो स्पेशल पे दी जा रही है उसमें अगर कटौती कर दी जाय तो गरीब कर्मचारियों को ज्यादा सुविधा मिल सकती है। अभी-अभी हमारी तारकेश्वरी सिनहा ने जो केन्द्र की मंत्रिणी ह, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जायगा। यहां भी यदि सम्भव हो सके तो कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की कृपा की जाय।

मैं अपने क्षेत्र मानिकपुर, बांदा की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं। सदन के पांच साल के कार्य काल में मेरा यह अनुभव है कि यहां पूर्व और पश्चिम की खींचतान में बुंदेलखंड की सुनवायी नहीं होती है। मैं चाहती हूं कि सरकार बुंदेलखंड की ओर भी ध्यान दे। बांदा की मुख्य समस्या पानी की समस्या है। १९५८ में भीषण अकाल पड़ा था। उस में पानी के लिये बड़ी कठिनाई हुई। वहां कुछ योजनाएं बनायी गयीं लेकिन जितनी शीघ्रता से उनकी जरूरत थी वह नहीं हो सकी। मेरा निवेदन है कि अगर पानी के लिये समुचित प्रबन्ध न किया गया तो इस वर्ष भी वहां १९५८ की परिस्थिति पुनः हो जायगी। यह इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यहां न कोई उद्योग है, न शिक्षा की विशेषता। कोल-भील लोग रहते हैं जिन के रहने की मुख्य समस्या है। बड़े बड़े लोग अपने खेतों से उन्हें निकलने नहीं देते हैं। उनकी बड़ी दयनीय दशा है, इस लिये इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

जो हमारे सामने दस सेंटर खोलने की बात कही गयी है उसके संबंध में मेरा विचार है कि वह कच्चा माल जो हरिजनों के हाथ में है अगर उसका पक्का माल बनाने की सुविधा उन्हीं को दे दी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि उनके लिये अलग से इंस्टीट्यूशंस खोले जांय।

श्रीमन्, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो छोटी-छोटी रकमों से हो सकती हैं। हमारी सरकार उसको करने के लिये प्रयत्नशील है। अन्त में मैं यह निवेदन करूंगी कि हमारे मुख्य मंत्री

[श्रीमती सियादुलारी]

जो कभी अगर उधर आयें और वहां की परिस्थितियों को देखें तो बड़ी कृपा होगी। इन शब्दों के साथ में महामान्य राज्यपाल को धन्यवाद देती हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं एक बात सदन से निवेदन करना चाहता हूं। बजट और राज्यपाल का सम्बोधन, दोनों के प्रस्तुत होने के पश्चात् इस सदन में एक साधारण विवाद हुआ करता है। मैं कोई व्यवस्था नहीं दे रहा हूं लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि राज्यपाल का सम्बोधन नीति से सम्बधित है और बजट में नीति और नीतियों का सम्पादन दोनों आ जाते हैं। तो जो स्थानीय बातें हैं, कल जलालपुर के बारे में कहा गया, या और लोगों ने कहा, तो जरा यह खयाल हमारे सम्मानित सदस्य रखें कि अगर नीतियों के संबंध में विचार अधिक प्रकट हों तो कदाचित इस अवसर के अधिक अनुरूप होगा।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री नरसिंह नारायण का नाम पुकारे जाने पर)

श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आठ मर्तबे मुझे खड़ा होते हो गया। यह आठवीं बार में खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण कीजिये। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि ४३० आदमियों में अगर कोई आठ बार खड़ा हो तो अधिक नहीं है। लेकिन मैं इसके बाद आपको अवसर दूंगा। अब आप बैठ जाइए, मैंने जिसको बुला लिया, वह बोलेगा।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे भी अपनी बात कहने का मौका दिया। श्रीमन्, वैसे तो दो रोज से जो बहस इस सदन में चल रही है उस बहस को मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश की और उसे सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारे उधर के साथी जो माननीय सदस्य बैठे हैं वह बार-बार इस बात की चर्चा इस सदन में कर रहे हैं कि चुनाव बड़े निष्पक्ष ढंग से हुए हैं। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा उन माननीय सदस्यों से जो उधर बैठे हैं और जो आज शासनारूढ़ हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल ने जो कर्मचारियों के संबंध में उनकी बड़ी बड़ाई की और बड़े ढोल पीटे, उनके संबंध में एक सबूत को देकर मैं इस सदन में उन माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सही तरीके से किस प्रकार से यहां के कर्मचारियों ने निर्वाचन में अपने को इन्डिपेंडेंट रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्थिति गोरखपुर जिले में चुनाव में उत्पन्न हुई जौनपुर के राजा जो आज विरोधी दल के नेता हैं माननीय यादवेन्द्र दत्त दुबे उनके एक नहीं ४०० परचे से ऊपर माननीय मदन पांडेय जी जो कि पहले इस सदन के सदस्य रह चुके हैं, उनके बक्से से निकले। मैं पूछना चाहता हूं कि वह बैलट पेपर जो माननीय मदन पांडेय के बक्सों में निकले क्या वह इस बात के सबूत नहीं हैं कि इस सरकार के अधिकारी जो हैं उन्होंने निष्पक्ष भाव से इस चुनाव में भाग नहीं लिया। और मैं यह कहना चाहता हूं माननीय साथियों, माननीय सदस्य लोग,.....

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य एक [illegible] का ध्यान रखें कि वह साथियों से यहां बात नहीं कर रहे हैं।

श्री नरसिंहनारायण—मुझे माफ [illegible]जिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदन को इस चीज [illegible]ना देना चाहता हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं अगर उस बात में जरा भी गलती हो तो मा[illegible] सदन को यह अधिकार है कि जो भी सजा मुनासिब समझे वह मुझे दे सकता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस माननीय सदन से निवेदन कर सकता हूं वि[illegible] कोई इस संबंध में जांच कमीशन नियुक्त करे और जो मैं कह रहा हूं उसके बारे में जांच [illegible]वे कि यहां के अधिकारियों ने कितनी निष्पक्षता यहां के आम निर्वाचन में बरती

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि मेरे स्वयं के चुनाव में पुरन्दरपुर थाने के दरोगा कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य के कहने पर मेरी मोटर कार की जांच करने के लिये आये। मैंने थाने में उसकी रपट लिखायी और रपट लिखाने के बाद उस रपट को कलेक्टर और पुलिस कप्तान को भेजा, सबको उसके बारे में सूचित किया उसी समय रपट देने के बाद कि आज आपका यह दरोगा किस तरह से चुनाव में भाग ले रहा है। यह चुनाव क पूर्व की घटना है और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस थानेदार को सरकिल इन्स्पेक्टर बनाया गया। यह उसको पारितोषिक उसकी निष्पक्षता क ऊपर उपहार स्वरूप में दिया गया।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने शुगर वेज बोर्ड के बारे में सरकार की नीति की चर्चा की है। मैं आपके द्वारा माननीय सदन का ध्यान कुछ आंकड़ों की तरफ दिलाना चाहता हूं कि आज वेज बोर्ड की रिपोर्ट के बाद उन चीनी मिल मजदूरों की क्या स्थिति हो गई जो तीन साल के औसत बोनस के पाने के हकदार थे। आज वे मजदूर जो पहले बोनस जितना पाते थे उससे बहुत कम बोनस पायेंगे, हालांकि चीनी मिल में चीनी का उत्पादन अधिक बढ़ा है। मैं उसके प्रमाण में आपके सन्मुख एक कोटेशन देना चाहता हूं। सिम्भावली मिल में, जो इस सूबे की सबसे बड़ी मिल है, उसमें १९६०-६१ में ७,६९,११८ मन चीनी का उत्पादन हुआ और ९०,६१४ रुपये इस साल उनका बोनस आपकी इस वेज बोर्ड की रिपोर्ट के बाद बना। उसी मिल ने १९५९-६० में ६,२९,१७९ मन चीनी का उत्पादन किया था और उस समय २,३५,९४३ रुपया उनका बोनस बना था।

मैंने माननीय सदन के सामने इस लिये इन आंकड़ों को दिया है कि जिससे साफ तरीके से यह बात साफ हो जाय कि वेज बोर्ड के फैसले के बाद अभी तक जो राज्यपाल महोदय के भाषण के बाद हम लोगों को मिल से आशा थी कि इतना बोनस मजदूरों को उत्पादन के ऊपर मिलेगा आज वह उत्पादन पर न मिलकर मिल मालिकों की बैलेन्स शीट पर दिया जा रहा है जिसका नतीजा यह हुआ है कि सारे सूबे में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि आखिर इस बोनस के मामले को लेकर मजदूर किस तरह से अपनी नीति निर्धारित करे। आज इतना ही नहीं यूनाइटेड फेडरशन, जो चीनी मिल का सब से बड़ा संगठन है, उस फेडरेशन के मुकाबले में कांग्रेस की आई० एन० टी० यू० सी० को मान्यता दी जाती है। जब कि एक जांच कमीशन बैठा था और उस जांच के बाद यह बात साफ हो गई थी कि यूनाइटेड फेडरेशन मजदूरों का ज्यादा प्रतिनिधित्व करता है आई० एन० टी० यू० सी० से, लेकिन आज तक जितनी कमेटियां मजदूरों के लिये बनाई जाती हैं उनमें आई० एन० टी० यू० सी० को ही प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त परसों महामहिम राज्यपाल के भाषण के समय समाजवादी पार्टी का जो वाक आउट हुआ था उसके संबंध में भी निवेदन करना चाहता हूं इसलिये कि उसके विषय में बड़ी चर्चा इस सदन में हुई। उधर के लोगों ने उसको बड़ा ही खेदपूर्ण माना है। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नर कौंसिल आफ मिनिस्टर्स अप्वाइन्ट करता है। भारतीय संविधान के अन्दर कौंसिल आफ मिनिस्टर्स गवर्नर के प्रति उत्तरदायित्व रखती है। मैं आपसे कहता हूं कि आज किसी भी तरीके से अगर हम गवर्नर क भाषण के ऊपर बाहर जाते हैं तो इससे ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं होता है। मद्रास में इस बात पर फैसला हो चुका है जब कि वहां के सदस्यों ने ऐसा किया था। जब गवर्नर महोदय भाषण देने के लिये सदन में आये थे तो वहां पर सदस्य सदन से बाहर निकल गये थे। दूसरे सदस्यों ने प्रस्ताव रखा कि यह प्रिविलेज का सवाल है, लेकिन बाद में प्रिविलेज कमेटी ने इस पर फैसला दिया और कहा कि यह प्रिविलेज नहीं है। यह उनका अधिकार है। वे अपनी बात कह सकते हैं। अपने भाषण में सुझाव देकर बाहर जा सकते हैं। इसी प्रकार की घटना यूनाइटेड किंगडम में भी हो चुकी है और उसे ब्रीच आफ प्रिवेलेज नहीं माना गया है। मैं आपके समक्ष यह सुझाव देना चाहता था, लेकिन आपने मुझे इजाजत नहीं दी। मैंने अपनी बात कही। मैं आज आपके द्वारा इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जो शिक्षा की बात

[श्री नरसिंह नारायण]

कही जाती है और कहा जाता है कि प्लानिंग से देश की, प्रदेश की आमदनी बढ़ गयी, यह सही नहीं है। आपके आंकड़े सही नहीं हैं, सब झूठे हैं। आप जो शिक्षा की तरक्की की बात करते हैं उस के लिये आप अपने सूबे का मुकाबला दूसरे सूबों से करिये और तब आपको मालूम होगा कि यहां साढ़े सात करोड़ आबादी की शिक्षा का स्तर देश में सबसे नीचा है।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ।

*श्री माड़देव—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के सम्बोधन में बहुत सी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र है., किन्तु कुछ ऐसे मूलभूत प्रश्न हैं जिनकी ओर माननीय दीपनारायणसिंह जी ने इशारा किया है और उनका जिक्र इसमें नहीं है। उनको अगर सामने रखा जाय तो सम्बोधन के महत्वपूर्ण प्रश्न भी फीके पड़ जायेंगे। अगर हम उन प्रश्नों की ओर ध्यान देते तो देश और प्रदेश की योजनाओं में हेरफेर होने की गुंजायश नहीं है। इन सभी प्रश्नों का संबंध, श्रीमन्, एक दूसरे से इतना गहरा है कि अगर आप अकेले किसी एक को हल करने का प्रयास करेंगे तो एक हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जायगी। वह प्रश्न हैं : (१) गरीबी, (२) जातपांत, (३) वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, (४) व्यापक भ्रष्टाचार, (५) बढ़ती हुई जनसंख्या, (६) जनतंत्र के लिये खतरा, और (७) गांव की खंडहरों पर शहरों का निर्माण। श्रीमन्, इसमें से कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिसको अकेले हल किया जा सके। मैं थोड़े समय में इनका विश्लेषण करूंगा।

जहांतक गांव की गरीबी का प्रश्न है, या तो उसे देखा नहीं गया या उस पर परदा डाला गया है। अगर एक गांव सभा के हर सदस्य का हम साल भर पेट भरने का सवाल लें तो साल में एक हजार की आबादी पर ८, ९ हजार मन अन्न की आवश्यकता होगी, अगर दूध देने की समस्या हो तो हजारों मन दूध की आवश्यकता पड़ेगी, जूते देने का विचार करें तो हजारों जूतों की जरूरत पड़ेगी, २५, ३० गज के औसत से कपड़ा देने लगें तो ३० हजार गज कपड़ा चाहिये। इन सब को छोड़ कर अगर उनको केवल भरपेट खिलाने की बात करें तो मेरा खयाल है कि शायद ही कोई गांवसभा ऐसी होगी जहां की पैदावार वहां के लोगों के लिये सात महीने से अधिक चल सके। यह है हमारी गरीबी का नक्शा। जहांतक जाति-पांति की बात है, लोग उसकी बात करते हैं। वह एक मखौल है। यह उसी तरह से है जिस तरह से कि एक जहर का पेड़ रखने वाला उसकी पत्तियों से उस जहर को निकालने की कोशिश करे। यह जाति-पांति है किस चिड़िया का नाम। यह हमारी विधान सभाओं में, हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन में, स्कूल और कालिजों में, और हमारी रग-रग में आज यह जहर व्याप्त हो रहा है, जो हमें न न्याय देता है, न आजादी देता है, और जिसका नतीजा यह होता है कि आज निराशा, पीड़न और वह शोषण चल रहा है जो सन् १९४७ से पहले, अंग्रेजों की हुकूमत में भी नहीं था। यह है जाति-पांति का नक्शा। जाति-पांति के रहते न देश की आजादी चल सकेगी, न एकता रहेगी, न गरीबी दूर होगी और न जनतंत्र पनप पायेगा। हमें इसे समाप्त करने के लिये एक ठोस रास्ता अपनाना पड़ेगा वरना १० साल के अन्दर ही हमें अपनी स्वतंत्रता को नमस्ते करना पड़ेगा।

तीसरी चीज शिक्षा व्यवस्था है जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं एक स्कूल का प्राध्यापक हूं। उसमें एक हजार बच्चे हैं जिसमें ४०० के करीब इन्टरमीडिएट और हाई स्कूल पास करके हर साल निकलते हैं। वे सब मजदूरों के बच्चे हैं। क्या इस प्रश्न पर आपने कभी सोचा है कि आप इस बढ़ती हुई शिक्षित जमात को कहां ले जाना चाहते हैं। अभी तो गांव में १/३ संख्या में बच्चे शिक्षित हैं, जब यह संख्या २५ फीसदी हो जायेगी तो भगवान जाने देश में कोई सुव्यवस्थित सरकार चल भी पायेगी या नहीं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज हम उनको एक ही रास्ता दे रहे हैं और वह है क्लर्की का, बाबूगीरी का, नौकरी करने का और इस शिक्षा से वे देश के ऊपर एक बोझ सा बन रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह देश के लिये घातक होगा यदि आपने इस ओर उचित कदम नहीं उठाया, क्योंकि आप उनको कोई सुव्यवस्थित रास्ता नहीं दे रहे हैं।

चौथी बात है व्यापक भ्रष्टाचार की। व्यापक भ्रष्टाचार के होते हुये क्या देश का निर्माण हो पायेगा? यह एक ऐसी चीज है, जिसको कोई भी सेन्सिबिल आदमी नहीं सोच सकता।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया माइक पर बोलिये, सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री महादेव—पांचवी बात है बढ़ती हुई जन संख्या की। अगर यह सवाल हल हो जाये तो मेरा खयाल है कि सारी विकास योजनायें एक तरफ और यह महान् भूत जो हमारी तरफ आ रहा है दूसरी तरफ होगा।

छठी बात है गांव का शोषण जिसका सारा ढांचा शहरी महलों के ऊपर है। गांव से ९० फीसदी वोटर अपने नुमाइन्दों को भेजते हैं और उन का नेतृत्व करते हैं शहरों के आदमी। वहां से ही ९० फीसदी धन आता है और खर्च होता है सबसे ज्यादा शहरों पर। कुछ ऐसी परिपाटी चली आ रही है। क्या हम इस परिपाटी को बदलने के लिये तैयार हैं? क्या हम इसके लिये तैयार हैं कि वे खुद अपना सृजन कर सकें और शहरों का जो नाजायज शोषण चल रहा है उसको रोकें अगर नहीं तो यह हमारी समृद्धि केवल दिखावटी ही रह जायेगी।

सातवां प्रश्न है जनतंत्र के लिये खतरा। खतरा इस बात से नहीं है कि किसी पार्टी ने सरकार की मशीनरी को अपने उपयोग में ले लिया है। बात गलत जरूर है। मैं एक निर्दलीय आदमी हूं, किसी पार्टी से मेरा संबंध नहीं। १२ साल पहले कांग्रेस में जरूर था। इन्हीं प्रश्नों के उठाने में कांग्रेस से निकाल दिया गया। तब से किसी पार्टी में गया नहीं, लेकिन जिस चुनाव से होकर गुजरा हूं उसमें कह सकता हूं कि जितने आरोप कर्मचारियों के ऊपर लगाये गये हैं, उतने वास्तव में नहीं हैं। यह बात जरूर है कि कर्मचारी भी उसी जातिवाद की उस सारी मशीन के शिकार हैं जिसकी हमारी पार्टियां हैं और नुमाइंदे हैं। कहीं-कहीं तो ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने डंडे के जोर पर, धमकी के जोर पर हर तरह का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की है।

श्री अध्यक्ष—आपके २ मिनट और हैं।

श्री महादेव—५ मिनट और दे दें तो काम बन जाय।

श्री अध्यक्ष—बोलिये।

श्री महादेव—धन्यवाद—जनतंत्र के लिये अगर खतरा है तो वह इस बात से नहीं है कि सरकारी कर्मचारी कैसे हैं, लेकिन उस पार्टी पद्धति से है जिसमें लखनऊ और दिल्ली में बैठकर २-३ आदमी सारे पार्टी के टिकटों को बांट देते हैं, सरकारी कर्मचारियों से नहीं है। हमने अंग्रेजों से जनतंत्र सीखा है, लेकिन उनका पार्टी सिस्टम हमने नहीं लिया। अंग्रेज टिकट नहीं बांटते, बल्कि उसका लोकल अथारिटीज चुनाव करती हैं। यह हमारे लिये सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा खतरा नौकरशाही का है। तीसरा खतरा बेतरतीब आपसी लड़ाई से है जिससे अपने आप को जनता की निगाह में खोखला बना रहे हैं। प्रदेश के प्रश्नों को न लेकर हम सतही चीजों पर झगड़े करते हैं और विश्वासहीन बने रहते हैं उनके जिनके नुमाइंदे होकर आये हैं। इन बातों से जनतंत्र को खतरा है।

मैं इस समय पूरी विवेचना तो नहीं करूंगा। यह बात जरूर है कि आज से १२ साल पहले मैं कांग्रेस की पोलिटिकल कानफरेंस का सदर था जो मेरे स्कूल पर हुई थी। माननीय मुख्य मंत्री भी उस समय मौजूद थे और आज के माननीय वन मंत्री उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे। इन्हीं सवालों के उठाने पर मेरे हाथ से माइक छीन लिया गया था और आज १२ साल के बाद भी वे प्रश्न

[श्री महादेव]

ज्यों के त्यों हैं । इनका हल किये बगैर आप ऊपर की लीपा पोती से, ऊपर की बहस और झगड़ों से प्रदेश की समस्या को हल नहीं कर सकते । हमारी ये ६-७ बातें एक दूसरे से वैसे ही संबद्ध हैं जैसे कंस के साथ उसका दल और दुर्योधन के साथ उसकी सेना संबद्ध थी । अगर गरीबी को दुर्योधन मानते हैं, उसको समाप्त करना चाहते हैं तो दुःशासन वगैरह को भी समाप्त करना पड़ेगा । गरीबी को हटाना खेल नहीं है । जब तक उसके साथ वर्तमान जाति पांति की व्यवस्था, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, बढ़ती हुई आबादी, भ्रष्टाचार और गांव के अन्दर व्यापक संशय व्याप्त है तब तक आप किस मुंह से दावा कर सकते हैं कि हम गरीबी दूर कर सकते हैं ? यह आसान सवाल नहीं है । ये एक दूसरे से ऐसे संबद्ध है कि जबतक एक सामूहिक प्रयास आप नहीं करते हैं, तब तक यह काम नहीं हो सकता ।

अन्त में मेरा निवेदन है कि मेरे पास इन मरजों के नुस्खे हैं, लेकिन मैं गरीब वैद्य हूं और सरकार के पास बड़े बड़े जर्मन रिटर्न्ड डाक्टर हैं । उनके सामने मेरी बात चल सकेगी या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं प्रयास जरूर करूंगा । पहले तो जाति-पांति की समाप्ति की ओर ठोस कदम उठाये जायं । गांव के विकास के लिये उसका रचनात्मक नेतृत्व हो, वोट लेने वाले नेतृत्व नहीं । गांव के उत्पादन को दुगना और ढाई गुना किया जाय । खेती से पैदा होने वाली उत्पत्ति और उद्योग से निर्मित होने वाले माल का नियंत्रण हो । गांव के मजदूरों को डेढ़ रुपया रोज मजदूरी दी जा सके । विकास की योजनाओं को और शासन की मशीन को जो ऊपर लगी है उसको सिम्प्लीफाई किया जाय न कि भार बनाया जाय । गांवों के ऊपर से नौकरशाही के भार को उठाकर उनको ऋण दिया जाय । जनतंत्र की रक्षा के लिये पार्टियों को टिकट-बाजी से बचाया जाय । गांवों में व्यापक निराशा को दूर किया जाय ।

इस तरह की नीति हमको अपनानी पड़ेगी । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष—पूर्व इसके कि मैं माननीय सदस्य को इस वाद-विवाद के संबंध में बुलाऊं, मैं इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि इस सदन के नियमानुकूल, चाहे फिर वह व्यक्ति इस आरणीय सदन का सदस्य हो चाहे वह प्रेस गैलरी का हो अगर वह मेरे और वक्ता के बीच में से गुजरेगा तो मैं विवश होकर कार्यवाही करूंगा । इस चीज का कृपया ध्यान रखा जाय ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के समर्थन में और श्री अग्रवाल जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत है, आपकी अनुमति से उसके समर्थन में खड़ी हुई हूं । अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं उस मंत्रिमंडल का स्वागत करती हूं जिसके संबंध में हमारे विरोधी दल ने बहुत कुछ आक्षेप किये हैं । उनका कहना है कि यह मंत्रिमंडल बहुत बड़ा है, उसका डील-डौल बहुत बड़ा है । हमको भूलना नहीं चाहिये कि हमारा राज्य उत्तर प्रदेश, हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है । जहां तक आबादी की बात है, यहां की ७ करोड़ की आबादी है जोकि सारे देश की लगभग १६ फीसदी आती है । यहां के मामले भी जो हैं वह और राज्यों की तुलना में अधिक गहरे हो सकते हैं । ऐसी स्थिति में मैं अपने विरोधी भाइयों से अनुरोध करूंगी कि उन्होंने जो आक्षेप किये हैं उन पर फिर से मनन करने की कृपा करें । यह भी हम नहीं भुला सकते हैं कि इनमें १२ पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी बनाये गये हैं । ये ऐसे लोग हैं जिनपर किसी प्रकार का ज्यादा खर्चा नहीं बैठता है । इसलिये अगर पिछली कैबिनेट से भी इसका कम्पेरीजन करें तो हम देखते हैं कि कोई ज्यादा खर्चा हम इस वक्त नहीं कर रहे हैं । हां, यह बात सही है कि हमने डिपार्टमेन्ट्स के विभाजन ज्यादा किये हैं लेकिन मेरी राय है कि एफीशियेन्सी बहुत बड़ी चीज होती है । यह जो विभाजन किये गये हैं वह इस आधार पर किये गये कि हर एक के पास जो पोर्टफोलियो है उस पर वह ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर और विचार करके जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सके ।

मैं माननीय नेकराम शर्मा जी को बधाई दूंगी कि उन्होंने स्पीकर महोदय के निर्वाचन में अपना नाम वापस लेकर एक स्वस्थ परम्परा कायम की। मुझे खुशी होती कि यहां पर उसी प्रकार की परम्परा कायम रहती। लखनऊ की ऐसी ही सरजमीन है, यहां की नजाकत बड़ी मशहूर है। मैं आशा करती थी कि लखनऊ में हम ऐसी परम्परा स्थापित करेंगे जिसके कारण उत्तर प्रदेश में ही नहीं सारे देश को हम पर गर्व होगा। परसों कुछ भाई नाराज होकर चले गये थे। वह इस बात पर ख्याल करेंगे कि नाराजगी एक चीज होती है और शिष्टाचार दूसरी चीज। यदि लखनऊ ऐसे शहर में हम इस चीज में कुछ कम हो जाते हैं तो फिर मैं माफी चाहूंगी कि आइन्दा ऐसा करने के पूर्व हमारे भाई इस बात पर ठंडे दिल से विचार करने का कष्ट करेंगे। मंत्रिमंडल के संबंध में विचारों में कुछ विरोध हो सकता है। मेरे शहर कानपुर में यह बात सुनने में आई कि मंत्रिमंडल में उसको बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। हो सकता है कि किसी जिले या शहर को पूरा प्रतिनिधित्व न मिला हो। कानपुर एक बड़ा शहर है जहां लाखों की आबादी है। वहां पर बड़े बड़े व्यवसाय हैं। करोड़ों रुपया वहां से टैक्स के रूप में मिलता है। वहां पर चमड़े और कपड़े की बड़ी बड़ी मिलें हैं तथा नाज और किराने की मंडियां हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस मामले पर विचार विमर्ष करेगी और उस ओर अपना कदम उठायेगी। इससे जनता का कल्याण होगा।

जैसा कि लोकतांत्रिक जमाने का तकाजा है, उत्तर प्रदेशीय सरकार ने एक बड़ा भारी कदम उठाया है और वह यह कि कवाल टाउन्स में उसने महापालिकाओं की स्थापना की है। महापालिका की सदस्या होने के नाते मैं जानती हूं कि उसके द्वारा हम जनता की जो थोड़ी बहुत सेवा कर सके हैं वह यद्यपि थोड़ी है लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि यह एक अच्छा कदम है। अगर हमारा रास्ता यही है तो इसमें कोई शक नहीं कि एक न एक दिन हम मंजिल पर अवश्य पहुंच जायेंगे, हमें एक न एक दिन सफलता अवश्य मिल जायगी। परन्तु इसके साथ ही साथ मैं एक सुझाव भी देना चाहती हूं कि महापालिका को अधिनियम के अन्तर्गत जो पावर्स दी गयी हैं और जिनके अन्तर्गत हमें जनता की सेवा करने का अवसर मिला है, उनके अनुसार अधिकार बहुत कम दिये गये हैं। सभा सद को जो ताकत मिली है वह है " power divested of authority" इस पर विचार करने के लिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगी।

हमारे विरोधीदल के कई भाइयों ने गांवों की समस्याओं को सदन के सामने रखा। मैं उनको धन्यवाद देती हूं। मैं भी जिस निर्वाचन क्षेत्र से आती हूं, उसमें भी ३३ प्रतिशत गांवों के लोग हैं। मैंने वहां जाकर देखा कि गांवों की जनता को कष्ट है। इसलिये मैं जानती हूं कि जो समस्या विरोधी दल के भाइयों के सामने है वही हमारे सामने भी है। हम सब लोग जनता के प्रतिनिधि बन कर यहां आये हैं, चाहे वे किसी भी पक्ष के क्यों न हों। इसलिये हमें मानवता के नाते एक होकर उस जनता की सेवा करनी चाहिये जिसने हमें यहां चुन कर भेजा है और उसके लिये हमें मिल कर यहां अपने विचारों को प्रकट करना है। इस प्रकार से जो भी गांवों के कष्ट हैं उनको हम निवारण कर सकते हैं और जो नेशनल कैलेमिटीज हैं जैसे, पानी की कमी और बाढ़ आदि की समस्या है उनका मुकाबला हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पाले से भी किसानों को बहुत नुकसान होता है। किसानों की इन समस्याओं को हल करने के लिये पंजाब सरकार एक नया बिल ला रही है जिसके अन्तर्गत कृषि इंश्योरेंस की स्कीम बनायी जायगी। यू० पी० की सरकार भी अगर उस पर विचार करे तो आजकल जो क्षति किसानों को पहुंचती है उसमें रोकथाम हो सकती है।

एक भाई ने कहा कि महात्मा गांधी का बहुत नाम लिया जाता है। सही बात है, लिया जाता है और मेरा विश्वास है कि जब तक संसार में मानवता मौजूद है, गांधीजी का नाम अवश्य लिया जाता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी जी समाजवाद नहीं चाहते थे। मेरी समझ में नहीं आया कि समाजवाद की वह क्या परिभाषा करते हैं। मेरी समझ में समाजवाद वह सीढ़ी है जिससे ऊपर वाले को नीचे उतरना सिखाया जाता है और नीचे के लोगों को हाथ पकड़ कर ऊपर ले जाया जाता है। इसी प्रकार की समाजवाद की नीति का उल्लेख कांग्रेस ने अपने

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

घोषणा-पत्र में किया है । आपने देखा कि उसी से प्रेरित होकर सरकार ने बड़े लोगों पर बहुत से टक्सज लगाये, जमींदारी को समाप्त किया । इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, डेथ ड्यूटी और सेल्स टैक्स आदि टैक्स उसी स्कीम के मातहत लगाये जाते हैं । दूसरी ओर नीचे गिरे लोगों की भलाई के लिये उस पैसे को खर्च करके हम उन लोगों को हाथ पकड़ कर ऊपर उठाने की चेष्टा करते हैं । समाजवाद, गरीबी और अमीरी का समन्वय है । कांग्रेस सरकार का अगर कोई समाजवाद है तो वह यही है । और इस सरकार ने चाहे थोड़े ही अंश में सही, लेकिन उस ओर सफलता प्राप्त की है । दो पंचवर्षीय योजनायें पूरी हो चुकी हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना हमें उस लक्ष्य की ओर ले जा रही है । जिस लक्ष्य को रूस २७ सालों में निर्धारित नहीं कर सका वह हमने करके दिखा दिया । एक बात मैं और आपके सामने कहना चाहती हूं और वह यह है कि कल हमारे एक विरोधी भाई ने कहा था कि करप्शन जो हमारे आपके बीच में है उसको निकाल देना चाहिये तथा एलेक्शन के दौरान में जो करप्शन हुये हैं तथा ज्यादा खर्च किये गये हैं उनको भी दूर करना आवश्यक है । उन्होंने एक ऐसी कड़ी मिसाल दी, मुझे अफसोस है कि उसे मैं अपनी जबान पर नहीं लाना चाहती । उन्होंने यहां तक कहा कि अगर कोई आदमी करप्शन करता हुआ पाया जाय और जो ज्यादा से ज्यादा खर्च एलेक्शन में करें उनको उसके लिये गहरा से गहरा दंड दिया जाय । यह बात जरूर है कि अगर कहीं करप्शन हो तो उससे हम अपनी आंखें बन्द नहीं रख सकते । लेकिन वह करप्शन हम आप सब के बीच में है और यह रूट आउट तब तक नहीं होगा जब तक हम और आप सब मिल कर उसको दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे । इसको कारपोरेल पनिशमेंट के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता । यह एटामिक एज है, बीसवीं शताब्दी है और हमें समय के अनुसार जमाने के अनुसार सहयोग से मानव के हृदय को जीतना होगा । हमें हिंसा के द्वारा नहीं बल्कि अहिंसा के द्वारा गांधी जी की नीति पर चलने की कोशिश करनी होगी तभी इस तरह की जो गलत चीजें हमारे समाज के बीच में हैं उनको हटाने में हम सफल हो सकते हैं । इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव पेश है उसके समर्थन में मैं आपको धन्यवाद देती हूं ।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)---श्रीमन्, आपकी व्यवस्था के संबंध में मैं एक सूचना चाहता हूं । अभी आपने व्यवस्था दी है कि माननीय अध्यक्ष और सदस्य जो इस सदन में बोलते रहेंगे, उनके बीच से कोई सदस्य इधर से उधर नहीं जायेगा, तो क्या आपकी इस व्यवस्था से माननीय मंत्रिगण मुक्त रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष---ऐसी बात नहीं है, मैंने उनको देखा नहीं, वरना मैं उनको रोक देता ।

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)---मुझे इस व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिये मैं माफी चाहता हूं ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने महामहिम राज्यपाल के ऐड्रेस को खूब गौर से पढ़ा और उसके ऊपर विचार किया । इस एलेक्शन की पृष्ठभूमि में कुछ और बातें हुई जिनको देखकर मुझे बहुत दुख हुआ । मैं अपने सत्तारूढ़ दल के साथियों से इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि क्या आपके दिमाग में यह बात नहीं आ सकती कि पहले चुनाव में आप ३८६ थे, दूसरे चुनाव में आपके २९९ मेम्बर्स थे और इस चुनाव में घट कर आप २४९ ही रह गये हैं ? और अगर आपकी यही हालत रही तो अगले चुनाव में आपकी क्या दशा होगी । इसके ऊपर आपको सीरियसली और एक संजीदगी के तरीके से सोचने की जरूरत है । आपकी जो पालिसी या नीति है उसमें कुछ परिवर्तन होने की जरूरत है या नहीं है ? एक तरफ तो आपकी यह हालत है और दूसरी तरफ एक इजारेदार पूंजीवादी पार्टी इस देश में काफी खतरे की घंटी के साथ खड़ी हो गयी है और दूसरी तरफ साम्प्रदायिक संस्था के लोग भी चुनाव में जीत कर इस सदन के सामने आये हैं । आपने कानून बना दिया है और वह शान्ति की हालत बनी रहेगी यह बात मेरी समझ में नहीं आयी । इस सम्बोधन में इस तरह की बहुत सी बातें

कही गयी हैं लेकिन मैंने देखा कि आम तरीके से और चीजें छोड़ दी गयी हैं जिनका गरीब जनता से संबंध है ।

(इस समय १ बजकर १४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये ।)

मजदूरों के सिलसिले में आप कानून लाये और उससे काफी शान्ति रही, यह ठीक है लेकिन मैं कानपुर से आता हूं और भी कई दोस्त हमारे वहां से आये हैं, और मैं कह सकता हूं कि आज जितना असन्तोष वहां के मजदूर वर्ग में है उतना पिछले ३० सालों में कभी नहीं रहा । यह आप बिलकुल समझ लीजिये कि आप एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हुए हैं । मैं आप से ५–७ बातें पूछना चाहता हूं । इस वक्त महंगाई ५१३ प्वाइंट है, जब वह बढ़ती है और महंगाई भत्ता देकर जब वह कम्पेनसेट की जाती है तो केवल ५० प्रतिशत ही होती है और गरीब मजदूर नुकसान में रहता है । यह कहां तक उचित है ? आज बेकारी बढ़ रही है और जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं । बिन्द बासनी कमेटी की रिपोर्ट आई लेकिन वह रद्दी की टोकरी में डाल दी गई । आल इंडिया टेक्सटाइल वेज बोर्ड कायम हुई, उस की सिफारिश होती है लेकिन उन को आजतक कार्यान्वित नहीं किया जाता । रूलिंग पार्टी और उस के नेताओं की समझ में बात तभी आती है जब हड़ताल होती है या झगड़ा होता है । बिना उसके असन्तोष उनकी समझ में नहीं आता । सहारनपुर में झगड़ा हुआ वहां ४० दिन तक हड़ताल चली । कानपुर के बारे में भी २ साल पहले भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने वादा किया था कि न्यू एथर्टन वेस्ट मिल में ८ रुपया बढ़ाये जायेंगे लेकिन हांलाकि मिल सरकार स्वयं चला रही है फिर भी इस सूती मिल में वेज बोर्ड का फैसला लागू नहीं किया गया और वेज नहीं बढ़ाई गई । कई बार मंत्रियों से मिलकर मामला समझाया गया लेकिन कुछ नहीं हुआ । जितने भी सवाल बिन्दबासनी कमेटी के सामने आये थे सभी खटाई में पड़े हैं । आज १५–१५ साल के काम करने वाले अपने को वहां सुरक्षित नहीं समझते और नये-नये कायदे कानून पूंजीपति रोज मजदूरों पर लागू कर रहे हैं । कभी कोई परमानेंट होता है वह फिर टेम्पोरेरी कर दिया जाता है । एक अजीब नीति चल रही है, एक तरीका चला है कि २६ दिन की भर्ती करेंगे । वह जानते हैं कि अगर बराबर लगाये रखेंगे तो ३८० दिन हो जायेंगे और यह लोग प्राविडेन्ड फंड मांगेंगे इसलिये २६ दिन का टर्म रखते हैं और फिर २६ दिन के बाद नये तरीके से रखते हैं । यह चीजें चल रही हैं । लेकिन उन को रोकने वाला कोई नहीं है । पुराने पुराने आदमी जिनकी २०–२० और २५–२५ साल की नौकरी हो गई वह भी अपने को सेफ नहीं पा रहे हैं । बुढ़ौती पेन्शन के बारे में ट्रिब्युनल का फैसला हुआ है लेकिन उसका पालन नहीं हुआ है । ३०–३० साल की नौकरी वालों को उस की वजह से ही पहल से निकाल दिया गया, यह हालत है ।

मैं दो एक बातें और कहूंगा ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा । सिर्फ संकेत करना चाहता हूं इस चीज को कि लेबर में शान्ति है और हड़तालें कम हुईं, इस इलेक्शन के नतीजे से ही देख लिया जाय । अगर यह बात सही होती तो शायद चुनाव के नतीजे में हमें यहां न आ सकते । इसलिये यह कहना गलत है कि अब लेबर डिस्प्यूट्स बहुत कुछ हल हो गये हैं और वह अगर लेबर डिस्प्यूट्स बिल लाना चाहते हैं तो उससे यह मामलें हल होने वाले नहीं । मैं तो अपने साथियों से जो रूलिंग पार्टी के हैं प्रार्थना करूंगा कि वह मजदूरों के हित के लिये कोई भी कानून लायें लेकिन वह बगैर मजदूरों की राय लिये न लायें, बिना त्रिदलीय सम्मेलन के बहस मुबाहिसे के कोई कानून ठीक हालत में नहीं पेश किया जा सकता । कानपुर में जो आई०एन०टी०यू०सी० खत्म हो गई है उस को जिन्दा करने के लिये अगर कोई कानून लाया जायगा तो मैं चेतावनी देता हूं कि आज कानपुर में जो थोड़ी बहुत इन्डस्ट्रियल पीस है वह भी नहीं रहेगी और वहां बहुत बड़ा झगड़ा पैदा हो जायगा, यह याद रखना चाहिये ।

पंचवर्षीय योजना यहां आई और उस के नतीजे में पैदावार बढ़ती है लेकिन चीजों की कीमत बजाय कम होने के और बढ़ती है । शक्कर की पैदावार बढ़ी लेकिन जो शक्कर १२ आना सेर बिकती थी वह १८ आना सेर हो गई । मजदूरों के लिये रेशनलाइजेशन हुआ लेकिन कपड़े की पैदावार बढ़ने पर भी कपड़े के दाम बढ़े लेकिन छटनी की हालत यह है कि सूती मिल में से ४२ हजार

[श्री सन्तसिंह यूसुफ]

में से १० हजार मजदर निकाल दिये गये और सिर्फ ३२ हजार ही रह गये । जब पैदावार बढ़े तो चीजें सस्ती हों । मजदूरों की हालत सुधरे । होना तो यह चाहिये था, यहां उल्टा हाल होता है । पैदावार बढ़ेगी तो महंगाई ज्यादा होगी और माल का उत्पादन बढ़ेगा तो मजदूरों की छटनी होगी । तो यह हालत इस वक्त है ।

कोई भी चीज आप ले लें । मकानों के सिलसिले लें । पंडित जवाहरलाल नेहरू कानपुर आये थे तो उन्होंने कहा था कि कानपुर में जो स्लम्स में मजदूर रहते हैं वह नहीं होना चाहिये । स्लम्स में कौन रहते हैं ? वह मजदूर रहते हैं जो ४० और ५० रुपये तनख्वाह पाते हैं और टैनरी में या लोहे के कारखानों में या छोटी मोटी फैक्टरियों में काम करते हैं । वह स्लम्स तोड़े गये, लेकिन उनकी जगह पर जो मकान बन रहे हैं उनका किराया १५ रुपये महीने है । अब जो ५० रुपये महीना तनख्वाह पाता है वह १५ रुपया किराया नहीं दे सकता है और हालत यह हो गयी है कि पुराने स्लम्स तो टूट गये हैं, लेकिन नये स्लम्स खड़े हो रहे हैं ।

यह तो मकानों की हालत हुई, दवादारू की हालत लें । हालत यह है कि मजदूर छुट्टी लेने के लिये तीन रुपया तो डाक्टर को घूस देगा और अस्पताल जायगा नहीं, अस्पतालों की दवायें बाजार में बिकती हैं । यह बात लेबर डिपार्टमेंट को और सभी को मालूम हैं । तो यह तो हालत है, चाहे मकानों के मामले को ले लीजिये और चाहे मिलों के अन्दर जो उनकी कंडीशन हो उसको ले लीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री महेशसिंह (जिला हरदोई)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय जगदीश शरण जी ने जो कल धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । कल से जो वादविवाद चल रहा है उसको मैंने गौर से सुना और विशेषकर हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने जो भाषण दिया उनकी हर बात को भी बहुत गौर से सुना । मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन दो एक बातें जो उन्होंने कहीं उनपर मुझ बड़ा ताज्जुब हुआ ।

एक बात उन्होंने यह कही कि यहां भारत में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई का पानी है उसकी कीमत ली जाती है और किसी देश में नहीं ली जाती । मैं उनकी जानकारी के लिये यह कहता हूं कि ऐसी बात नहीं है । पता नहीं कि उन्होंने यह आंकड़े कहां से लिये । जहांतक मेरी जानकारी है कि अमेरिका ऐसे देश में भी शिकागो के अन्दर मोरी का पानी यानी सलेज वाटर जो होता है उसका भी दाम लिया जाता है और हजारों डालर उससे आमदनी होती है । मोरी के पानी की तो यह बात है नहरों के पानी की तो बात अलग रही । मिश्र में देखिये, वहां नील नदी का पानी बिकता है जो एक प्राकृतिक देन है । नहरें तो बनवानी पड़ती हैं । उनकी इस बात को सुनकर तो मैं ताज्जुब में पड़ गया ।

मैं उम्मीद करता था कि वे अपने संशोधनों के जरिये से कोई ऐसे रचनात्मक सुझाव लायेंगे जिससे हमारे प्रदेश का कुछ लाभ होगा और हमारी सरकार उनसे कुछ सीखेगी, लेकिन एक बात जो उन्होंने बहुत जोर देकर कही वह थी लगान को आधा करने की । इस बात पर उन्होंने और उनकी पार्टी ने भी विशेष जोर दिया है । उसी के साथ-साथ हमारे माननीय समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने गांवों में औरतों के लिये पाखाना बनवाये जाने की बात कही है । अब आप देखिये कि एक ओर तो वह लोग जो आधा लगान की बात करते हैं और दूसरे लोग ऐसे भी हैं जो गांवों में औरतों के लिये पाखाना बनवाने की बात करते हैं और इस किस्म की छोटी-छोटी सेवाओं की आकांक्षा करते हैं । गांवों में औरतों के लिये पाखाने बनवाने में रुपया लगाया जाय इस बात को मैं आधे लगान वाली बात से ज्यादा अच्छा समझता हूं । यह बात सही है कि सरकार के सामने जो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी के बनाने की बात है उसमें यह बात जरूरी है कि जितनी ज्यादा सेवा हम जनता की इस तरह से कर सकें वह अच्छा

ही है, लेकिन यह सब कार्य तभी सम्पन्न हो सकते हैं जब हमें सभी वर्गों का सहयोग भी मिले और वह सहयोग हमें रचनात्मक सुझावों द्वारा मिलना चाहिये और कार्य इम्पलीमेंट करने के समय भी उनका सहयोग हमें मिलना चाहिये। मैं तो सरकार से समाजवादी दल की वकालत कर सकता हूं कि सरकार कुछ गांवों में औरतों के पाखाने बनवा दे, लेकिन उसकी सफाई की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ले सके तो बहुत अच्छा हो। उससे काम भी चलेगा और एक नया नमूना सामने आयेगा।

मुझे बड़ी उम्मीद थी कि माननीय नेता विरोधी दल अपने संशोधन में ऐसी बातें रखेंगे जिनसे सरकार को लाभ होगा और ऐसी बातें सामने आयेंगी जिनका जिक्र अभिभाषण में नहीं हुआ है, लेकिन उनकी नजर एक ही तरफ पड़ी, दूसरी तरफ नहीं।

श्रीमन्, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं, कुछ ऐसी मदें हैं जिनमें प्रदेश ने काफी तरक्की की है, जैसे भूमि सुधार के मसले हैं। जितने कदम हमने इस दिशा में उठाये हैं वे दूसरे राज्यों के अनुकरणीय रहे हैं। अन्त में सीलिंग का कानून बनाया, वह भी इतनी जल्दी और इतने अच्छे तरीके से बनाया कि दूसरे राज्य उसका अनुकरण कर रहे हैं तथा हमारा कानून देश भर में अच्छा माना गया।

श्रीमन्, सहकारिता के क्षेत्र में हमने अबतक जो काम किया है वह किसी से छिपा नहीं है। लगभग ९५ फीसदी गांवों में कोआपरेटिव सोसाइटीज बन गई हैं और साधन सहकारी समितियां भी काफी बड़े पैमाने पर बन गई हैं। देश में शायद ही कहीं इतनी जल्दी सहकारिता के क्षेत्र में तरक्की हुई हो।

इसी तरह से और भी मदें हैं जिनके बारे में ब्योरे से नहीं कहना चाहता। लेकिन आपने देखा विश्वविद्यालय, विशेष कर कृषि विश्वविद्यालय, रुद्रपुर में खुला है जिसके लिये हमें फख्र होता है। परन्तु मुझे इस बात का अफसोस होता है विरोधी दल एक ही पहलू को देखता है और दूसरे पहलू को भूल जाता है। सही है कभी कोई ऐसे सुझाव आने चाहिये जिनसे हम अपनी तरक्की कर सकते हैं। यह बात भी सही है, हमारी कुछ ऐसी कठिनाइयां और विषमतायें हैं जिनसे हमारी तरक्की जितनी होनी चाहिये उतनी नहीं होती है। ऐग्रीकल्चर सेक्टर में यह बात जरूर है और मैं सोचता हूं इस पर हम सब का ध्यान होना चाहिये। इसमें हमारी खेती की तरक्की बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है और जो हमारी सरकार के सीमित साधन हैं उनसे शायद सम्भव ही न हो सके। अतः हम सब को मिल कर फाइनेन्स कमीशन से कहना चाहिये कि क्यों हमारी तरक्की गांवों में, खेती में, नहीं हो सकी है।

यद्यपि हमने बहुत बड़े पैमाने पर खेती की उपज बढ़ाने के लिये ऋण की सुविधा दी है, सिंचाई का भी प्रबन्ध किया है, लेकिन फिर भी गांवों में कैपिटल फार्मेशन की नौबत नहीं आयी है। रेट आफ सेविंग्स बहुत कम है जिससे खतरा है कि आगे चल कर इम्प्लायमेंट पोटेंशियल को बढ़ा न सकेंगे क्योंकि इनवेस्टमेंट के लिये ऐग्रीकल्चर सेक्टर में इतना धन पैदा न कर सकेंगे जिससे हमारी इकोनामी भी सेल्फ प्रापेलिंग हो जाय और हम आगे बढ़ सकें। इसलिये जितने भी दल हैं हम सब एक स्वर से ऐसा वातावरण पैदा करें जिससे केन्द्रीय सरकार, फाइनेंस कमीशन तथा अन्य संस्थायें हमारी मदद करें, हमको खेती की तरक्की के लिये अधिक धन दे सकें और हमारे इस प्रचार की ज्यादा से ज्यादा चर्चा अखबारों में, लोकल बाडीज में, हो। जिससे वातावरण बने और हम अधिक धन ऊपर से पा सकें ताकि खेती के जरिये और खुलें।

दो एक मिसाल और हैं जिनका जिक्र श्री राज्यपाल ने अपने भाषण में किया है। एक बात उन्होंने जनस्वास्थ्य के विषय में कही है और वह यह कि किस तरह से सरकार ने बहुत से अस्पतालों का निर्माण किया है और मलेरिया इरेडिकेशन स्कीम है उसके संबंध में काम किया है। यह बात माननीय सदस्यों से छिपी नहीं है कि किस तरह से जूड़ी बुखार हमारे प्रदेश में व्यापक रूप से चलता था और उससे कितनी मौतें और परेशानी होती थी, वह अब

[श्री महेशसिंह]

बहुत बड़े पैमाने पर दूर हो गयी है। पहले अस्पतालों की भी कोई सुविधा देहाती इलाकों में नहीं थी, लेकिन अब छोटे-छोटे कस्बों तक में वह सुविधा धीरे-धीरे बढ़ती चली जा रही है।

एक बात, जिसका उनके अभिभाषण में जिक्र नहीं था, उसको जोड़ दूं न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट। यह एक बहुत बड़ी समस्या है अपने प्रदेश में तथा देश के अन्य प्रदेशों में। उस पर मैं समझता हूं कि चर्चा होनी चाहिये थी। यह आप जानते है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुद्ध दूध की जो समस्या है उस पर व्यापक रूप से ध्यान दिया जाय। तीन करोड़ रुपये का तीसरी पंचवर्षीय योजना में, प्रबन्ध किया गया है।

श्री जगन्नाथ (जिला जौनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने महामहिम राज्यपाल जी के भाषण को प्रारम्भ से अन्त तक सुना। उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार के कार्यों की काफी प्रशंसा की, लेकिन उसमें बहुत-सी बातें रह गयीं। एक बहुत आवश्यक बात तो यह रह गयी जिसका कतई उसमें जिक्र नहीं था कि वर्तमान शिक्षा-पद्धति में आमूल परिवर्तन किया जायगा। राष्ट्रपति से ले कर छोटे से छोटे मंत्री तक जब सार्वजनिक सभाओं में बोलते हैं और जनता के सामने जाते हैं तो सारी गड़बड़ियों का मूल बताते हैं आज की शिक्षा-पद्धति को, लेकिन उस शिक्षा-पद्धति में क्या परिवर्तन किया जाय, यह इस अभिभाषण से विदित नहीं हुआ। यह वर्तमान शिक्षा-पद्धति ब्रिटिश शासकों की भेंट है जो कि एक स्वतंत्र देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है।

जो यह बात कही जाती है कि शिक्षा निः शुल्क होगी, वास्तव में स्थिति तो यह है कि प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क है, पर कम से कम दसवीं कक्षा तक विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिये। आज भी अपने देश में लोकतंत्र को चलाने के लिये जिस शिक्षा की आवश्यकता है वह शिक्षा प्रसारित नहीं हो सकी और राज्य के मद में जो धन व्यय किया जाता है वह शिक्षा के मद में कम व्यय किया गया।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है हमारे देश में यातायात की समस्या। महामहिम राज्यपाल महोदय ने यह कहा कि यातायात के साधनों में विस्तार किया जायगा, लेकिन ये मोटरें तथा बसें चलेंगी कहां? हमारे गांवों में सड़कों की स्थिति यह है कि उन पर साइकिल चलाना भी कठिन हो जाता है। बरसात में सड़कों पर कमर बराबर पानी भरा रहता है और रात को उन सड़कों पर चलना अत्यन्त कठिन होता है। इस तरह गांवों में सड़कों की दशा शोचनीय है। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो लखनऊ व दिल्ली की सड़कें हैं उन पर लाखों रुपया खर्च करके मरम्मत की जाती है क्यों कि विदेशी लोग हमारे देश में आते हैं तो वे देखें और समझें कि हमारी सरकार देश व प्रदेश में योजनाओं के बारे में काफी उन्नति कर रही है। लेकिन उनको यह पता रहना चाहिये कि हमारे प्रदेश और देश में अधिकांश जनता गांवों में रहती है और गांवों की सड़कें अच्छी होनी चाहिये। उनकी दुर्दशा को मिटाने के लिये जितने प्रयत्न होने चाहिये वह नहीं किये जा रहे हैं।

तीसरी बात जो सदन के सामने रखनी है वह यह है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहीं भी अपने अभिभाषण में यह नहीं कहा कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को काम दिया जायगा और जिनको काम नहीं दिया जा सकेगा उनके भोजन की व्यवस्था की जायगी। आज देश और प्रदेश के अन्दर बेकारों की संख्या बहुत बढ़ी हुई है। पढ़े-लिखे तो बेकार हैं ही गांवों में भी बेकारी की समस्या बढ़ी हुई है। इसका परिणाम यह है कि हमारे नौजवान भाई हजारों की संख्या में अपना घर-बार छोड़ कर कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली में रिक्शा चलाते रहते हैं। उनकी जवानियां रिक्शे में बीतती हैं और वे अपने परिवार से दूर फूस वगैरह में सो कर अपनी जिन्दगी काटते हैं।

इसके अलावा महामहिम राज्यपाल ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिलाया कि इस प्रदेश में स्थान-स्थान पर छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे प्रारम्भ किये जायेंगे जिससे अधिकाधिक संख्या में बेकारों को काम दिलाया जायगा। अपढ़ बेकारों की समस्या तो है ही साथ ही साथ पढ़े लिखे बेकारों की समस्या भी इस प्रदेश में विकट है। एक नौकरी खाली होती है तो हजार हजार लोग इंटरव्यू में आते हैं। यदि दस लोगों को लेना है तो एक एक आदमी की सिफारिश के लिये दो दो मंत्रियों और उपमंत्रियों की सिफारिशें आती हैं।

महामहिम राज्यपाल ने यह भी कहा कि गांवों में अस्पताल खोले जायेंगे, लेकिन उनकी एक कठिनाई है कि योग्य डाक्टर नहीं हैं। समस्या सचमुच में कुछ विकट है। शहरों में इतने डाक्टर हैं कि उनके पास मरीज नहीं हैं और गांवों में इतने मरीज हैं कि उनके इलाज के लिये कोई अस्पताल नहीं हैं। मेरे अपने जिले में जिसमें लगभग तीन लाख की आबादी है केवल एक अस्पताल है और वह भी इतनी टूटी फूटी अवस्था में है कि जनता को कोई सुविधा प्रदान करने में असमर्थ है। मेरा तो यह निवेदन है कि छोटे छोटे गांवों में अस्पताल खोलने की व्यवस्था की जाय तो लोगों को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। इसी प्रकार से जहां पर मलरिया उन्मूलन की योजना चल रही है उसमें जन-स्वास्थ्य और बीमारों की रक्षा का, प्रश्न तो वैसे ही है। ऐसा लगता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था कि इतने बेकारों को काम देंगे उनको काम देने के लिये यह योजना चलायी गयी है। जो लोग मलेरिया उन्मूलन में हाउस विजिटर्स या इंस्पेक्टर्स रखे गये हैं वे इस विषय में बहुत थोड़ा ज्ञान रखते हैं। वे अन्य रोग के रोगियों को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते। अन्य बीमारियों के इलाज के लिये लोगों को गांव से १०, १५ और २५ मील तक जाना पड़ता है। उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वे इतनी दूर जा कर अपना इलाज करा सकें। किसानों की हालत गिरती चली जा रही है और इस समाजवादी व्यवस्था में जो गरीब हैं वह निर्धन होता चला जा रहा है और जो कुछ थोड़े से पूंजीपति लोग हैं उनके पास धन इकट्ठा होता जा रहा है। इस प्रकार से यह जो वृहत मन्त्रिमण्डल बनाया गया है उसके चलाने के लिये जो पैसा व्यय होगा वह हमारे प्रदेश की गरीब जनता की कमर तोड़ेगा जिसका परिणाम यह होगा कि उनका जीवन स्तर ऊपर न उठकर नीचे गिरेगा। मैं इन शब्दों के साथ विरोधी दल के माननीय नेता के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री सत्यवीर कुंवर (जिला बिजनौर)—मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री जगदीशशरण अग्रवाल जी के महामना राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये यह निवेदन करता हूं कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने यह आलोचना की है कि सरकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है जो न्यायसंगत नहीं है। सदन में विरोधी दल की बढ़ती हुई संख्या उनकी निष्पक्षता का भारी प्रमाण है। यदि सरकारी कर्मचारी कांग्रेस के साथ पक्षपात करते तो निःसन्देह दल के कुछ मन्त्री, उप मन्त्री और प्रधान कदापि चुनाव नहीं हारते। वास्तव में स्थिति आलोचना के सर्वथा विपरीत है। हमारे कांग्रेसी मण्डल और जिला स्तर के कार्यकर्त्ताओं को भारी शिकायत है कि शासन में सत्तारूढ़ होते हुये भी उनकी कोई आवाज नहीं है। किन्तु स्वस्थ जनतन्त्र के लिये प्रशासकीय कार्यों में दल विशेष का कोई दखल नहीं होना चाहिये।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि स्वस्थ जनतन्त्र की नींव को सुदृढ़ करने के हेतु हमें केवल आलोचना के लिये आलोचना नहीं करनी चाहिये। इसके विपरीत चुनाव में कुछ दलों की ओर से साम्प्रदायिकता, जातीयता तथा अन्य प्रतिक्रियावादी हथियार अपनाये गये जिससे हमारे गणतन्त्र को भारी क्षति पहुंची है जो इस पवित्र सदन की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्यवीर कुंवर]

आधारशिला है। इस विषय को निर्मूल करने के लिये हम सभी को प्रयत्न करने चाहिये, अन्यथा हमारा यह गणतन्त्र राज्य जो हमारी अनमोल निधि है, खतरे में पड़ जायगा।

विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीति की भारी आलोचना की है। किन्तु क्या यह सत्य नहीं है कि १३ वर्ष के इस अल्पकाल में हमारे भूमि सुधारों के कारण हमारे ग्रामों की आर्थिक स्थिति में काफी उन्नति हुई है।

श्री अधिष्ठाता---आप लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते हैं।

श्री सत्यवीर कुंवर---क्या शिक्षा प्रणाली में, विशेषकर पिछड़ी हुई जातियों की कोई तरक्की नहीं हुई ? क्या स्वास्थ्य सेवा की तरक्की नहीं हुई ? क्या यह सही नहीं है कि गांवों में कच्चे गलियारों के स्थान पर पक्के खड़ंजे नजर आते हैं. कच्चे मकानों के स्थान पर पक्के और सुन्दर मकान नजर नहीं आते और क्या यह सत्य नहीं है कि गांवों में जहां प्रकाश के लिये टिमटिमाती चांदनी या चिराग का सहारा लेना पड़ता था वहां चमचमाते लैम्प और लालटेन, गैस की लालटेन और कहीं कहीं बिजली नजर आती है, लेकिन इतने से ही सन्तोष नहीं किया जा सकता है।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमने बहुत तरक्की की है। हमने कहीं कहीं तरक्की कम भी की है। उसका विशेष कारण यह है कि हमारी आय बहुत कम बढ़ी है। जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है। फाइव इयर प्लांस में हम और प्रान्तों से बहुत पिछड़े हुये हैं। मैं एक सुझाव मन्त्रिमण्डल के सामने प्रस्तुत करूंगा। वह यह है कि यद्यपि हमारे प्रान्त में कृषि की तरफ विशेष सुधार हुआ है किन्तु औद्योगीकरण में हम लोग बहुत पीछे हैं। उसका कारण यह है कि हम लोगों ने कोई उपयुक्त वातावरण नहीं बनाया। उपयुक्त औद्योगिक वातावरण के लिये आवश्यक है कि हमारे पास चीप लेबर, चीप इलेक्ट्रिसिटी और चीप लैंड होना चाहिये। मिर्जापुर जिले में बढ़िया किस्म का कोल उपलब्ध है। अगर इसकी तरफ ठोस कदम उठायें तो हमारा प्रान्त अवश्य औद्योगीकरण में आगे बढ़ जायगा। जब औद्योगीकरण होगा तो आय भी बढ़ेगी। जब आय बढ़ेगी तो आर्थिक स्तर भी ऊंचा होगा।

दूसरे आरोप हमारे विरोधी दलों के माननीय सदस्यों ने यह लगाया है कि हमारा मंत्रिमण्डल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, किन्तु मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अधिक बढ़ जाने से कोई खास हानि तो नहीं हुई है। सबसे बड़ा आरोप यह किया गया कि कुछ गुटों को सन्तुष्ट करने के लिये मन्त्रिमण्डल बढ़ाया गया है। सवाल गुटों को सन्तुष्ट करने का नहीं है, बल्कि यह है कि प्रशासन को चलाने के लिये उपयुक्त मंत्रिमण्डल बनाना चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय नेता श्रद्धेय श्री गुप्त जी इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये जिससे सुन्दर प्रशासन हो एक सुदृढ़ और एक उपयुक्त संख्या का मन्त्रिमण्डल बनाया है। इसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं।

हमारे विरोधी दल के सदस्यों ने उन साहसिक कदमों का उल्लेख नहीं किया जो हमने उठाये हैं पंचायतों में, लैंड सीलिंग आदि में, जिसके द्वारा हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी को सफल करने जा रहे हैं। आज विरोधी सदस्यों से मैं प्रार्थना करूंगा कि इन योजनाओं में आकर सहयोग दें, जिससे हमारा प्रान्त आगे बढ़ सके। मैं अन्त में श्री जगदीशशरण अग्रवाल के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री शिवचरण (जिला आगरा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में जो हरिजनों की बात कही गई है वह केवल एक धोखा है। हरिजनों में बहुत से भाग जुटे हुये ह, लेकिन हरिजनों का वह भाग जिसको भंगी या वाल्मीकि कहते हैं, क्या वह अभी उन्हीं परतन्त्रता की जंजीरों में नहीं पड़ा हुआ है ? उनकी दशा सुधारने के लिये

सरकार ने क्या १५ साल से कोशिश की है? आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से वाल्मीकि बहुत पिछड़े हुये हैं।

सन् १९५७ में जब मैं सोशलिस्ट पार्टी आन्दोलन के सिलसिले में जेल में था तो मैंने अखबारों में पढ़कर अत्यन्त खेद प्रकट किया कि जिस झोपड़ी में महात्मा गांधी ने अपने जीवन को बिताने की प्रतिज्ञा की थी उसी झोपड़ी का रहने वाला भूपसिंह वाल्मीकि गोली का शिकार हुआ। अभी मथुरा में हमारे नौ दस साथी जिनको वाल्मीकि मेहतर कहा जाता है जेल के सीकचों में बन्द थे, जमानत कर दिया है उनपर मुकदमा चलाया जा रहा है। उनकी बहनें, महतारी, बच्चे भूखे सड़कों पर डोल रहे हैं। वह पेट की मांग कर रहे थे यही क्या उनका जुर्म है? सोशलिस्ट पार्टी ऐसे गरीब समुदाय का हित करने वाली है। उसके नेतृत्व में मैं आपके सामने उनकी वकालत कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इनको उठाने का सरकार ने कोई सक्रिय कदम उठाया है?

यह रामराज्य लोग कहें, यहां रोटी रोजी नाहिं।
तन ढकने को लाठी मिले, भूखे गोली खांय।

यह राज्य है। यह राज्य है जो कथनी और करनी में अन्तर करने वाला है। सरकार के मन्त्रियों के मुख से और सरकार के अखबारों द्वारा केवल इनका उद्धार हो रहा है, लेकिन अमल में कुछ भी नहीं लाया जा रहा है। क्या मैं गांवों की हालत के ऊपर आपके सामने ऐसी नजीर पेश करूं कि जहां पानी के प्यासे वाल्मीकियों के बच्चे, बहनें, बेटियां उन गांवों के कुओं पर सारे सारे दिन बैठी रह जाती हैं और पानी नहीं मिलता है। सरकार कहती है कि हरिजन उद्धार हो रहा है। सोशलिस्ट पार्टी किसी वक्त सक्रिय कदम उठाने के लिये बाध्य होगी अगर इनकी आवाज को सरकार ने नहीं सुना। आज वह बेकारी के शिकार हो रहे हैं। इनके इण्टरमीडिएट तक पढ़े लिखे शहर के कुछ चन्द लड़के भी बेकारी के शिकार हैं। उनको काम में लगाने के लिये कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। क्या कहें और किससे कहें। जो कुछ इनको सुविधा देने के नाम पर लूट हो रही है वह कुछ चन्द पढ़े हुये हरिजन उन सुविधाओं को लूट कर रहे हैं। वाल्मीकि, मेहतर कहलाने वाले उससे वंचित ही हैं। हमारा पिछला इतिहास, पिछला साहित्य, पिछली परम्परा हमें जागृत करती है—

कपिल मुनि थे कौन धनी, शंकर शास्त्र की गाई कि नां?
वाल्मीकि की जाति बताओ शूद्र रामायण बनाई कि नां?
भरद्वाज को शिष्य रखने ब्राह्मण की पदवी पाई कि नां?
वशिष्ठ मुनि की माता कौन थीं जिनने राम की सेवा कराई कि नां?
विद्यावती नृप भोज की कन्या कालिदास को ब्याही कि नां?
कर्म प्रधान विश्व करि रखा फिर भी समझ में आई कि नां?

तो यह हठधर्मी छोड़िये आज यह नक्शा है महात्मा गांधी वाले राज्य का। बापू जी क्या कहा करते थे? उन्होंने हरिजनों और वाल्मीकियों को सुधारने के लिये पूरे जीवन की बाजी लगा दी थी। उन्हीं की झोपड़ियों में रह रह कर उन्होंने अपना जीवन बिताया था। आज उन्हीं की यह दशा हो रही है कि जहां देखिये वहां वे भूखे फिर रहे हैं। झोपड़ियों में उनके लिये रहने की जगह नहीं है और पक्के मकान की बात की जाती है। जनसंघ को छोड़कर सभी पार्टियां आज जाति पांति को हटाकर अछूतों का उद्धार करने की बात कहती हैं। लेकिन अभी तक वह बेचारे उसी परतन्त्रता की जंजीर से जकड़े पड़े हैं। मथुरा के हमारे कुछ साथी जो जेल में सड़ रहे थे अब जमानत पर रिहा हैं। क्या मैं यह उम्मीद करूं कि उनके ऊपर से मुकदमा वापस लिया जायगा? मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य जो कुछ सुविधा प्राप्त करने का यहां प्रसंग चल रहा है उससे बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन जनता ने मुझे यहां भेजा है, जनता की बात मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं। ९८ हजार जनता

[श्री शिवचरण]

का समर्थन प्राप्त करके मैं यहां पर आया हूं। सिरसा और सेंगर नदियों ने हमारे उन ग्रामों को बरबाद कर दिया है। कच्चे पक्के मकान सब गिर रहे हैं, पूरे ग्राम के ग्राम बरबाद हो रहे हैं और माननीय सदस्य यहां कहते हैं कि ग्राम तरक्की कर रहे हैं। वहां से शहरों में आ आकर वह बेचारे किसी तरह अपना जीवन बिता रहे हैं। वे यहां आकर रिक्शा चला रहे हैं। तो क्या यह सरकार गरीबों का उद्धार करेगी? किसानों के लाभ के लिये आप कहते हैं कि वहां गांवों में उनकी सहायता के लिये बहुत से काम किये जा रहे हैं और लगान भी कम नहीं किया गया है। लेकिन जब गांव में आग लगती है तो वह गांव के गांव जलाती चली जाती है और उसके बुझाने के लिये कोई इन्तजाम नहीं होता। सब चिल्लाते हैं कि भूखे को रोटी मिले पर उसको रोटी कहां मिलती है? हमारी सरकार कहती है कि यह राम राज्य है पर यहां तो हालत यह है कि "राम राज्य बाको कहें रोटी कपड़ा नाय, तन ढकवे लाठी मिले और भूखे गोली खांय"। अगर सरकार से कोई रोटी मांगेगा तो उसको जेल भेज दिया जायगा। यह यहां का हाल है। पता नहीं इस सरकर की नैया पार होगी या बीच में ही डूब जायगी।

सोशलिस्ट पार्टी बार-बार मांग करती चली आई है कि गांव में ६ एकड़ या १० एकड़ जमीन पर लगान न लिया जाय। जब तक देश में इस तरह की दशा है कि ऐसे लोगों की कम आमदनी होती है और भरपेट खाने को नहीं है तब तक उनसे लगान न लिया जाय और छोटी जोत से लगान उठा लिया जाय। मगर हमारी सरकार उन बातों को सुनने के लिये तैयार नहीं है। पहले जो लगान में छूट ३ आना दी गई थी उसको भी सरकार ने वापस ले लिया है। एक बार इस विधान सभा के मन्त्री ने छूट दी तो उसको फिर वापस ले लिया गया। इसका परिणाम यही होगा कि प्रदेश के अन्दर अराजकता फैलेगी और प्रदेश के किसान तंग आकर अपनी बुनियादी मांगों को लेकर सरकार के विरुद्ध आन्दोलन करने क लिय तयार होंग। इन्हीं बुनियादी बातों को लेकर १९०६ में महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में आन्दोलन चलाया था। हमारे देश में भी सोशलिस्ट पार्टी सन् १९४९ से १९६० तक बराबर यह चिल्लाती आ रही है कि किसानों के साथ इन्साफ किया जाय और उनको लगान में छूट दी जाय मगर यह सरकार कोई बात सोशलिस्ट पार्टी की सुनने के लिये तैयार नहीं है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सोशलिस्ट पार्टी ने अंग्रेजों के जमाने में बगावत की और उसी प्रकार से हम कहते हैं कि अंग्रेजी के लिये भी हम बगावत करते हैं, लेकिन हमारे भाई कहते हैं कि अंग्रेजी में यहां पर कारोबार जरूर किया जायगा। अब तो इन नेताओं की बात ही बदल गई है। ये अब झोपड़ी से नफरत करते हैं और बंगलों में रहते हैं।

कबहुंक गधैयन पर न बैठे अब कारन में दौड़ रहे,
देशी नेता मजदूरन से डैमफूल कर बोल रहे।

आज तो मजदूरों से इस तरह से कहकर बात की जाती है। यह नकशा है इस सारे देश का। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आन्दोलन किया था और उनके शासन से नफरत करते थे, लेकिन उन लोगों से वह नफरत नहीं करते थे। इनको तो उनके कामों से नफरत थी। उनसे व्यक्तिगत कोई नफरत नहीं थी। आज सरकार को मजदूर और गरीब किसानों की बात सुनने में कठिनाई होती है। आज इस राम राज्य में चारों तरफ यही नारा सुनाई पड़ता है कि—

"डाकू रहजन चोर ठग जम जेलर जल्लाद,
राम राज्य में हो गये ये सातों आजाद"।

आजादी किसको मिली है? आजादी इनको मिली है या अपना काम अच्छी तरह से देश के अन्दर कर रहे हैं। झोंपड़ी में रहने वाला तो वैसे ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है और उसी तरह से जंजीर में कसा पड़ा हुआ है।

श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)---अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन के प्रति जगदीशशरण जी अग्रवाल द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव के पक्ष में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुना और बहुत से माननीय सदस्यों के कथनों को भी सुना। उसी विषय पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय विरोधी दल के नेता ने धन्यवाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में भी कुछ विचार रखना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय न अपने सम्बोधन के आरम्भ में ही इस बात को स्वीकार किया है कि समय अभाव के कारण सारी नीति कार्य विधि और योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा करना सम्भव नहीं है। केवल मुख्य-मुख्य, महत्व के प्रश्नों या विषयों पर ही मैं चर्चा करूंगा जिनमें कि माननीय सदस्य रुचि रखते हैं। इसके बाद कोई माननीय राज्यपाल के भाषण को यह समझे कि वह पूरी सूचनाओं का, नीतियों का या योजनाओं का विश्वकोष है, इंसाइक्लोपीडिया है, यह उचित न होगा। उन्हें समझना पड़ेगा कि जिन परिस्थितियों में यह अभिभाषण होता है उसका कुछ मूल मन्तव्य होता है और उसी क तहत में हमें इसपर विचार करना चाहिये। जो प्रस्ताव आया है उसमें जितने भी संशोधन उपस्थित किये गये हैं उन सभी में यह कहा गया है कि चुनाव यन्त्र ने निष्पक्ष आचरण नहीं किया। इस सम्बन्ध में मुझे चन्द बातें निवेदन करनी हैं।

निर्वाचन मशीनरी किस के द्वारा संचालित होती है, उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसके नियम क्या हैं, इन सब का विचार भी हमारे विरोधी पक्ष के और अन्य माननीय सदस्यों को करना होगा। निर्वाचन मशीनरी के अधिकारी निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति करते हैं और यह संस्था किसी प्रशासन अधिकारी के अधिकार में नहीं है। यह एक स्वतंत्र संस्था है, जैसी कि हमारी न्यायिक संस्था है उसी प्रकार की। इसके नियन्त्रग और संरक्षण में प्रदेश और जिला स्तर पर निर्वाचन अधिकारी काम करते हैं। जिलाधीश, परगनाधीश या अन्य अधिकारी जो कार्य करते हैं वह निर्वाचन आयुक्त के नियन्त्रण और संरक्षण में कार्य करते हैं और उससे उनके प्रशासनिक कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। वह रिटर्निंग अफसर, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर या पोलिंग अफसर आदि के रूप में कार्य करते हैं और निर्वाचन आयुक्त के अधीन रहते हैं। तो प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने कोई ऐसा गुप्त आदेश भेजा या कोई सरकार की ऐसी नीति थी कि जिसके अनुसार यह निर्वाचन मशीनरी जो सत्तारूढ़ दल ह उसके पक्ष में कार्य करे और विरोधी पक्ष के विरुद्ध काम करे? निर्वाचन प्रारम्भ होने के पूर्व ही यह परम्परा है कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जाता है और बहुत से कार्यों में, मतदाता सूची के निर्माण में, उसके प्रकाशन में तथा अन्य जो कार्य निर्वाचन के सम्बन्ध में होते हैं, उनमें उनकी राय ली जाती है और उन्हें विचार विमर्श का पूरा अवसर दिया जाता है और तब उन पर कोई अन्तिम निर्णय लिया जाता है। इस मशीनरी ने ठीक प्रकार से कार्य किया अगर उनमें रिक्तता थी तो कहते कि सरकार ने ऐसे नियम बनाये कि जो उसके पक्ष में गये और उनको संशोधित करने की आवश्यकता है। सारे नियम आपके सामने थे और उनके अन्तर्गत इस मशीनरी ने काम किया। एक कर्मचारी अच्छा या बुरा काम कर सकता है, एक अधिकारी या कर्मचारी जो काम करता है उससे किसी को असन्तोष हो सकता है, किन्तु उसके लिये आचरण संहिता है और उसके लिये उसको दंडित किया जा सकता है। कितना ही बड़ा या छोटा कर्मचारी क्यों न हों, सभी के लिये आपको अधिकार है कि यदि वह अपने कर्त्तव्य से च्युत होता है तो दंडित किया जा सकता है। किन्तु वे सब अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरूक रहे और उन्होंने ठीक से काम किया है। मैं माननीय सदस्यों से, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकारी मशीनरी पर या समस्त कर्मचारियों पर यह आरोप लगाया गया कि वे किसी प्रलोभनवश या लालचवश अपना काम करते हैं तो यह बड़ी अशोभन बात होगी। अगर हम उनके आचरण के प्रति शंका करते हैं तो यह सम्पूर्ण यन्त्र के प्रति असम्मानपूर्ण बात होगी। नियमों

[श्री बेचनराम]

में, या हमारी नीतियों में कोई कमी रह गई हो, हमने कोई आदेश, कोई गोपनीय पत्र आदि के रूप में किसी अधिकारी को कोई सलाह दी हो, अगर ऐसी कोई चीज सामने रखी जाती तो उस पर विश्वास किया जाता। ऐसी कोई चीज नहीं है और इस कारण जो यह आक्षेप विरोधी सदस्यों द्वारा किया गया है वह तथ्यों के आधार पर नहीं है।

दूसरी बात कही गई कि राज्य सरकार की प्रशासनिक क्षमता दिन प्रति दिन घटती जा रही है इसके सुधार के लिये सक्रिय कदम उठाने का कोई उल्लेख नहीं है। क्या माननीय सदस्य का मतलब उस प्रशासनिक क्षमता से है जिसके अनुसार अधिकारियों को एकतन्त्रीय अधिकार थे, जब कि अधिकारीगण जनता के प्रतिनिधियों से या जनता से मिलने से इनकार कर दिया करते थे और जनता के दुख-दर्द को सुनते तक नहीं थे, जिनके कहने पर गोली चल जाया करती थी और हमारी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता थी ही नहीं? आज आप देखते हैं कि गैर सरकारी प्रतिनिधियों को, गांव स्तर पर, कितने अधिकार दिये गये हैं, कितने पद दिये गये हैं। वे लोग ग्राम पंचायत के प्रधान होते हैं, क्षेत्रीय समितियों के सदस्य होते हैं और सरकारी कर्मचारीगण उनसे परामर्श लेते हैं। तो जब ऐसा है तो सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार में, प्रशासन में, जरूर अन्तर आवेगा और उसको देखने के लिये हमें अपने दृष्टि-कोण को बदलना होगा। अगर आप अपने दृष्टिकोण को बदलकर देखें तो आपको जरूर यह मालूम होगा कि पहले से आज सरकारी कर्मचारियों में प्रशासनिक दक्षता बहुत बढ़ी है। आज इस बात का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि प्रशासन का प्रसार गांव-गांव में हो और अच्छे से अच्छे कर्मचारियों को लाया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता--आपका समय समाप्त होने पर है, आप शीघ्र एक मिनट में अपना भाषण समाप्त कर लें।

श्री बेचनराम--तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से तहसीलदार, बी० डी० ओज, कलेक्टर, तथा अन्य कर्मचारी गैर सरकारी प्रतिनिधियों से परामर्श करके कार्य करते हैं उससे प्रशासनिक क्षमता बढ़ी है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, तथा माननीय सदस्यगण.....

श्री अधिष्ठाता--आप केवल माननीय चेयर को ही सम्बोधित कर सकते हैं।

श्री सत्यनारायण पांडेय--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी दल के बहुत से सदस्यों ने इस बात की आलोचना की है कि इस मंत्रिमंडल के गठन से खर्चा बहुत बढ़ गया है और उसका गठन बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन मैं एक विरोधी दल का होते हुए भी इसके लिये मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और वह इसलिये कि उन्होंने अपने इतने बड़े मंत्रिमंडल का गठन करके कम से कम आपसी फूट को, जो बहुमत दल में थी, खत्म किया क्योंकि उसका बहुत बुरा असर प्रशासन पर पड़ रहा था। इसको उन्होंने रोका इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। अगर भविष्य में यह चीज रुकी रहे। मैं यह नहीं कहता कि सत्तारूढ़ दल सदा रहे, किन्तु जब तक वे सत्ता में है तब तक अगर आपसी फूट रुकी रहे तो उससे प्रदेश का बड़ा कल्याण हो सकेगा। इसलिये यदि भविष्य में फिर खींचातानी नहीं होती है तो इसके लिये भले ही जनता के खर्चे पर वह ऐसा करें, मैं और क्या कहूं उनको धन्यवाद ही दूंगा।

हमारे महामहिम राज्यपाल के भाषण में समाजवादी व्यवस्था की चर्चा की गयी है कि वह प्रदेश में समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं। हमारी सरकारी पार्टी के एक माननीय सदस्या ने कहा कि समाजवाद लाने के लिये आमदनी में जो विषमता है उसको दूर करना पड़ेगा। मैं जानना चाहूंगा कि जो आज की तनख्वाहों में विषमता है, एक चपरासी और एक पुलिस के कर्मचारी की तनख्वाह और मंत्रिमंडल के बड़े-बड़े सचिवों की तनख्वाह में कितना

अन्तर है ? आप बुनियादी तौर पर कुछ नहीं करते। यदि अपने कर्मचारियों में जो तनख्वाहों की विषमता है उसको दूर करने के लिये एक नवीन वेतन आयोग की बात होती तो मैं जरूर समझता कि राज्यपाल सचमुच समाजवादी व्यवस्था चाहते हैं। लेकिन जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि वेतन में १ और १० से अधिक अन्तर न हो और कम से कम सौ रुपया तनख्वाह हो उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज भी चपरासी और पुलिस वालों की तनख्वाह ५०–६० रुपया है जब कि ऊंचे पदाधिकारियों की तनख्वाह दो हजार और ढाई हजार रुपया है। यदि आप में समाजवादी व्यवस्था के प्रति इमानदारी है तो उत्तर में विश्वास दिला दें कि कम से कम तनख्वाहों की विषमता को दूर करेंगे तो मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि धन्यवाद के प्रस्ताव को एकता से पास हो जाने दें। लेकिन मैं जानता हूं कि सरकार ऐसा नहीं करेगी। यह जो कहा जाता है कि समाजवादी व्यवस्था की ओर सरकार सजग है यह केवल नारा है। जो बातें चली आ रही हैं वही चलेंगी।

दूसरे हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में शासन के विकेन्द्रीकरण की चर्चा की है, मैं अदब से कहना चाहता हूं कि यह जिस ढंग से किया जा रहा है उससे वह न हो तो अच्छा है। विकेन्द्रीकरण की तीन सीमाएं हैं। पहले प्रदेशीय शासन है, उसके बाद जिला परिषद आवेंगी, फिर क्षेत्र समितियां और गांव सभाएं आवेंगी। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि गांव पंचायत को जब तक आप अपने राजस्व का एक चौथाई हिस्सा नहीं देंगे तब तक यदि आप यह समझें कि हमारे शासन की यूनिट पंचायत ठीक काम कर सकें, तो वह नहीं कर सकती। वह टैक्स लगाती है एक आना रुपया और मुश्किल से सौ, डेढ़ सौ रुपया आमदनी गांव पंचायत को होती है, तो कैसे आप आशा कर सकते हैं कि वह बुनियादी यूनिट की जो शासन का है उसकी तरक्की हो और वह ठीक काम कर सके। इसके लिये यदि आप इमानदार हैं तो अपने राजस्व का एक चौथाई भाग आपको पंचायत को देना पड़ेगा। यही हालत जिला परिषदों की है। एक सदस्य के नाते मुझे थोड़ा सा अनुभव है और मैंने देखा है कि हमारी जो जिला परिषदें हैं, उनके अध्यक्ष हैं, वह इमानदारी से चाहते हैं कि शिक्षा अच्छी हो, लड़कों के लिये टाट की व्यवस्था हो, शिक्षा का सही स्तर हमारे जिलों में कायम हो, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वह कुछ नहीं कर सकते।

इसी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह भी कहा गया है कि सरकार ढाई हजार रुपया नवीन स्कूलों को दे रही है। लेकिन इस पंचवर्षीय योजना में जो स्कूल खुल रहे हैं यह उनके लिए ढाई हजार की बात है, मैं जानना चाहता हूं कि जो हमारे स्कूल इतने दिनों से खुले हैं, जो जर्जर अवस्था में हैं, विद्यार्थी धूप में पढ़ते हैं, टाट पर नहीं बैठते, भूमि पर बैठते हैं, उनके लिये कितने अनुदान दिये जाते हैं ? जब तक उन अनुदानों को नहीं बढ़ाया जायगा तब तक कार्य नहीं चल सकता, क्योंकि जिला परिषद् में टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है, जिला परिषद् सरकारी आमदनी पर निर्भर करती है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि पंचायतों को और जिला परिषदों को सरकार अनुदान की मात्रा बढ़ावे तभी शिक्षा की और विकेन्द्रीकरण की जो कल्पना की जाती है वह पूरी हो सकती है।

दूसरी बात यह है कि विकेन्द्रीकरण की यूनिट जिला परिषद् के कर्मचारियों और कलेक्टोरेट वगैरह के कर्मचारियों की तनख्वाह में जो अन्तर है या सेक्रेटेरियट वगैरह के कर्मचारियों की तनख्वाहों में जो अन्तर है, वह दूर होना चाहिये। माननीय राज्यपाल महोदय ने इस बात की ओर कोई संकेत अपने अभिभाषण में नहीं किया है। इन बातों के अभाव में विकेन्द्रीकरण करने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। पंचायतों को आपने अधिकार दे दिया है, लेकिन वह बजट पास नहीं करते हैं। सेक्रेटरी गांवों में जाता है और फर्जी तौर पर रजिस्टर में कार्यवाही लिख कर बजट पास कर दिया जाता है। यह बात नहीं है कि मैं विकेन्द्रीकरण के खिलाफ हूं, विकेन्द्रीकरण का सभी समर्थन करते हैं और इस सरकार की जो नीतियां हैं वह सब बुरी नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से सरकार उनको कार्यान्वित करती है उससे हमको सन्देह होने लगता है।

[श्री सत्यनारायण पांडेय]

श्रीमन्, जहां तक राजस्व विभाग का संबंध है, आज प्रदेश का किसान राजस्व विभाग के कर्मचारियों के कारण पीड़ित है। यहां से आदेश दिये गये कि जिन बागों की नबैयत खत्म हो गई उन पर लगान लगाया जाय, लेकिन मेरी तहसील में सारे बागों पर लगान लगा दिया गया। जब हम लोगों ने आन्दोलन किया और तहसील पर घेरा डाला तब परिणाम स्वरूप कागजात की दुरुस्ती हुई और ७०० बागों पर से गलत लगान को खारिज किया गया। लेकिन आज भी सैकड़ों केसेज हैं, तहसीलदार कहते हैं कि दरख्वास्त दो और हम कहते हैं कि कोई एक अधिकारी नियुक्त किया जाय जो फिर से असेसमेंट करे, सारे किसानों को नोटिसें दी जायं और तब अन्तिम रूप से लगान तय किया जाय। ७-८ साल का जो गलत लगान वसूल कर लिया गया है किसानों से, जिसको इस साल खारिज किया गया वह वापस किया जाय।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि आज भी देहातों में आने-जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि रोडवेज की तरह से नदियों में मोटर बोट चलाई जायं। गंगा जमुना पर मोटर बोट चलाई जायं। मैं आशा करता हूं कि माननीय परिवहन मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त।

श्री श्रीराम (जिला उन्नाव)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामान्य राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। विरोधी दल के सदस्यों द्वारा सब से अधिक माननीय राज्यपाल द्वारा निष्पक्ष निर्वाचन के संबंध में राजकीय कर्मचारियों की प्रशंसा पर आक्षेप किया गया है....

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य कृपया दूसरे माइक पर चले आयें, वह माइक ठीक नहीं मालूम पड़ रहा है।

श्री श्रीराम—राजकीय कर्मचारियों की निर्वाचनों में निष्पक्षता इसी से साबित होती है कि इतनी बड़ी संख्या में विरोधी दल के सदस्य चुन कर इस सदन में आये हैं। निर्वाचनों की निष्पक्षता में अगर कोई रुकावट आई भी है तो वह विरोधी दलों के उम्मीदवारों की ओर से ही आई है। मैं अपने अलोतर निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बताऊंगा कि वहां कितने ही झगड़े हुए और वे झगड़े विरोधी दलों के कार्यकर्त्ताओं के बीच हुए। जैतीपुर में जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के बीच झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और मतों को प्राप्त करने के लिये आतंकवादी नीति का सहारा लिया गया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबद्ध हसनगंज क्षेत्र में भी इसी प्रकार का झगड़ा जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी में हुआ और जनसंघ के कार्यकर्ताओं द्वारा आतंक से मत प्राप्त करने की कोशिश की गयी।

जब इस प्रकार से विरोधी दलों के उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के द्वारा जनतंत्र को खतरा पैदा हो रहा था, उस समय अगर शासन की ओर से कोई सख्ती की जाती तो यह आवाज लगायी जाती कि चूंकि कांग्रेस सत्ताधारी दल है इसलिये उसने राज कर्मचारियों से इस प्रकार की सख्ती करायी है और विरोधी दलों के उम्मीदवारों को दबाने की कोशिश की गयी है। मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करूंगा कि भविष्य में अगर इस प्रकार की चीज कहीं हो तो, चाहे वह किसी भी पार्टी की ओर से क्यों न हो, उन आतंकवादियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

इसके अतिरिक्त माननीय विरोधी दल के सदस्यों की ओर से भ्रष्टाचार पर भी बहुत जोर दिया गया। इस संबंध में सबसे अधिक चकबन्दी के बारे में कहा गया। जहां तक मैं समझता हूं चकबन्दी में भ्रष्टाचार की पूरी-पूरी जिम्मेदारी विरोधी दलों के ऊपर है और उन विरोधी दलों के ऊपर है जिन्होंने पहले तो यह आवाज दी कि चकबन्दी खराब है और यह चल नहीं सकती। इस प्रकार से पहले तो जनता को उन्होंने इसके विरुद्ध किया, उनके दिलों में

चकबन्दी के प्रति घृणा उत्पन्न की और बाद में जब चकबन्दी योजना शुरू हुई तो सबसे पहले उससे लाभ उठाया गया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सन् १९५७ में चुनाव के समय कम्युनिस्ट पार्टी ने यह प्रचार किया कि यह चकबन्दी योजना खत्म हो जायगी और इससे किसानों का अहित है। बजाय इसके कि वे उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को खराब बताते उन्होंने चकबन्दी को ही खराब बताया। वह केवल इसलिये किया ताकि वे कांग्रेस के खिलाफ मत प्राप्त कर सकें। लेकिन जब चकबन्दी लागू हुई तो यह देखकर कि उनकी कथनी असफल रही सबसे पहले उन विरोधी दल के लोगों ने अपने चक बनवाये और खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही सामने आये और उन्होंने कोशिश की कि चकबन्दी से लाभ उठाया जाय। अगर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में देखा जाय तो आपको मालूम होगा कि वहां के कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ताओं ने अच्छे-अच्छे चक बनवा लिये हैं और बेचारे गरीब किसानों का नुकसान हो गया है। इस प्रकार उनको कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं द्वारा नुकसान पहुंचा जिन्होंने किसानों के ध्यान न देने के कारण अपने अच्छे से अच्छे चक बनवा लिये। अगर गरीबों को नुकसान पहुंचा है तो वह विरोधी दल के लोगों से ही पहुंचा है।

एक सदस्य—श्रीमन, माननीय सदस्य प्रस्ताव पर ही बोलें तो अच्छा है, वे असंगत भाषण कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्री श्रीराम—यह हर्ष का विषय है कि महामहिम राज्यपाल ने इस बात को महसूस किया कि इस राज्य में दूसरे राज्यों से चकबन्दी पर व्यय कुछ अधिक है और उन्होंने इस बात को अपने संबोधन में रखा कि आगे चकबन्दी योजना के खर्च में अवश्य कमी की जायगी।

विरोधी दल के माननीय सदस्यों द्वारा एक चीज और कही गयी है और वह यह कि पिछड़ी जाति के लोगों को सुविधायें नहीं दी जा रही हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब विरोधी दल के लोग खासकर दाद देते हैं कि जातिवाद के आधार पर कोई काम नहीं होना चाहिये, तो फिर जातिवाद के आधार पर सुविधाएं क्यों मांगी जाती हैं। क्या जातियों के आधार पर ही सोचा जायगा कि कौन सी जाति पिछड़ी हुई है और क्या उसी आधार पर सुविधायें मांगी जानी चाहिये? मेरे खयाल से तो अब परिस्थितियों के आधार पर वर्ग बनने चाहिये। चाहे किसी जाति के लोग हों, लेकिन अगर वे निर्धन हैं तो उनको वे सुविधायें प्राप्त होनी चाहिये। सारी सुविधायें जातिवाद के आधार पर न होकर वर्ग के अधार पर होनी चाहिये।

यह बड़े ही हर्ष की बात है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने संबोधन में बाढ़ के संबंध में प्रकाश डाला और इस बात को महसूस किया कि इस प्रदेश की जनता बाढ़ ग्रस्त है और उन्होंने घोषित किया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में बाढ़ के संबंध में काफी व्यवस्था की जायगी। हमारे जिले उन्नाव में गंगा और सई की बाढ़ से हजारों बीघे की फसल हर साल बर्बाद हो जाती है। बड़ी नदी होने की वजह से गंगा की तरफ तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन सई चूंकि छोटी नदी है इसलिये उसकी बाढ़ की तरफ कम ध्यान जाता है। सई नदी की बाढ़ से सैकड़ों लोग हर वर्ष बे घरबार हो जाते हैं और हजारों बीघे फसल नष्ट हो जाती है।

विरोधी दल के माननीय सदस्यों द्वारा मंत्रिमंडल की वृद्धि के संबंध में भी कहा गया है और उसमें सबसे बड़ी बात यह कही गयी है कि इससे खर्च में ज्यादा वृद्धि हो जायगी। अधिष्ठाता महोदय, भारतीय संविधान के अन्तर्गत विधान सभा के बहुसंख्यक दल के नेता को यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छानुसार सरकार बनावे और यह उसका आउटलुक है कि मंत्रिमंडल के सदस्य अधिक होने चाहिये या कम होने चाहिये। अगर सरकार के कम सदस्य हैं और विभागों में वृद्धि हो गयी है तथा काम का बोझ अधिक बढ़ गया है जिससे मंत्रिमंडल के सदस्यों को काम करने में बाधा पड़ती है तो ऐसी हालत में अगर वृद्धि हो जाती है तो यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में सदस्यगण आलोचना करें। अगर इस बात पर जोर दिया जाता है कि

[श्री श्रीराम]

इसके खर्चे में वृद्धि होती है तो फिर इसकी मांग क्यों नहीं करते कि विधान सभा के सदस्यों की संख्या कम होनी चाहिये ? आज आपकी संख्या पहले से बढ़कर ४३० हो गयी है, तो क्या उनके ऊपर खर्च नहीं होता है ? इस तरह की बातें जो यहां कही जाती हैं वे केवल सस्ती पापुलरिटी गेन करने के लिये कही जाती हैं। इन शब्दों के साथ मैं सदन का अधिक समय न लेते हुए श्री जगदीशशरण अग्रवाल द्वारा महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को ध्यानपूर्वक सुना। हमने आशा की थी कि इस संबोधन में प्रदेश की प्रमुखतर समस्याओं पर विचार करके उनके समाधान के लिये कोई सुनिश्चित नीति घोषित की जायगी, परन्तु खेद है कि इस संबंध में सदन को अत्यन्त निराशा ही हुई है । अन्न, वस्त्र और आवास की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिये, बेकारी को दूर करने के लिये, प्रदेश की आन्तरिक शान्ति और सुरक्षा के लिये जो आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये थे उसमें यह सरकार असमर्थ रही है। उत्पादन में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है, लेकिन उससे बेकारी में कोई कमी नहीं हुई है और न सामान्य जनता के जीवन स्तर में ही कोई वृद्धि हुई है। आज किसान मजदूर, दूकानदार, व्यापारी , कर्मचारी और अध्यापक सभी त्रस्त और पीड़ित हैं । ऐसी अवस्था में इस प्रकार के संकट के निवारण के लिये और भविष्य के निर्माण के लिये कोई साहस-पूर्ण और ठोस कदम सरकार की ओर से उठाने का संकेत माननीय राज्यपाल के संबोधन में होगा, इसकी चर्चा होगी ऐसी हम आशा करते थे, लेकिन इसके स्थान पर केवल समाजवादी समाज रचना की एक भ्रमपूर्ण और मृगमरीचिका ही प्रस्तुत की गई है । इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो समाजवाद एक फैशन के रूप में चल पड़ा है और जो हर एक समाजवादी बना हुआ है उससे काम नहीं चल सकता । परन्तु समाजवाद का क्या रूप होगा, उसका लोकतांत्रिक पद्धतियों के साथ क्या रूप होगा यह सब अभी तक एक अनिश्चित-सी बात है और देश में और प्रदेश में अनेक समाजवादी पार्टियां और उनके द्वारा सम्पादित विभिन्न स्वरूप इस भ्रम को और भी बढ़ा रहे हैं ।

जहां तक बेकारी दूर करने का प्रश्न है, जहां तक गरीबों को ऊपर उठाने का प्रश्न है, जहां तक असमानता और शोषण को समाप्त करने का प्रश्न है, भारतीय जनसंघ किसी भी व्यवस्था का स्वागत करता, परन्तु जब हम इन प्रश्नों की ओर से सरकारी पक्ष को सतर्क नहीं पाते तो हमें निराशा होती । और संसार का इतिहास साक्षी है कि जहां-जहां समाजवाद के नारे के नाम पर अर्थ व्यवस्था अपनाई गई है वहां पर अधिनायकवाद का जन्म हुआ है और व्यक्ति स्वातंत्र्य भी समाप्त किया गया । अतएव समाजवाद के नारे को लगाने के पूर्व हमें उसकी पूरी कल्पना करनी होगी और इस प्रश्न का जवाब देना होगा कि समाजवाद और जनतन्त्र एक साथ पनप सकेंगे या नहीं । हम जानते हैं कि योरोप में मुसोलिनी, हिटलर, स्टेलिन सभी अपने को समाजवादी कहते थे और यह हम भी जानते हैं कि समाजवाद और समाज रचना के नाम पर ही इन देशों में फेसिज्म, नाजीज्म और कामुनिस्टिक डिक्टेटरशिप की स्थापना हुई है । इसलिये हमें इस समाजवाद के प्रश्न पर भी विचार करना होगा ।

मान्यवर मैं, यह भी कह देना चाहता हूं कि समाजवाद की रचना आज देश में जिस प्रकार हो रही है और सरकार अपने दलगत स्वार्थों के लिये जिस प्रकार राष्ट्र विरोधी और विघटन-कारी शक्तियों से भी गठ बन्धन कर रही है उससे खतरा पैदा हुआ है ।

जो चुनाव यहां अभी हुये हैं उन को निष्पक्ष कहना सत्य को हंसी के रूप में रखना है । सभी जानते है कि किस प्रकार सरकारी साधनों का प्रयोग किया गया है और हिंसा आदि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

घृणित उपाय तक बरते गये हैं। हरदोई जिले के लूमामऊ कांड का जिक्र भी यहां किया गया। उसके सम्बन्ध में सरकार तथ्यों को छिपाने का प्रयत्न करती है, मैं उस के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि वह मामला न्यायालय में है, लेकिन जिस तरह से घटना घटी है वह कहने की आवश्यकता है। एक दिन पूर्व भारतीय जनसंघ की ओर से वहां के पुलिस कप्तान को यह सूचना दी गयी थी . . .

श्री अधिष्ठाता---अगर यह सबजुडिस है तो आप नहीं कह सकते।

श्री शारदाभक्तसिंह---मैं केस के मैरिट्स और डिमेरिट्स पर नहीं कह रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता---लेकिन फिर भी जितनी बातें आप बतलायेंगे वह उसके मेरिटस में और डिमेरिट्स में जरूर हो जायेंगी।

श्री शारदाभक्तसिंह---मैं इस प्रश्न को इस रूप में कह रहा हूं कि जब घटना हो गयी और मैजिस्टीरियल एन्क्वायरी की आज्ञा हो गयी तो नीचे ऊपर से दौड़-धूप हो गयी और मैजिस्टीरियल एन्क्वायरी को रुकवाया गया। इस बीच मुख्य मंत्री ने प्रचार करके समाचर-पत्रों में अपने वक्तव्य दे कर चुनाव में लाभ उठाया। मैं जानता हूं कि अन्य स्थानों पर इसी प्रकार के कांड हुये और जो एक विशेष बात है जिस पर ध्यान देना होगा वह यह है कि इस सम्बन्ध में साम्यवादी दल और कांग्रेस ने गठबन्धन करके इस प्रकार से जो आतंकित किया है चाहे वह बलरामपुर का कांड हो और चाहे हरदोई में लूमामऊ का कांड हो दोनों स्थानों पर दोनों पार्टियां साथ-साथ काम कर रही थीं। हरदोई में जिस वक्त लूमामऊ में कांड हुआ उस वक्त कांग्रेस के प्लेटफार्म से एक कम्युनिस्ट भाषण दे रहे थे और उसी के कारण घटना को प्रोत्साहन मिला। जो भी हो इस प्रान्त में नये गठबन्धन से एक नये अध्याय का प्रारम्भ हो रहा है मैं इन बातों को इसलिये कह रहा हूं कि अपनी लोकप्रियता को कम होती देखकर कांग्रेस के सत्ताधारी दल ने समाजवादी नारे को लकर कदम-कदम पर लोकतन्त्र की हत्या करने की बात सोची है। तरह-तरह से सत्ता के एस दुरुपयोग हुय ह और आतंक को ऐसा फैलाया गया है कि निष्पक्ष चुनाव होना सम्भव नहीं हो सका।

यह कहा जा रहा है कि अगर निष्पक्ष चुनाव न हुये होते तो विरोधी दल के लोग इतने कैसे आते। लेकिन वह लोग यह भूल जाते हैं कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुये होते तो विरोधी दल के लोग जो इतनी संख्या में आये हैं उससे शायद उनकी संख्या दुगुनी होती और आज जो आप शासक दल में बैठे हुये हैं वह शासन की बागडोर शायद आपके हाथों में न होती। सत्ता के दुरुपयोग से और आतंक से जो अपने हाथों में उन्होंने शक्ति प्राप्त की है उसमें सफल हुये हैं।

दूसरा प्रश्न जो हमारे संशोधन में रखा गया है वह यह है कि किसानों का लगान आधा होना चाहिये। उस सम्बन्ध में अभिभाषण में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। कोई भी आर्थिक व्यवस्था हो जब तक उसमें ८० फीसदी आबादी में जो किसान हैं उनके सम्बन्ध में कोई बात नहीं होगी तब तक वह अर्थ व्यवस्था ठीक नहीं चल सकती। चाहे जितने उद्योग बढ़ाये जायं, चाहे जितनी भूमि-व्यवस्थायें की जायं, चाहे जितना उत्पादन बढ़ाया जाय, लेकिन अगर किसान की क्रय-शक्ति नहीं बढ़ती तो जितना भी बना हुआ महल है वह हाउस आफ प्लेकार्डस की तरह कल गिरने वाला है। अगर उनका आधा लगान कर दिया जाय, अगर किसानों के पास सरप्लस मनी हो और उनकी क्रयशक्ति बढ़े तो उत्पादन की वस्तुओं को किसान अपने उपभोग में लायेंगे। जो उनके पास अधिक रुपया होगा उससे वे अपनी खेती के लिये समुचित सुधार कर सकेंगे और हमारी खाद्य समस्या भी समाप्त हो जायगी। अगर आधा लगान करने से हमारी खाद्य समस्या भी समाप्त होती है, सुलझती है और किसान की क्रयशक्ति भी बढ़ती है तो सरकार द्वारा जो सहकारी खेती की योजना बनाई जा रही है जिससे व्यक्ति स्वातंत्र्य को बड़ा खतरा पैदा हो गया है उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। इसलिये माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इन शब्दों के साथ माननीय दूबे जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री खर्बासिंह का नाम पुकारने पर)

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---मैं श्रीमन्, एक जानकारी करना चाहता हूं कि क्या आप किसी लिस्ट के मातहत सदस्यों को बुलाते हैं या अपनी इच्छा के अनुसार ?

श्री अधिष्ठाता---जैसा मुझे ठीक समझ में आता है वही करता हूं।

श्री जगवीरसिंह---तो कोई लिस्ट आपके पास नहीं है ?

श्री अधिष्ठाता---कई लिस्टें मेरे पास है। उन सब सूचियों में से तारतम्य लेकर तब निश्चय करता हुं।

***श्री खूबसिंह** (जिला बिजनौर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री जगदीशशरण जी अग्रवाल ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अपोजीशन बेंचेज की तरफ से जो संशोधन आये हैं और जिनकी बिना पर वह यह साबित करना चाहते हैं और बतलाना चाहते हैं कि गवर्नर महोदय ने इस सूबे की तरक्की के सिलसिले में जो कुछ कहा है वह गलत है। उनका यह कहना और इसके लिये संशोधन पेश करना गलत है।

जहां तक सड़कों की तरक्की का ताल्लुक है क्या यह बात गलत है कि उनमें तरक्की हुई ? क्या यह सही है जहां तक आबपाशी का ताल्लुक है और साधनों का ताल्लुक है वह पहले से अच्छे हुए हैं ? एक बात जो सभी ने कही वह यह कि चुनाव ठीक नहीं हुए और सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया गया और उसके सिलसिले में १,२ मिसाल दी तो क्या मैं यह मान लूं कि अगर सारे सूबे में जिसमें ४३० सदस्यों का चुनाव हुआ और जिसमें कई हजार आदमियों ने हिस्सा लिया हो अगर १,२ मुकाम पर कोई कमी रह गई तो क्या उसकी बिना पर यह उचित होगा कि हम सारे चुनाव को कह दें कि गलत हुआ है ? अगर इन्हीं वजूहात की वजह से यह संशोधन लाये गये हैं तो मैं समझता हूं उनके संशोधन लाने की कोई जरूरत नहीं थी।

अलबत्ता एक बात है गवर्नर महोदय जो अपना अभिभाषण देते हैं सदन के सामने, उससे एक मौका देते हैं सदस्यों को इस बात का कि सरकार के जो काम हुए उनको बता दें, उनमें जो कमियां हों उनको मेम्बरान बतायें तथा जो अच्छे काम हैं उनकी तारीफ कर दें। इसीलिये डेमोक्रेसी के अन्दर यह मौका दिया जाता है और वह हमारे सामने है ताकि हम अपने सुझाव दे सकें जिनको हम महसूस करते हों।

अब मैं अपने मकसद की तरफ आना चाहता हूं और एक बात जो मुझे खटकती है बहुत बड़ी वह यह कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही है उसको मानने वालों की जो भावनायें हैं वे मुझे कमजोर होती हुई नजर आ रही हैं। अगर इस देश के रहने वालों की भावनाएं प्रजातांत्रिक शासन के सिलसिले में कुछ कमजोर होती हैं तो निश्चय ही प्रजातांत्रिक शासन ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेगा। इसलिये आवश्यक है कि हमारी भावनायें मजबूत होनी चाहिये। अगर कोई शख्स या शक्ति हमारे प्रजातंत्र को विध्वंस करने की सोचे तो वह इस तरह की हिम्मत न कर सके। इस वास्ते हमें और सरकार को कुछ सोचना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं १०-१५ साल में जो प्रजातंत्र के शत्रु हैं उनकी ताकत बढ़ी जैसे कम्युनलिज्म, सेकेटेरियनज्म की वृद्धि हुई है और इस बारे में निश्चय ही सरकार को सोचना चाहिये, प्लानिंग की इस बारे में जरूरत है कि इस सूबे के अन्दर जो जातिवाद और मजहबवाद बढ़ रहा है इसको रोका जाय जिससे प्रजातंत्र को बल मिले। दूसरी चीजें और हैं जो मैं कहना चाहता हूं इसलिये कि सरकार सोचे-समझे और अगर मेरी बात में कोई सच्चाई हो तो उस पर अमल करे। वह यह कि हमारी स्टेट और इससे बढ़ कर हमारे देश का जो चरित्र है वह ऊंचा नहीं उठ रहा है। सोचना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिये कि केरेक्टर बिल्डिंग के लिये हम क्या काम करें जिससे देश का चरित्र ऊंचा उठे, नीचे न गिरे । इसके लिये भी प्लानिंग की जरूरत है जहां और प्लानिंग किया है वहां केरेक्टर बिल्डिंग की भी प्लानिंग होनः चाहिये ।

जहां तक शिक्षा का ताल्लुक है उसके सिलसिले में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है किसी ने कहा कि आमूल परिवर्तन होना चाहिये, दिस एंड दैट । यह बहुत बड़ी बात कह दी कि आमूल परिवर्तन उसका होना चाहिये । बहरहाल यह बात जरूर है कि उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिये और सरकार को यह बात आज नहीं तो कल तय करनी पड़ेगी और बतलानी पड़ेगी कि वह किस किस्म के और क्या-क्या परिवर्तन शिक्षा के बारे में जरूरी समझती है और जिन लोगों ने इस बात पर विचार किया है उनसे सलाह लेनी होगी । एक रूपरेखा देश के सामने इस किस्म की अब आ जानी चाहिये । १५ साल हो गये यह कहते हुये कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिये, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसी रूपरेखा देश के सामने प्रस्तुत नहीं की गयी जिस पर सब लोग सोच सकें कि जो प्रचलित पद्धति है वह बेहतर है या जो तबदीली करने की जरूरत महसूस की जा रही है उस सम्बन्ध में सोचा जा सके कि क्या तबदीली हम कर सकते हैं ।

चौथी चीज अपोजीशन के मेम्बरों ने यह कही कि इस सरकार का मंत्रिमंडल बहुत बढ़ गया और सब ने एक ही बात कही, लेकिन जो सुझाव हो सकता था कांस्ट्रक्टिव वह किसी ने नहीं दिया । मंत्रिमंडल इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है । काम हमारा बढ़ रहा है यह शोर करना कि मंत्रिमंडल बढ़ रहा है उचित नहीं है अनुचित है । यह सदन इस बात का सुझाव सरकार को दे कि जो मंत्रिमंडल बना है उसको कार्य कैसे करना चाहिये । (व्यवधान) माननीय नेकराम जी बहुत पुराने मेम्बर हैं । मैं उम्मीद करता हूं कि इस सदन के डिकोरम को कायम रखने में वह मेरी मदद करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य सीधे बात न करें ।

श्री खूबासिंह---अधिष्ठाता महोदय, जहांतक गवर्नमेंट की बात है उसमें दो तीन बातें सोचने की हैं। एक तो यह कि जो पोर्टफोलियो मंत्रियों को डिस्ट्रीब्यूट किये गये हैं वह किस सिद्धान्त पर किये गये हैं और उनके डिस्ट्रीब्यूशन से जो हमारे सूबे की जरूरत है सुपरविजन की वह पूरी होती है या नहीं । जहां तक मैं समझता हूं इसमें कुछ थोड़े से दोष नजर आते हैं । मेरा खयाल यह नहीं है कि वह दोष मुस्तकिल हैं । मैं समझता हूं कि चूंकि अभी नयी-नयी बात है इसलिये ऐसा है । इन डयू कोर्स आफ टाइम वह भी दूर हो जायंगे । जैसे मुख्य मंत्री जी के पास बहुत से पोर्टफोलियो हैं । अकेली जान और इतने सारे पोर्टफोलियो किस तरह से वे इतने पोर्टफोलियो अपने पास रख कर एक अच्छे किस्म की गवर्नमेंट चला सकते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता ।

दूसरी बात यह कि पोर्टफोलियो देते वक्त यह नहीं सोचा गया कि वे उनको चला भी सकते हैं या नहीं । मिसाल के तौर पर गन्ने का पोर्टफोलियो लीजिये । यह पोर्टफोलियो किसी ऐसे को ना चाहिये जो गन्ने से वाकिफ हो । किसी ऐसे आदमी को देना जो गन्ने से वाकिफ न हो मेरे खयाल से ज्यादा मुनासिब नहीं है ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि सूबे की मांग है कि जितनी गन्ने की मिलें हैं और काटन टेक्सटाइल मिलें हैं उनका नेशनलाइजेशन हो जाना चाहिये । दस पन्द्रह साल से यह मांग है, लेकिन हम ऐसी हालत में नहीं थे कि उसको पूरा कर सकते । अब वक्त आ गया है कि जब हमारी प्रदेशीय गवर्नमेंट को, हमारी इस भावना को सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचा देना चाहिये । जब तक इनका नेशनलाइजेशन नहीं होगा तबतक इंडस्ट्रीज का प्रापर डेवलपमेंट नहीं होगा ।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री खूबसिंह—चूंकि मेरा समय खत्म हो गया है इसलिये मैं अपने भाषण को खत्म करता हूं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—अधिष्ठाता महोदय, सब से पहले तो मैं राज्यपाल महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम विरोधी दलों में बैठे हुये लोगों को यह मौका दिया कि इतने नम्बर में आ कर यहां बैठ सकें । इस प्रदेश में जिस प्रकार पिछले दिनों राज्य चलता आया है और एक मिनिस्ट्री के बाद दूसरी मिनिस्ट्री ने जगह ली है वह प्रजातन्त्र के अन्दर एक मिसाल रहेगी । एक व्यक्ति के कहने से, एक व्यक्ति की ख्वाहिश से ही जिस प्रकार से उलट-पलट हुई है पिछले दो साल के अन्दर उसकी मिसाल दुनियां भर में शायद किसी दूसरी जगह नहीं मिलेगी । फिर भी जिस किस्म का राज्य हमारे ऊपर थोपा गया है उसके लिये आपको बधाई देने का आज मौका मिला है और मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान अगर पांच वर्ष के लिये और आपको मौका दे कि आपका प्रशासन इस प्रान्त के अन्दर रहे तो आप देखेंगे कि आपकी हुकूमत इधर होगी और हम लोग उधर होंगे ।

अधिष्ठाता महोदय, इस राज्य में स्वास्थ्य के संबंध में जो चीजें पेश की गई हैं उनके बारे में चन्द बातें पेश करना चाहता हूं । पहली चीज तो यह है कि यह ठीक है कि बहुत से अस्पताल बना दिये गये हैं, लेकिन सही माने में यह चीज देखने की है कि रुपया कैसे इकठा किया गया है । जहां-जहां अस्पताल खोले गये हैं वहां देखने की चीज यह है कि उनमें गरीबों के लिये दवा का कोई ठिकाना नहीं है, डाक्टरों का ठिकाना नहीं है और वहां पर बूचड़खाने का रूप दिखाई देता है । अस्पतालों की दवाइयां बाजारों में बिकती हैं । क्या यह हुकूमत है, क्या यह एड-मिनिस्ट्रेशन है जहां पर इस प्रकार का दुराचार हो रहा है ?

जहां तक साम्प्रदायिकता का सवाल है उसके बारे में यह है कि पिछले इलेक्शन में दुनिया की साम्प्रदायिकता का खुला रूप देखने में आया है । एक तरफ विरोधी दल के लोग इसके लिये खूब हवा दे रहे थे, लेकिन दुख की बात यह है कि हुकूमत की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, जो अपने आपको सब से ज्यादा सेकुलर होने का दावेदार समझती है, ज्यादा साम्प्रदायिकता का रूप देने का श्रेय है । मैंने देखा है और अध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा होगा कि सबसे पहले टिकट देते समय यह देखा जाता है कि कौन व्यक्ति किस जाति का और किस धर्म का मानने वाला है और कहां से गूजर को खड़ा किया जाय और कहां से राजपूत को खड़ा किया जाय जिससे वह जीत कर आ सके । उनके सामने यह चीज नहीं रहती कि साम्प्रदायिकता को हटाया जाय, बल्कि उनके मन में तो यह चीज रहती है कि कौन व्यक्ति कहां से जीत सकता है, ताकि उनका प्रशासन बराबर चलता रहे, उनकी तानाशाही बराबर चलती रहे और उनकी बात हो होती जाय । अगर इसी प्रकार से साम्प्रदायिकता कायम रखी गई कि हमारी हुकूमत बनी रहे तो सिवाय विनाश के और कुछ नहीं हो सकता है । अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो हुकूमत आज भी उजड़ेगी और कल भी खत्म होगी और नतीजा यह होगा कि ऐसा वातावरण पैदा हो जायगा जैसा कि इर्द-गिर्द के देशों में जैसे बर्मा, पाकिस्तान में हो रहा है और आज आपने देखा होगा कि सीरिया में क्या हो रहा है । लेकिन मैं चाहता हूं कि पूज्य बापू के चरणों में बैठने वालों की हुकूमत होते हुये देश ऐसी दशा को प्राप्त न हो । हम तो एक ध्येय को लेकर यहां आये हैं कि हम भ्रष्टाचार रोकेंगे और हम आपके कानों में अपनी आवाज डालेंगे कि आप उठें और अच्छा रूप धारण करें ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने ४५ मंत्रियों का मंत्रिमंडल बनाकर प्रदेश के सामने एक ढोंग रचा है । मुझे खुशी होगी और तब होगी कि आप इसको और ज्यादा बढ़ा लें । अपने यहां ५१ जिले हैं तो ५१ कर लें । आपने बिला तनख्वाह के रखा है यह तो अच्छा है, लेकिन नक्शा और ही दिखाई देगा । हमारे सामने यह सवाल नहीं है कि नम्बर क्या है, लेकिन देखना यह है कि हम जो कह रहे हैं उसको सुनने वाले कितने लोग हैं । ये लोग इतना भत्ता लेकर हमारे सामने खुली नजर चले आ रहे हैं । आगे चलकर इसका नतीजा यह

होगा कि जब कोई मंत्री या उपमंत्री कहीं बाहर जायेगा तो उस जिले का सारा ऐडमिनिस्ट्रेशन उनकी खुशामद में लगा रहेगा। उनके पिट्ठू उनके सामने खड़े हो जाते हैं। ये ऐडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में रखते हैं और खुली मनमानी करते हैं और लूट मचाते हैं। उसी का नतीजा यह हो रहा है कि आज ३७६ के बजाय केवल २४८ ही रह गये हैं।

अधिष्ठाता महोदय, इसके बाद मैं एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं जिसका विवरण महामान्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी है। वह हैं कोआपरेटिव सोसाइटियां। आज से दस-बारह साल पहले इस कोआपरेटिव को प्रोत्साहन दिया गया। कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज खोली गईं। यह हुकूमत अगर आंख खोल कर देखे तो अजीब नक्शा नजर आयेगा। सहारनपुर के अन्दर पांच कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज थीं। आज सारी की सारी दिवालिया हैं। हमें नहीं मालूम कि वह रुपया जो लोगों से इकट्ठा किया गया था वह क्या हो गया। यहां तक कि एक मंत्री महोदय ने एक कन्ज्यूमर्स सोसाइटी के सिलसिले में दो हजार रुपये का गबन पकड़ा और आर्डर किया कि वह रुपया वसूल किया जाय, लेकिन आज तक उसमें कुछ नहीं हो पा रहा है। यही हाल डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन का है। सारे पिट्ठू भरे हुये हैं और मनमानी कर रहे हैं।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। गांधी जी ने जो हम को रेजिस्टेंस करना सिखाया है, जनता में रेजिस्टेंस की वह ताकत खत्म होती जा रही है। हुकूमत पिट्ठू आतंक के द्वारा जनता को दबाये चले जा रहे हैं। ऐसा न हो कि कहीं जनता की रेजिस्टेंस की पूरी ताकत ही खत्म हो जाय। पाकिस्तान में शाम को कुछ और था और सुबह दूसरा नकशा नजर आया और जनता मुंह देखती रही। आपने देखा कि बर्मा के अन्दर नेविन नेरातों रात कब्जा कर लिया और वजीरों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। अगर वह रेजिस्टेंस की ताकत खत्म हो गई तो वह हमारे लिये दुख की घड़ी होगी। उससे बड़ा दुख का दिन हमारे लिये कोई नहीं होगा।

श्री जगवीरसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय जगदीशशरण जी अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मुझ यह सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ कि मैं राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सुन सकता, परन्तु मैंने आज इसे बड़े ध्यान से पढ़ा। मेरा विचार बोलने का भी नहीं था। मुझे आप क्षमा करेंगे कि केवल आप का भाषण सुनन के पश्चात् मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने विचार इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत करूं।

अधिष्ठाता महोदय, मैंने आज जो भाषण विरोधी पक्ष की ओर से सुने जिनमें बहुत चर्चा की गई आम चुनाव की। मेरी अपनी निश्चित राय है कि यह हो सकता है कि एक-दो जगह कुछ गड़बड़ियां हो गई हों परन्तु जिस प्रकार अधिकारी वर्ग ने निष्पक्षता से काम किया है वह सराहनीय है। आज भी विरोधी पक्ष से एक मित्र बोल रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विरोधियों ने भी कम्युनलिज्म फैलाया। इसी उदारता से उन्हें यह भी मानना चाहिये था कि सरकारी अधिकारियों ने भी पूर्ण निष्पक्षता से काम किया है। मैं तो इतना कहने को तैयार हूं कि अपने जिले में मुझे शिकायत रही है कि जिस प्रकार से विरोधियों ने गलत तरीके पर नारे लगाये और गालियां दीं परन्तु अधिकारी वर्ग ने केवल इस लिये कार्यवाही नहीं की कि विरोधी आन्दोलन न करें। एक तरफ अधिकारी वर्ग इतना डरा हुआ है, फिर भी लांछन लगाया जाय, तो सुन्दर नहीं प्रतीत होता है। प्रचार के लिये अच्छी बात हो सकती है।

आज सदन में देहात और शहर की बहुत चर्चा है। मेरा दुर्भाग्य यह है कि मैं भी ग्रामीण हूं और कृषि ही मेरा एक मात्र साधन है। अधिष्ठाता महोदय, जिस समय आप बोल रहे थे आप मनुस्मृति की चर्चा कर रहे थे और बहुत-सी बातें बतला रहे थे कि लगान कितना होना चाहिये, किस प्रकार से किसान पर पहले लगान १/६ होता था और आज वह १/२५ है। आप मुझे क्षमा करेंगे इस बात के लिये अगर मैं यह कह दूं कि यह बात सत्यता से बहुत दूर की बात है कि आज १/२५ लगान किसान के ऊपर लगाया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि एक किसान

[श्री जगवीरसिंह]

होने के नाते और किसान का प्रतिनिधि होने के नाते, आज केन्द्र में और यहां भी एक ही कांग्रेस की सरकार है । मनुस्मृति की बात मैं नहीं जानता, हन्दी पढ़ा भी नहीं हूं, परन्तु एक बात मैंने पहले भी कही थी और आज भी कहना चाहता हूं कि एक तरफ ३ हजार रुपये प्रति वर्ष कमाने वाले व्यक्ति पर १ पैसा टैक्स का न हो और वह किसान जिस की आमदनी चाहे एक पैसा हो, चाहे एक रुपया हो उस पर लगान अवश्य होगा, न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता । मैं इस सबंध में आपको भूतपूर्व माल मंत्री, चौधरी चरणसिंह के कथन की याद दिलाना चाहता हूं, उन्होंने इसी सदन में बोलते हुये कहा था कि मैं चाहता हूं कि यहां वह दिन आये कि किसान पर लगान न हो, परन्तु अभी हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम उसको कर नहीं सकते । तो मैं बड़े स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहता हूं कि आज इस सम्बोधन में मैं आशा करता था कि इस ओर संकेत होगा कि भविष्य में हम किसान पर पांच वर्ष तक कोई टैक्स लगाने नहीं जा रहे हैं । मुझे दुख है कि इस प्रकार का कोई विश्वास माननीय राज्यपाल महोदय ने इस सम्बोधन में नहीं दिलाया है । मैं उन माननीय सदस्यों से भी सहमत नहीं हूं जिनका यह विचार है कि कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिये कुछ भी नहीं किया है । कांग्रेस सरकार प्रयत्नशील है, कर रही है और करना चाहती है । परन्तु मामले में दो मत हैं कि टैक्स कितना किसान के ऊपर हो, आया लगान बढ़ाया जाय या न बढ़ाया जाय । जब आबपाशी बढ़ाई गई उस समय भी मैंने इसका विरोध किया था और आज भी समझता हूं कि किसान की परिस्थितियां अधिक टैक्स देने योग्य नहीं हैं ।

अधिष्ठाता महोदय, मेरा विचार यह भी है कि जो यह समझते हैं कि तीसरी योजना के लिये अगर टैक्स की बात आये तो किसान को भी छोड़ना नहीं चाहिये, किसान को भी टैक्स देना चाहिये, लेकिन उस समय जिस समय कि शहर के रहने वाले और गांव के रहने वाले की बराबर आमदनी पर बराबर टैक्स हो । केवल उस समय हमें अधिकार है कि हम किसान के ऊपर टैक्स की बात करें । तो मैं अपनी साफ राय बहुत साफ तरीके से देना अपना कर्त्तव्य समझता था ।

अभी मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैं इसको पढ़ रहा था कि सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स का एक्वीजीशन सरकार ने बन्द कर दिया है । उसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं । मैं समझता हूं कि ऐसा करने से आज बहुत से गरीब किसान जिनकी तमाम जमीन छिनी जा रही थी और जिनके पास कि कोई साधन नहीं रहा था, उनकी रोजी कमाने का जरिया बच जायगा । सरकार ने जो यह कदम उठाया है उससे उनके बालबच्चों की रोटी बच जायगी, लेकिन इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में कुछ ऐसे फार्म्स लिये गये हैं कुछ ऐसे परिवारों की जमीन ली गई हैं जिनके पास कि कोई और साधन नहीं है और उन फार्मों पर कोई काश्त भी ठीक तरह से नहीं होती है । उसको अगर उन किसानों को वापस कर दें तो एक बहुत अच्छा कदम होगा उन गरीब किसानों के लिये । और एक स्कीम को जब आपने एबन्डन कर दिया तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि जो जमीन उस स्कीम के अन्तर्गत ली है वह वापस कर दी जाय । मैं आशा करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ।

मेरा ऐसा विचार है कि कुछ ऐसे कदम हैं कि जो किसान की हालत को सुधारने के लिये हमारी सरकार को शीघ्र ही उठाना चाहिये, राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में चर्चा है शुगर केन एकरेज को कम करने का । मैं जानना चाहता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से या माननीय सदस्य उत्तर देने का कष्ट करें, कि क्या वह बतलाने का कष्ट करेंगे कि कैश क्राप्स का रकबा बढ़ा है या घटा है ? मैं आपके द्वारा बता दूं कि कैश क्राप्स का रकबा बढ़ा नहीं है बल्कि घटा है । अन्तर केवल यह है कि गन्ने का रकबा बढ़ा । लेकिन काटन का रकबा घटा और और बहुत-सी चीजें बोयी जाती थीं, जैसे तिल बोयी जाती थी, इन सबका रकबा घटा है । तो आज कैश क्राप्स का रकबा कम हुआ है । परन्तु फिर भी विचार करना पड़ेगा कि आखिर किसान गन्ना अधिक बोता क्यों है ? इसका कारण माननीय अधिष्ठाता महोदय केवल एक ही सीधा-सा है । आज यदि ओला पड़ता है तो गन्ने की फसल कुछ न कुछ बाकी रह जाती है जबकि दूसरी फसलों पर गेहूं या मटर पर ओला पड़ जाय या और कोई दैवी

आपदा आ जाय तो बाकी नहीं रहती है । हमारा गन्ना इतना सख्त है कि उस पर असर नहीं पड़ता है । तो बहुत सहूलियत हम किसानों को नहीं दे सकते हालांकि मैं उन मित्रों से सहमत हूं जो गन्ने की कीमत बढ़ाने की बात करते हैं । आज गन्ने की कीमत किसानों के लिये बहुत लाभकारी नहीं है । उस गन्ने की कीमत बढ़ाने के लिये एक फायदा किसानों को गन्ने से जरूर होता है । मैं रेवेन्यू मंत्री जी से मिला और चीप फोडर और चीप ग्रेन की उनसे बात की । मैं समझता हूं कि मेरे जिले में आज ऐसे गांव हैं जहां पर ओले के कारण लाई करने के लिये मजदूर नहीं मिलेंगे ।

सम्बोधन में कुछ नये बिलों की चर्चा की गई है । उसमें एक बिल है यू० पी० अग्री-कलचरल प्रोड्यूस मारकेटिंग बिल । मैं आशा करता हूं कि इस बिल से किसानों को पूरी पूरी सहूलियत मिलेगी । मुझे आशा है कि प्रदेश के किसानों की भलाई के लिये यह बिल होगा । पहले भी इसकी मांग हुई है कि इसको जल्द से जल्द लाना चाहिये ताकि किसानों के लिये आसानी से यह लागू किया जा सके और उनका नुकसान न हो सके । इसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिये । आज हमारी सरकार का ध्यान अगर क्राप इन्शोरेन्स की ओर होगा तो मेरा विश्वास है कि हमारी सरकार किसानों की हालत सुधारने में सफल होगी । मेरा निश्चित मत है कि जब तक हमारे देश में किसानों की हालत नही सुधरती है तब तक हमारे देश में समाजवादी समाज की स्थापना नहीं हो सकती है । इन शब्दों के साथ माननीय जगदीशशरण जी अग्रवाल के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अत्यन्त खेद के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि मैं राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर धन्यवाद नहीं दे सकता क्योंकि राज्यपाल महोदय ने उन गरीब किसानों, मजदूरों और विद्यार्थियों के लिये जरूरी समस्याओं का अपने अभिभाषण में जिक्र तक नहीं किया है । श्रीमन्, जैसे अलाभकर जोत का लगान माफ, देहातों में कुयें और छोटे कस्बों में औरतों के लिये पानी और पाखानों की व्यवस्था, विद्यार्थियों के लिये विद्यालयों के अन्दर निःशुल्क शिक्षा और दाम नीति की बाबत तो बिलकुल सिफर समझो जो कि किसानों के घर में एक ही समस्या है, जो एक महीने के अन्दर डकैती पड़ जाती है । वह अपनी फसल की कीमत के विषय में सोचता रहता है, लेकिन जब तक फसल खलिहान से नहीं आती उससे पहले ही दिल्ली में घोषणा हो जाती है । किसान को खून पसीने की पैदावार का भाव दिल्ली में हो जाता है । तो सोशलिस्ट पार्टी ने दाम नीति के ऊपर हजारों आदमी जेल मे भेजकर सरकार को दाम नीति के बारे में बतलाया, बड़े-बड़े प्रदर्शन २५ नवम्बर, १९५९ को भारत सरकार के सामने भी किये गये कि जमीन से पैदा होने वाली कोई भी चीज इस तरह से बेची जाय कि दो फसलों के बीच एक आना सेर या ढाई रुपये मन से ज्यादा कोई भी मुनाफा न ले । इसी तरह की तमाम चीजों के बारे में सरकार को बताया, सरकार को मांगपत्र दिये कि किसान की कमर टूटी जाती है, उसे अपना गल्ला सस्ता बेचना पड़ता है और महंगा खरीदना पड़ता है ।

मैं पहले पहल इस इलाके से आया हूं कि जो पंजाब की सीमा पर पड़ता है । वह मथुरा जिले का छाता क्षेत्र है । मैं करीब-करीब ३० साल से सेवा का कार्य कर रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहां हमको विरोधी का खिताब दिया जा रहा है । बहुत-बहुत शुक्रिया कि हम विरोधी हैं । हमारे एक साथी ने कहा कि हमारे मंत्रिमंडल के साथियों को खर्च की कोई परवाह नहीं है । अगर मंत्रि-मंडल बढ़ाना है तो इन गरीब कांग्रेसी भाइयों को भी मंत्री बना दीजिये । ये भी आप के साथ काम करेंगे । लेकिन मैं जानता हूं और समझता हूं कि एक मंत्री के बढ़ने से सैकड़ों और हजारों आदमी बढ़ते हैं । इस के अतिरिक्त बहुत से बेकार विभाग हैं, जैसे एक वन विभाग है । यह एक फिजूल का विभाग है और इसमें हजारों आदमी बेकार ही में लगे हुये हैं । मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि एक चपरासी या सिपाही के बढ़ने से कोई अधिक खर्च नहीं होता है, लेकिन एक मंत्री बढ़ा कर आप किसान और मजदूरों की खून पसीने की कमाई का बहुत दुरुपयोग करते हैं ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि औरतों के पाखाने बनाने के लिये हम तैयार हैं, लेकिन उनकी सफाई का प्रबंध सोशलिस्ट करें । बहुत बढ़िया । सफाई का प्रबंध हम करना जानते

[श्री लखीसिंह]

हैं और वह हमने जेलों में किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह काम हमारे साथ कांग्रेसी भाई भी करें । हम अकेले ही क्यों करें ? यह क्या बात है ? अगर देखा जाय तो जनसंख्या में ४९ प्रतिशत औरतें हैं और वे अधिकतर गांवों में रहती हैं । वे बड़ी तकलीफ में हैं । गांधी जी होते तो मैं कहता कि वे या तो ९ बजे रात को टट्टी जाती हैं या सुबह ४ बजे, चाहे सरदी हो या ओला पड़ रहा हो या बारिश हो रही हो । मैं कह सकता हूं कि हम इस के लिये भी तैयार हैं कि आप गांव-गांव में पाखाना बनायें और सोशलिस्ट पार्टी के साथी उनकी सफाई करेंगे । हम इस के लिये तैयार हैं ।

मैं नया आदमी हूं इसलिये मुझे पता नहीं कि मेरा समय कब समाप्त हो रहा है अथवा कितना बाकी है । आप कृपया मुझे बता दें ।

श्री अधिष्ठाता---अभी आपके तीन मिनट बाकी हैं ।

श्री लखीसिंह---सन् १९४२ की क्रान्ति में हम भी उन सम्मानित सदस्यों के साथ थे जो आज हमें विरोधी कहते हैं, जो उस समय कहा करते थे कि गांव-गांव में बिजली लगेगी, गांव-गांव में सड़कें बनेंगी, रिश्वतखोरी को यह किया जायेगा, वह किया जायेगा, आदि तमाम बातें कहते थे । आज इधर से अगर हम सही बात कहते हैं तो हम विरोधी हो जाते हैं । मैं अपने विरोधी सदस्यों से भी कहता हूं कि घबराओ नहीं, दो तीन चुनाव के बाद इनका तो सफाया ही होगा, न मंत्री रहेंगे, न माननीय यह सदस्य रहेंगे । इससे क्यों घबराते हो ।

चुनाव में धांधले बाजी की बात कही गई । अगर धांधले बाजी न हुई हो तो यहां जिम्मेदार आदमी क्यों कहें उसको ? उनके पास साधन हैं, सरकारी मशीनरी है और उसका वे उपयोग कर सकते हैं, दूसरे लोगों ने भी जो साधन सम्पन्न हैं उन्होंने धांधलेबाजी की है । मगर सोशलिस्ट पार्टी ऐसी है जिसके पास न कोई साधन है, न पैसा है, जिसने कोई धांधली नहीं की । वह करती भी कैसे जब कुछ था नहीं । (लाल बत्ती होने पर) मुझे श्रीमन्, दो मिनट का समय और दे दिया जाय ।

एक बात और अर्ज कर दूं । मैं पंजाब की सीमा से आया हूं । उधर बिजली गांव में आ गई है और मेरे गांव के बिलकुल नजदीक आ गई है । दिल्ली महारानी ने तो उधर बिजली भेज दी, मगर लखनऊ महारानी की तरफ से हमारे यहां बिजली जाय तो हम भी कह सकें कि हमें स्वराज्य मिला है वरना वहां तो लोगों का कहना है कि अंग्रेजों के समय से भी आज बुरी हालत है । यहां पर सदन में माननीय कांग्रसी सदस्य कहते हैं कि किसान खुशहाल है, मगर चुनाव से पूर्व गांव में जाकर किसी ने यह नहीं कहा कि किसान खुशहाल है । मैंने उन लोगों के नाम नोट कर लिये हैं जिन्होंने यहां किसानों को मालामाल बताया है और मैं उन के क्षेत्र में जाकर कहूंगा कि कांग्रेस के इन माननीय सदस्यों न तुमको मालामाल बताया है और पूंजीपति बताया है । मैं तो उत्तर प्रदेश सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष रहा हूं और गांव-गांव में गया हूं । इस चीज को मैं वहां कहूंगा । मैं कहता हूं कि जो यहां कहते हो उसको वहां जाकर कहो, वहां उनको माला-माल बताओ ।

श्रीमन्, मथुरा जिले के किसान ४-५ साल से बाढ़ और गर्की के कारण तबाह हो गये हैं और वहां ६० फीसदी ऐसे किसान हैं जिनके यहां खाने को अनाज नहीं है और ३ बार में एक ही बार चूल्हा जलता है ।

श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आज इस सदन में राज्यपाल के संबोधन पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव श्री जगदीशशरण अग्रवाल जी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । समर्थन करने के पहले मैंने विरोधी नेता के वक्तव्य को पढ़ने की कोशिश की कि यह एक नौबढ़वा दल के नेता हैं, उन्होंने कुछ तथ्य की बात की होगी और उससे मुझे कुछ आगे के लिये रास्ता साफ हो जायगा । मैंने पढ़ा । शुरुआत में बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था कि सरकारी कर्मचारियों ने चुनाव में बहुत भारी भ्रष्टता

की । तो मैं पहले अपने ही जिले को आंकने लगा कि शायद कहीं न कहीं तो की होगी । वहां यह जरूर पाया कि पटवारियों को इन भाइयों ने कैसे मिलाया, मैं नहीं जानता । वहां उनके जरिये प्रचार करवाया कि अब किसानों के ऊपर छः गुना लगान बंधने वाला है और न मानो तो हम बना रहे हैं, कागज बना रखा है, जैसे ही चुनाव हुआ, कांग्रेस वाले जीते तैसे ही वह तुम्हारे ऊपर बन्ध जायगा । तो पटवारियों से भ्रष्टाचार हमारे जनसंघ व अन्य पार्टियों के भाइयों ने मिलकर करवाया जो कि सारे जिले में जांच की जा सकती है । मैं यह नहीं कह सकता कि हर कर्मचारी को या सब को इस काम में मिलाया । इसके मुकाबले में लाख हम लोग कहें पर किसान माने नहीं । वहां सरेनी में ब्लाक की मीटिंग थी, उसमें मैंने कहा कि इन पटवारियों ने जिन्होंने किसी से कहा है क्योंकि मुझसे तो कहा नहीं है--तो उनकी कम से कम सजा है कि बरखास्त किये जायेंगे ।

दूसरी बात यह कि हमारे क्षेत्र में एक गांव है, उमरामऊ । उस गांव के कुछ लट्ठबन्द आदमियों ने उन व्यक्तियों को जोकि कांग्रेस को वोट देना चाहते थे उनको खामख्वाह आ घेरा और वोट डालने जाने नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया । और कोई कर्मचारी अगर सहायता करत तो क्या उसमें दखल नहीं देता ? और तो कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, हां यह थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार मने अपनी कांस्टीटुऐन्सी में देखा । (विघ्न) परेशान क्यों होते हो ? सुनाया है तो अब सुन लो ।

इसके बाद मैं अपने उन विरोधी भाइयों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे जिले में चलो दूसरों की बात तो मैं जानता नहीं, पता लगा लो कि क्या आप लोगों ने यह प्रचार नहीं किया है ? क्या तुम ने कुछ चपरासियों से या ग्रामीणों से नहीं कहवाया कि किसानों तुम्हारी जमीन जबरदस्ती कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर सहकारी नहीं, सरकारी जमीन कर ली जायगी, अगर तुमने धोखा खाया और कांग्रेस को वोट दिया, तो मिट जाओगे ? क्या यह सदाचार है ? यह कहां का सदाचार है ? इसको भ्रष्टाचार कहते हैं या सदाचार कहते हैं, इसका निर्णय मेरे विरोधी जो अपने को कहते हैं, वह करेंगे ।

इसके बाद मैं तत्क्षण की बात कहता हूं । १८ मार्च, १९६२ को मैं जसऊमऊ गांव जो खीरी परगने में है वहां गया था । वहां मुझे मेरे स्वागत करने के लिये पार्टी दी गई थी । मैं अपने घर को आ रहा था । बैलगाड़ी दूर खड़ी थी, मैं चढ़ने जा रहा था कि दो आदमियों ने मुझे कुछ संघी आम रास्तों में आकर रोका और कहा कि अरे, हमारे दरवाजे क्यों नहीं आये ? मैंने कहा कि तुम्हारे दरवाजे आने में हमको तो कोई एतराज नहीं है, अगर बुलाते तो हम आते । कहा कि यह क्या किया ? तो चौंक कर हम लोग चल दिये । जैसे हम चल दिये तो ४ हाथ की छपरिया अटारी पर चढ़े हुये आदमियों ने ढेर सी आग लगा करके, जहां पर मैं खड़ा था, उसी जगह पर गिराई अगर मैं आगे न बढ़ गया होता तो जल जाता यह दस बजे दिन का समय था । म दूबे जो को सत्य मानता हूं और जानता हूं कि वह एक बढ़िया आदमी हैं और इमानदार हैं, अगर वह जांच करने जायेंगे और इसमें एक आना भी गलत होगा तो वह मेरा कान पकड़ने के लिये तैयार हैं तो मुझे दुख न होगा । तो पहले अपने घर को देखना चाहिये कि वह क्या करते हैं । इसके बाद मुझ से पहले साइकिल पर चढ़ कर वही लोग थाने गये और रिपोर्ट भी लिखा दी कि मैंने आग लगा दी और घर फूंक दिया वह भी दस बजे दिन में । मैंने कहा कि मुझे तो दावा करना नहीं है । मुझ से कहा गया कि उनके घर चले जाइये । मैं उनके घर गया बिना किसी भय के मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार को भ्रष्टाचारी बनाने से पहले अपने को देखें । जिसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है वह १०९ में सजा पाये हुये हैं और नेता भी हैं, डकैती में सजा पाये हुये हैं । जितना भी चाहो हमारे ऊपर जाल करो, हमें कोई भय नहीं है । मैं कहता हूं कि जो आचार संहिता बनी थी उसके आधार पर कितना अमल किया ? नोटिस में क्या-क्या लिखा है ? उसमें जो लिखा है उसको पढ़कर कौन भला आदमी है जो कान न मूंद ले ।

अब मैं राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में कुछ कहना चाहता हूं । कभी-कभी घी अधिक हो जाने पर कै हो जाया करती है । वही हाल हमारी भूदान समिति का है । हमारे पूज्य बिनोवा जी ने जमीन का संग्रह किया था, कागज पर लाखों बीघे जमीनें मिलीं और बांट दी

[श्री गुप्तारसिंह]

गई पर वास्तव में जमीनें हैं ही नहीं। रायबरेली में आठ आठ बरस का लगान किसानों से वसूल हो चुका है और वसूल हो रहा है क्योंकि वह जमीनें भूदान समिति से पट्टे पर लिये हैं शर्तनामे के साथ दी गई थीं कि साल, दो साल या तीन साल में अगर जमीन का तरदुर्द नहीं करोगे तो छीन ली जायगी और किसान किस जमीन का तरदुर्द करे जबकि जमीन ही मौके पर नहीं है वह जानते थे कि तरदुर्द नहीं किया। वह पटवारी के पास जाते हैं तो धता बता देता है। न वह जमीन परती है न खाली पड़ी है बल्कि वह जमीन नदी है, तालाब है या जबरदस्त लोगों के कब्जे में है। तो इस प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुये मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसी जमीनों की जांच करा ली जाय और अगर वह जमीन न हो, या नदी तालाब हो तो लगान वापस दिलायी जाये या किसी के कब्जे में हो तो लगान वापिस होना चाहिये या किसानों को जमीन में कब्जा मिलें। मैं आशा करता था कि विरोधी दल इस बात को उठायेंगे लेकिन जब उन्होंने भी नहीं कहा तो विवश होकर मुझे यह बात कहनी पड़ी। इन शब्दों के साथ मैं अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कुछ बातों का जिक्र नहीं किया है। इस सदन में बैठने वाले सभी सम्मानित सदस्य इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि इस प्रदेश के कुछ भू-भाग, कुछ जिले ऐसे हैं जिनको पिछड़े होने की संज्ञा दी जा सकती है। चाहे वे पहाड़ी इलाके हों, चाहे वे मैदानी इलाके हों, इस प्रदेश का वह पूर्वी भू-भाग जो बिहार से मिला हुआ है और लखनऊ के इर्द-गिर्द का है, उसके अलावा भी कुछ पहाड़ी जिले हैं। उनको पिछड़े जिले कहा जा सकता है लेकिन महामान्य राज्यपाल के भाषण में उनकी ओर कोई संकेत नहीं किया गया है। सरकार ने भी इन जिलों के बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इन पिछड़े जिले के लोगों की खासतौर से प्लानिंग करके उनके स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। आप यह जानते हैं कि वहां पर गोबर से निकला हुआ अनाज खाने वाले लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनके शरीर पर एक चिथड़ा भी नहीं है, वहां भीख मांगने वाले लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों को महामहिम राज्यपाल के भाषण में कोई स्थान नहीं दिया गया है। भला फिर ऐसे भाषण का समर्थन कैसे किया जा सकता है।

आप इस पर भी गौर करेंगे कि राज्यपाल महोदय ने बाढ़ का जिक्र तो किया है और कहा है कि सरकार इस बारे में चिन्तित है। लेकिन सरकार की वह चिन्ता कागजों में होगी। कहा जाता है कि मैदानी इलाके की १०.५ लाख एकड़ जमीन को बाढ़ से सरकार ने बचाया। लेकिन ये सब आंकड़े धोखा मात्र हैं क्योंकि अगर बाढ़ के आंकड़े पिछले वर्ष के सरकार अगर स्वयं भी प्रस्तुत करे तो मालूम होगा कि पिछले वर्ष और भी वर्षों से अधिक बाढ़ आयी है। बाढ़ का क्षेत्र बढ़ा है न कि घटा है। राज्यपाल महोदय ने बाढ़ के इलाके में लोगों को काम देने के लिये भी अपने भाषण में कोई जिक्र नहीं किया और न राज्यपाल महोदय ने इस बात का जिक्र किया कि बाढ़ के इलाके में इस प्रकार की फसल उगाई जायंगी जिनसे किसानों को राहत मिलेगी। उसमें किसानों की दुख-दर्द की कहानी के लिये कोई उपाय नहीं बताया गया है और न उन लोगों के बारे में कुछ कहा गया है कि नदियों के किनारे जो लोग बेघरबार हो गये हैं, जिनका खाने, रहने और पहनने का कोई ठिकाना नहीं है, जिनकी रोजी और दवाई के लिये कोई ठिकाना नहीं है। जब उस भाषण में ऐसे लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो फिर उस भाषण के प्रति कैसे सहमति प्रकट की जा सकती है।

उस तरफ के लोगों ने अपनी सरकार की तरफ से बड़े-बड़े गीत गाये। एक माननीय सदस्य ने केरल का उदाहरण दिया। वहां पर पी० एस० पी० के चीफ मिनिस्टर हैं और कुछ मिनिस्टर तो आप ही की पार्टी के हैं। उन्होंने अपने यहां के पढ़ने वाले बच्चों के लिये दोपहर के भोजन देने का ऐलान किया है। लेकिन राज्यपाल ने इस ओर भी कोई संकेत नहीं किया है।

मद्य निषेध के बारे में भी कहा गया। इसके सिलसिले में १९५८ में जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी उसके बाद आज यह इत्मीनान के साथ कहा जा रहा है कि १९६२ में उस बात पर गौर किया जायगा। लेकिन उसके लिये कोई निश्चित तिथि नहीं बतायी गयी है कि महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के ऊपर सिद्धान्त और नीतियों की ही चर्चा की जाय। मैं आपस कहना चाहता हूं कि जिस तरह का यह सम्बोधन है वह इतना लचीला है कि नीतियों के सम्बन्ध में उसको जिस तरफ भी ले जाना चाहते हैं उसी तरफ वह चला जाता है। हर बात को चौराहे पर लाकर रख दिया गया है। मैं तो यही समझता हूं कि उधर बैठने वालों की एक नीति है और वह समाजवादी ढांचे की नीति है। लेकिन वह कोई समाजवाद नहीं है, उसमें ढांचा जरूर भर दिया गया है। इनका समाजवाद तो होलडाल वाला समाजवाद है जिसमें पूंजीवाद, मजदूर, किसान सभी घुसड़ा हुआ है। मजदूर नीति के सम्बन्ध में एक जीता-जागता उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन में कहा गया है कि मजदूर नीति के दो अंग हैं। एक अंग के चलते मजदूरों ने पिछले वर्ष कोई बड़ी हड़ताल नहीं की। यह कैसी बात है कि मजदूरों ने हड़ताल नहीं की या आपने उनके हड़ताल करने के हकूक को कम करके उनको दूर फेंक दिया ताकि वे उस हकूक से वंचित हो जायं। आप स्वयं इस बात को देख सकते हैं कि रोजमर्रा मजदूरों की छंटनी हुआ करती है और मजदूर बेचारे कचहरी और दूसरे दफ्तरों की खाक छानते फिरते हैं। हड़ताल करने के सम्बन्ध में इस तरह का कायदा बना दिया गया है कि उनकी बारगेनिंग कैपेसिटी भी खत्म की जा रही है। दूसरा अंग जिसका उत्पादन से सम्बन्ध है आप देख लें कि चीनी मिल मालिकों ने उत्पादन के सम्बन्ध में जो धमकी दी है, सरकार ने उनका जवाब किसी धमकी से भी नहीं दिया। अब तक इन चीनी मिल मालिकों को मालिक के रूप में नहीं रहना चाहिये था बल्कि इन चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिये था। इसका राष्ट्रीयकरण प्रदेश में ओवरडयू है। जो जवाहर–जयप्रकाश वार्ता हुई थी उसमें जयप्रकाश ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होना नितान्त आवश्यक है। दूसरी तरफ आप इस बात से भी सहमत होंगे कि इस प्रदेश में यातायात की बहुत जरूरत है। आज इस प्रदेश में कई स्थान ऐसे हैं जहां रेलवे लाइन तक नहीं है।

माननीय परिवहन विभाग के मंत्री खुद इस बात पर गौर करेंगे कि परिवहन विभाग के रोडवेज में तीन तरह का किराया चलता है। आखिर यह फर्क क्यों है? एक किराया है ६ पाई फी मील दुसरा है, साढ़े ७ पाई फी मील और तीसरा किराया है करीब ९ पाई फी मील। आखिर यह क्या बात है? इस तरह के भेदभाव की नीति क्यों बरती जाती है। इस प्रदेश में जहां रेलवे लाइन है वहां तो लोगों को मोटर किराये में रियायत दी जाती है और जहां रेलवे लाइन नहीं है वहां के लोगों की मजबूरी का फायदा सरकार द्वारा इस तरह से उठाया जाता है कि यह सरकार इस तरह का भेदभाव पैदा करती है जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता द्वारा दिये हुए संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)––अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। यह जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इसके सम्बन्ध में मुझे कुछ सुझाव भी देने हैं जिनको मैं आपके सम्मुख रखूंगा। इस वक्त जो कुछ विकास यहां हुए हैं, हमारी सरकार ने किये हैं। यह तो निर्विवाद है कि सारे देश में काफी विकास हुआ है परन्तु विकास उन्हीं का हुआ है जिनके पास पहले से कुछ था। सरकार की देन से उन्हीं का विकास अधिक हुआ है। मैं सुझाव के तौर पर माननीय राज्यपाल की सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इस वक्त तक जो देश का विकास हुआ है उसमें उन्हीं का अधिक विकास हुआ है जिनका विकास पहले से ही हुआ था।

(इस समय ३ बजकर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

[श्री खुशीराम]

लाखों और करोड़ों रुपया सिंचाई के ऊपर खर्च हुआ, उससे किस का लाभ हुआ है? जिसके पास जमीनें थीं। आप विकास के सारे उपाय उन्हीं के लिये करते हैं कि जिनके पास जमीनें हैं उनको अच्छा बीज, अच्छी खाद और तमाम साधन दिलाते हैं कि जो जमीनों के मालिक हैं, लेकिन उससे उन लोगों का विकास नहीं होता कि जो देश के और प्रदेश के अन्दर रहते ह और जिनक पास जमीनें नहीं हैं। राष्ट्र के अन्दर एक गरीबों और कमजोरों का अंग है, वह कमजोर अंग कौन है? वह हरिजन और पिछड़ी हुई जो जातियां हैं उनका विकास नहीं हुआ है। उनकी मांगों पर हमेशा विचार हो रहा है यही कह दिया जाता है, लेकिन वह कभी पूरी नहीं की जाती हैं।

मैं कुमायूं पहाड़ का रहने वाला हूं वहां पर हरिजन और पिछड़े वर्ग की हालत बहुत खराब है जिसको भूमिहीन कहा जाता है उनको जमीन दिलाने के लिये १३-१४ साल से कोशिश हो रही है, लेकिन आज ३ चुनाव हो चुके, परन्तु फिर भी उनकी दशा वही है और प्रार्थनाओं पर सदा यही कह दिया जाता है कि अभी विचार हो रहा है। एक बार बीच में वहां के हरिजन वर्ग ने तंग आकर सत्याग्रह भी किया और उसका नतीजा यह हुआ कि हमने उस आन्दोलन को रोका और लोगों को समझाया कि सत्याग्रह समाप्त कराया यह आश्वासन देकर कि आगे तुम्हारी मांगों पर विचार होगा। उस के फलस्वरूप हमें सरकार से ३ हजार एकड़ जमीन मिली और उसमें से भी बाद में १ हजार एकड़ जमीन ले ली गई और हल्द्वानी के पास जो जमीन दी गई है उसका भी उचित प्रबन्ध नहीं हो सका तथा वह भी अच्छी नहीं है। उनकी जो और मांगें हैं उन पर ८-१० साल से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है।

अगर सरकार इतना समय इस जरा से काम में लगायेगी तो कमजोर लोगों को वह किस प्रकार शक्तिवान् और अच्छी हालत में कर सकती है। जरा सा मसला जो महीनों में तय होना चाहिये था उसको दस साल हो गये। मेरा आवेदन के तौर पर सरकार से यही कहना है कि इस तरफ ध्यान दिया जाय। इसके अलावा आप जानते हैं कि हरिजनों को जो नौकरियां में १८ प्रतिशत का संरक्षण दिया गया है वह भी नहीं पूरा किया जाता है। जो वादा है वह भी तो पूरा नहीं होता। मैं आशा करता हूं कि अब वह संरक्षण अधिक दिया जायगा। मैं कह सकता हूं कि वहां के हरिजनों की जो दशा है उनके साथ अभी मानुषिक व्यवहार भी नहीं हुआ है। जैसा बर्ताव किसी अच्छे मनुष्य के साथ होता है वह बर्ताव उनके साथ नहीं होता। हैं। मैं इस सदन में पिछले करीब १६ वर्षों से मेम्बर रहा हूं और इसके पहले मैं बाहर भी काम करता रहा हूं और पब्लिक की सेवा करता रहा हूं, मेरा तजुर्बा है कि अभी तक हमारे देश के अन्दर जो राष्ट्रीयता के नाते व्यवहार होना चाहिये वह नहीं हुआ है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जिस प्रकार उच्च वर्णों के लोगों के साथ व्यवहार होता है उसी प्रकार का व्यवहार होना चाहिये और उसी प्रकार के साधन उनके पास होने चाहिये। उनकी रोटी का मसला तय होना चाहिये। हमारे देश की तमाम विरोधी पार्टियों की मांग है कि रोटी, कपड़ा और मकान सबको मिलना चाहिये, वह सही मांग है और सबको वह मिलना चाहिये। हम दावा करते हैं कि हम समाजवाद की स्थापना करेंगे और रामराज्य की स्थापना करेंगे और किया जा रहा है लेकिन उसमें उनके साथ पहला ख्याल होना चाहिये जो कमजोर अंग इस राज्य में हैं। जब तक वह कमजोर बना रहेगा तब तक राज्य की उन्नति नहीं हो सकेगी। उस कमजोरी को पहले दुर करना है और उन कमजोरों को बलवान बनाना है। यह किस तरह से बनेंगे? जब उनके लिये भूमि देने का ख्याल किया जाय, उनके लिये रोटी कमाने के साधन दिये जायं और नौकरियों में उनको जितना स्थान देने की बात कही गयी है वह उस सीमा तक पहुंचें वह किया जाय। जब तक इस प्रकार के लोगों का उत्थान नहीं होता तब तक इस राष्ट्र का निर्माण अच्छी तरह से नहीं हो सकेगा।

मैं एक बात की याद दिलाना चाहता हूं। २५ हजार दरख्वास्तें कुमायूं पहाड़ से भूमिहीनों की पड़ी हुई हैं। १५ हजार दरख्वास्तें सन् १९५२ तक थीं। मैंने चुनाव किया था तो

उत्तर मिला था कि इतनी दरख्वास्तें विचाराधीन उस वक्त तक थीं। अब १० हजार दरख्वास्तों के करीब और हैं। अभी तक इन दरख्वास्तों पर विचार हो रहा है। सिर्फ २ हजार एकड़ जमीन मालधन में और कुछ थोड़ी-सी और जगह में मिली है ५ और ४ सौ एकड़ लेकिन उसके बाद और सब विचाराधीन हैं। मेरी प्रार्थना है कि जिस तरह से उनका सुधार हो, उनका उत्थान हो और इसमें जितनी भी पार्टियां इस देश में हैं सभी सहमत हैं कि पिछड़े लोगों का उत्थान होतो आप उस उद्देश्य को पूरा करेंगे। हरिजनोत्थान के कार्य में, कमजोरों को बलवान बनाने में कोई मतभेद नहीं है, सब एकमत हैं इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि सारे देश से प्रार्थना करूंगा कि इस काम पर अब जोर दें। अब टालाटूली से काम नहीं चलेगा क्योंकि उनमें भी जीवन आ गया है। वह इस टालाटूली से तैयारी फिर करेंगे और आज जो भक्ति कांग्रेस के प्रति है उनके स्थान पर दूसरी चीज आ सकती है, वह आपके खिलाफ होंगे। इसलिये मैं आपका सेवक होने के नाते प्रार्थना करता हूं कि आप उस ओर ध्यान दें और यथाशीघ्र उनके लिये भूमि का प्रबन्ध किया जाय।

अभी तीन चार साल पहले जब माननीय सम्पूर्णानन्द जी मुख्य मंत्री थे उनके जमाने में एक कमेटी कायम की गयी थी जिससे उनका दुख दूर हो। लेकिन उस कमेटी के कागजात न मालूम कहां हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वह कमेटी किसलिये कायम की गयी और इतना रुपया उस पर किसलिये खर्च किया गया था? उससे कुछ फ़ायदा उठाना चाहिये था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसलिये मेरा कहना है कि उन कागजातों को निकाला जाय और उन दरख्वास्तों पर फिर से विचार करने के लिये सरकार कोई कमेटी मुकर्रर करे। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)---श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में जो श्री जगदीश शरण जी ने प्रस्ताव रखा है धन्यवाद का उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, विरोधी पक्षों की ओर से सरकार के ऊपर चुनाव में पक्षपात का आरोप लगाया गया। इसका उत्तर देते समय हम लोगों की संख्या बता कर चुनाव की निष्पक्षता का मापदण्ड सरकार की ओर से निर्धारित किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ, यदि इसी मापदण्ड को मानें कि १९५२ के चुनाव में जिसमें विरोधी दलों की संख्या कम थी और १९५७ के चुनाव में आज से संख्या कम थी, तो क्या यह माना जाय कि १९५२ और १९५७ के आम चुनाव पक्षपातपूर्ण हुए थे, यदि विरोधी दल की संख्या से ही मापदण्ड मानना है तो? मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो आरोप और प्रत्यारोप दोनों ओर से लगाये गये हैं उनकी जांच के लिये एक कमीशन नियुक्त किया जाय जिससे सत्य बात मालूम हो। विरोधी दलों की जो संख्या आज सदन में है उसका कारण चुनाव की निष्पक्षता नहीं, बल्कि सरकार की वे नीतियां हैं जिनके कारण आज सारे राज्य की जनता दुखी है। क्या मजदूर, क्या किसान, मध्यम वर्ग का व्यापारी, सभी आज इस बात का अनुभव करते हैं कि इस सरकार से हम दुखी हैं और हमको दोनों समय खाने को नहीं मिलता है।

महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन में राज्य की प्रगति की ओर संकेत किया गया है। हम समझते हैं कि जिस राज्य में मजदूरों को दोनों समय खाना न मिलता हो, जिनके बच्चों को घी, दूध के दर्शन न होते हों, जिनके पास तन ढकने को कपड़ा न हो, रहने के लिये मकान न हो, क्या वह राज्य प्रगति का द्योतक है? हरगिज़ नहीं।

शिक्षा के बारे में कुछ कहा गया, शिक्षा संस्थाओं के निर्माण के सम्बन्ध में, कुछ टेक्नीकल इंस्टीटचूट्स खोलने की बात कही गई। लेकिन राष्ट्र निर्माता अध्यापकों के सम्बन्ध में, माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं और प्राइमरी अध्यापकों के वेतन के सम्बन्ध में एक बात भी नहीं कही गई। क्या हमारी सरकार यह अनुभव करती है कि ४४ रुपये पाने वाले अध्यापक सही रूप में शिक्षा दे सकते हैं? अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। नहीं कर सकते। वे अपने बच्चों और परिवार के लोगों की जब खाने की समस्या हल नहीं कर सकते हैं तो कैसे अपने कर्तव्य का पालन

[श्री बालोजी अग्रवाल]

कर सकेंगे, यह सोचने की बात है। क्या अध्यापकों के लिये यह उचित है कि वे आन्दोलन करें, हड़ताल करें, सड़कों पर नारे लगाते फिरें? लेकिन मजबूर हो करके उनको यह सब करना पड़ता है। इसको हमारी सरकार प्रगति कहती है।

यदि शिक्षा संस्थाओं में सुधार करना है तो राष्ट्र निर्माता अध्यापकों की उन्नति और सुविधाओं के सम्बन्ध में विचार करना पड़ेगा और सरकार उस पर विचार करेगी तो शिक्षा संस्थाओं की उन्नति भली प्रकार से हो सकती है। औद्योगिक क्षेत्र में श्रम नीति की बदौलत हड़तालों का न होना शान्ति का द्योतक माना गया है। हड़तालों का न होना शान्ति का द्योतक नहीं है। आज मजदूरों के अन्दर व्यापक असन्तोष है और उस असन्तोष को मजदूर नेताओं ने यह समझ कर कि हड़तालों से औद्योगिक उन्नति में खामी होती है, उत्पादन में कमी होती है, ज्यादा उभड़ने नहीं दिया। वैसे मजदूरों की मांगें उचित हैं। लेकिन हड़तालों के न होने को अगर सरकार मजदूरों में संतोष का होना मानती है तो मैं सरकार को यह बतला देना चाहता हूं कि मजदूर नेताओं को मजबूर होकर इन मांगों को उठाने के लिये हड़तालों का सहारा लेना पड़ेगा ताकि वे मजदूरी की सही मांगों को रख सकें।

समाजवाद का नारा देते समय अभी सरकारी बेंचों की ओर से भाषण देते समय यह कहा गया कि समाजवाद में पूंजीपतियों को नीचे लाया जायगा और गरीबों को ऊपर उठाया जायगा। मैं यह अनुभव करता हूं कि पूंजीपतियों को आज भी यह कांग्रेसी सरकार नीचे नहीं ला सकी है और मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि मजदूरों के अन्दर सरकार ने जो यह भेद-भाव की नीति बना रखी है उसको समाप्त किया जाय। एक ही प्रान्त में केन्द्रीय सरकार के कार्य करने वाले कर्मचारी, राज्य सरकार का कार्य करने सरकारी कर्मचारी तथा स्वायत्त शासन के कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न रूप से तनख्वाह मिलतीहै और उनके वेतन- क्रमों में अन्तर है। इसे शीघ्र ही समाप्त करना चाहिये। समाजवाद के नारे को देने वाली यह सरकार गरीबों को उठाये, पूंजीपतियों को पोषण करते समय उनको नीचे नहीं ला सकती है तो न लाये लेकिन किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के आमदनी के जरायों को उठाने का प्रयत्न करे। ये आमदनी के जराये कम होते जा रहे हैं और गरीब जनता की क्रय करने की शक्ति दिन-प्रति-दिन घटती चली जा रही है। इस महंगाई के जमाने में क्या वेतन-क्रम निश्चत होने चाहिये इसकी ओर महामना राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में कोई संकेत नहीं किया है।

राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में बिजली के सम्बन्ध में कहते समय उद्योगों की उन्नति के लिये बिजली की जो आवश्यकता है संकेत अवश्य है लेकिन मार्टिन बर्न एंड कम्पनी जैसी प्राइवेट कम्पनियां जो हैं जिनसे उद्योगों को हानि पहुचती है जिनकी दुर्व्यवस्था के कारण उद्योगों को समय-समय पर हानि पहुंचती है ऐसी मार्टिक बर्न एंड कम्पनी की इजारेदारी को समाप्त करने की ओर और उसके राष्ट्रीयकरण की ओर कोई संकेत नहीं किया गया है। स्वायत्त शासन संस्थाओं के सम्बन्ध में सन्तोष प्रकट करते समय यह कहा गया है कि उनका कार्य सन्तोषजनक है लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि उनके कार्यों में पग-पग पर बाधा डाली जाती है। मैं आगरा कारपोरेशन का सदस्य हूं। वह महापालिका ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया और सरकार को भेजा कि मार्टिन बर्न का राष्ट्रीयकरण किया जाय लेकिन उसको ठुकरा दिया गया। जब सर्वसम्मति से पास किये हुए महापालिका के प्रस्तावों को ठुकरा दिया जाता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह किस प्रकार से अपने कार्य को उचित रूप से चला सकती है। तो उन पर विश्वास नहीं है। यदि उन पर विश्वास है तो सर्वसम्मति से सरकार को प्रस्तावों को मान्यता देना चाहिये। सरकार को मैं सचेत कर देना चाहता हूं कि अगर उसकी नीति जो आज तक रही है वही रहती है तो फिर ६७ में जैसा कि कहा गया कि विरोधी दलों को सरकारी बेंचेज पर बैठने का अवसर नहीं मिल सकता, लेकिन मैं आत्म विश्वास के साथ कहता हूं यदि सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो १९६७ के आम चुनाव के पश्चात् जो आज

विरोधी दलों में हैं और जो शासक दल में हैं उसमे शासक दल के लोगों को सरकारी बेंचेज पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त न हो सकेगा और यह सौभाग्य विरोधी दलों के लोगों को ही होगा। इतना कह कर मैं राज्यपाल जी के सम्बोधन के सम्बन्ध में अपना खेद प्रकट करता हूं।

कारागार राज्य मंत्री (श्री गोविन्दसहाय)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इन दो दिनों में जो महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के संबंध में विरोधी दल के सदस्यों की ओर से बातें कही गयी हैं उन्हें काफी गौर से सुना---कुछ यहां बैठ कर सुना कुछ को अखबारों के जरिये से जाना और कुछ दो एक स्पीचेज मंगा कर भी पढ़ी। मोटे तौर पर जो बातें कही गयी हैं उन्हें मैं तीन चार भागों में बाटता हूं।

एक बात प्रायः जो सभी ने कही वह यह है कि मौजूदा कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसका जम्हूरियत में विश्वास नहीं है यह देश को डेमोक्रेसी की तरफ नहीं ले जा रही है, अधिनायकवाद की तरफ ले जा रही है। इन चुनावों में सरकारी मशीनरी का उपयोग किया गया है जिससे अपोजीशन के लोगों को काफी क्षति हुई है और सरकारी पार्टी के लोगों को लाभ हुआ है।

दूसरी बात जो कही गयी वह यह कि आज भी प्रदेश में भ्रष्टाचार है। शिक्षा की कमी है गरीबी है। इसलिये यह सरकार जो कुछ कर रही है वह समाजवाद को हटाने के लिये कर रही है न कि समाजबाद को लाने के लिये कर रही है। ये मोटे-मोटे तीन चार चार्जेज हैं जो अपोजीशन ने लगाये। इसके अलावा मुझे अपोजीशन को यह बतलाना जरूरी नहीं है कि उन्हें क्या कहना चाहिये था और क्या नहीं। फिर भी मेरा ख्याल है कि बहुत-सी बातें ऐसी हैं जो वे इस समय न कहते तो उन्हें लाभ होता। क्योंकि वही बातें वे फिर सेशन में भी कहेंगे और जो कारतूस उनके पास हैं वे छूट चुके हैं और उनमें जो तीखापन होना चाहिये था वह बजट के मौके पर धीमा पड़ जायगा। मुझे आप साहबान को इशारतन मश्विरा देने का हक है ऐसे मैं भी समझता हूं कि थोड़ा बहुत मुझे भी मश्विरा देने का है। बहरहाल मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। इसलिये जो चार्जेज हैं उनका मैं मोटे तौर पर जवाब देना चाहता हूं।

कांग्रेस का नेतृत्व इस देश में डेमोक्रेसी को लाना चाहता है या नहीं मैं उसका एक ही प्रमाण दे सकता हूं कि डेमोक्रेसी को लाने के लिये दो चीजों की जरूरत है। एक तो उस पार्टी का खुद करेक्टर डेमोक्रेटिक हो। यानी वह पार्टी चुनाव के जरिये बनती हो और छानबीन अपने लोगों में करती हो और दूसरा है कि वह चुनाव से बचती न हो। मैं इतना ही कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी बमुकाबले दूसरी पार्टियों के एक चुनाव के प्रोसेस से बनती है उसमें गलतियां होती हों कुछ होता हो लेकिन हमारा अन्दरूनी कैरेक्टर डेमोक्रेटिक है और उसमें छानबीन भी हम करते हैं कि अमुक आदमी को टिक्ट दिया जाय अमुक आदमी को न दिया जाय। एक लिहाज इस बात का करते है। फिर भी हमारे यहां लोग हैं जो शिकायत करते हैं की उसूल डेमोक्रेटिक नहीं हैं लेकिन पार्टी का कैरेक्टर डेमोक्रेटिक है यह हकीकत है इससे आप इन्कार नहीं कर सकते हैं। और जिन बहुत से दोस्तों ने आज डेमोक्रेसी न होने का चार्ज लगाया है मेरे खयाल में अगर वे थोड़ा-सा इन्ट्रास्पेक्शन करें तो यह कमी उनके यहां हमसे ज्यादा है।

दूसरी चीज चुनाव से बचने की आती है। मेरा ख्याल है कि अगर कांग्रेस लीडरशीप की नीयत चुनाव से बचने की होती तो जैसा मौका अबकी चुनाव टालने का आया था ऐसा शायद कभी नहीं आ सकता अष्टग्रही योग। सभी ने कहा था कि जलजला आयेगा और न जाने क्या-क्या हो जायगा। अगर हमारी नीयत खराब होती तो आसानी चनाव को टाला जा सकता था और आप भी अबकी विरोध नहीं करते क्योंकि अष्टग्रही का असर हमसे ज्यादा दिमागी तौर पर आप लोगों पर था इस माने में कि अष्टग्रही का हमने तो कुछ विरोध भी किया था, लेकिन किसी और पार्टी के लोगों ने यह नहीं कहा कि यह गलत है। इसलिये आप कोई चार्ज हम पर लगायें बैड फेथ का कि हमारा विश्वास डेमोक्रसी में नहीं है यह आपको अख्तियार है। ज्यादती भी आप कर सकते हैं लेकिन वह ज्यादती अपनी जगह पर ज्यादती ही रहेगी वह इंसाफ नहीं होगा।

[श्री गोविन्दसहाय]

दूसरा चार्ज जो सरकारी मशीनरी है उसके पक्षपातपूर्ण रवैया का है। सरकारी मशीनरी का चुनाव में दो ही जगह हिस्सा होता है। एक तो यह कि वे चुनाव कैसे कराते हैं। इस चुनाव में जैसा साढ़े ३ करोड़ वोटर थे जिनमें से १ करोड़ ८८ लाख लोगों ने राय दी और ४०, ४२ हजार पोलिंग बूथ थे। पूरे चुनाव में लिखी पढ़ी की नजर से दो, ढाई सौ शिकायतें आयी हैं। इससे पता चलेगा कि चुनाव के जमाने में सरकारी मशीनरी ने उन चार दिनों में इस काम को जिस तरह से किया है कम से कम उस नजर से तो आपको उन्हें मुबारकबाद देना ही चाहिये। अब उन्होंने किधर वोट दिया हम यह नहीं कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को दिया या किसे दिया लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि थोडा बहुत अगर सरकारी मशीनरी के रुख को मैं समझता हूं तो उस मशीनरी का एक खास हिस्सा जिसे क्लरिक्ल ब्यूरोक्रेसी कहते हैं उसका रुख सरकार के खिलाफ वोट देने का रहता है। मगर यह शिकायत की बात नहीं है। हमने उनके इस अधिकार को माना है। लेकिन उनको इस चुनाव में घसीटना, इस तरीक से आप उन पर यह लांछन लगाये तो इसका नतीजा क्या होगा? अगर यह कहा जाय कि सरकारी मशीनरी चुनाव के पलड़े को इधर से उधर कर सकती है तो आप जम्हूरियत की नाकामियाबी का एलान करते हैं। मेरा यह खयाल नहीं है कि कोई सरकारी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी जिले में चुनाव को इधर से उधर कर सकता है और अगर कभी ऐसा होने लगा तो आप माने या न माने यहां टोटेलिटेरियनिज्म आ जायगा। इसलिये इस सवाल को अगर ज्यादा न कहा जाय तो अच्छा हो।

एक सदस्य—गोंडा में क्या हुआ?

श्री गोविन्दसहाय—मेरे दोस्त गोंडा का नाम लेते हैं। तो गोंडा के लोगों की कोई खास हालत होगी। वह तो एक लोकल बात रही, लेकिन फिर भी शिकायत कांग्रेस के दोस्तों को यह है कि गोंडा में सरकारी मशीनरी बिल्कुल बरबस तरीके से एक खास पार्टी के जेरे असर काम करती है। मैं इस बात को यहां कहना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि जिक्र किया गया इसलिये कह दिया। बहरहाल मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि आप कहें कि सरकारी मशीनरी हमारे पक्ष में काम करती है और हम कहें कि आपके पक्ष में काम करती है इससे जनतंत्र को नुकसान होता है। इसलिये मैं इस सवाल को दोहराना नहीं चाहता और मैं कह सकता हूं कि सरकारी मशीनरी ने इस बड़े काम को जिसमें ४०—४२ हजार पोलिंग बूथ थे, जिस खूबसूरती और सरलता के साथ किया इसके लिये उनको बधाई देना चाहिये।

अब मैं तीसरी चीज पर आता हूं। सोशलिस्ट पार्टी के एक सदस्य ने कल एक अजीब बात कही जिससे मुझे काफी परेशानी भी हुई। परेशानी इस माने में कि बड़ी भंयकर बात उन्होंने कह डाली। वैसे तो भंयकर बात इस सदन में वह काफी कहते भी रहे हैं। कहा यह गया कि कोई खास नक्शा था जिसके मुताबिक बैलट्स एक जिले से दूसरी जिले में भेजे गये। मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर वह थोड़ी सी जानकारी करते तो इतनी मासूम बात को इतने भंयकर तरीके से रखने की तकलीफ न करनी पड़ती वाकया यह है कि अन्दाजा यह लगाया गया था कि एक कांस्टीटुएन्सी में ५ उम्मीदवारों की संख्या होगी। लेकिन कहीं कहीं ६—७ हो गई। लेकिन बैलटों की छपाई उसी लिहाज से हुई थी इसलिये जल्दी से जिस तरह से यह भेजे गये उनमें कहीं कहीं गलती हो गई और कहीं कहीं गलत पहुंच गये। यह एक छोटी सी बात थी। इसको भयंकर रूप से पेश करने से अपने दिमाग की स्वस्थ्यता का पता नहीं चलता है। यह जो गलती हो गई थी बाद को ठीक भी कर दी गई। कौन सी बात कितनी संगीन है इसका माननीय सदस्यों को ज्ञान होना चाहिये। ऐसी ऐसी छोटी बातों को संगीन तरीके से रखने से न तो आप जम्हूरियत की ही सेवा करते हैं और न सोशलिज्म की ही सेवा करते हैं।

अब मैं २—३ बातों की ओर ही इशारा करना चाहता हूं क्योंकि मुझे अपने समय का भी ख्याल है। इसके अतिरिक्त मेरे लिये हर बात का जवाब देना भी लाजमी नहीं है क्योंकि बहुत सी बातें कामन हैं। आपने चर्चा कर दी नयी मिनिस्टरी के विस्तार की। यह भी एक प्रश्न है

जिसके विषय में लोगों में काफी तेजी रही है और कांग्रेसी पार्टी के भी कुछ लोगों का यह ख्याल है कि मिनिस्ट्री को इतना नहीं फैलाना चाहिये था और अपोजीशन के कुछ दोस्तों का भी यही ख्याल है कि मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा फैल गई है। मैं इस प्रश्न को जब सोशलिस्टि के नजर से देखता हूं तो मुझे कोई शिकायत नजर नहीं आती ह। जब आप दलील देते हैं तो फाइनेंशियल इम्पलीकेशन की है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि देश में बेकारी और बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ कहते है कि मिनिस्टरों के साथ जो लवाजमा रखा जायगा उससे खर्चा बढ़ेगा और इतने आदमी और लगाये जायगें तो इससे इम्पलायमेंन्ट और बढ़ता है। फिर आपको इसमें रश्क क्यों है ? क्या आप चाहते हैं कि आपके साथी इसमें न आयें ?

मेरा खयाल यह है कि जब देश में डेवलपमेंन्ट एक्टिविटीज बढ़ती हैं तो शिकायत यह होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन का दिमाग सोशलिज्म तरीके का नहीं है और आप ऐसी मशीनरी से काम कराते हैं जिसका सोशलिज्म में एतकाद नहीं ह। मेरा कहना यह है कि जब कोई नया डिपार्टमेंन्ट बनाया जाता है, तो उसमें एक सेक्रेटरी रखना होता है, एक डिप्टी सेक्रेटरी, एक अंडर सेक्रेटरी और इसी तरह से काफी स्टाफ रखना पड़ता है। इनके देखने के लिये भी इस बात की जरूरत होती है कि और पर्सोनेल बढ़ाया जाये । यदि पर्सोनेल बढ़ाया गया है तो मैं नहीं समझता कि इससे देश कैसे बरबाद हो जायगा, गरीबों का पेट कट जायगा, मजदूर लुट जायगा और आसमान गिर जायगा ।

डेमोक्रेसी में एक्सपरीमेंटस होते रहते हैं। हमारे देश में एक ढंग से डेमोक्रेसी चल रही है जो स्थिति सामने आती है उसमें नई चीजों का मुकाबला करना पड़ता है। इसीलिये पोलिटिकल लीडरशिप को एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ने को मैं गलत नहीं समझता हूं। उसूली तरीके से भी और आर्थिक तरीके से भी गलत नहीं समझता हूं । आखिर मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी सरकारी काम से इधर उधर जाते हैं या घूमते हैं तो रुपया उनकी जेब में नहीं जाता है बल्कि वह रुपया रेलवे विभाग को जाता है। इसी तरह से टेलीफून का खर्चा उनकी जेब में नहीं जाता है बल्कि टेलीफून डिपार्टमेन्ट को जाता है। सोशलिस्टिक इकोनोमी में खर्चा बढ़ सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखना यह होता है कि अगर खर्चा बढ़ा है तो उसके लिये आंखे भी बढ़ी हैं या नहीं, विजिलेंस आपका बढ़ा है या नहीं। अगर आप अपनी तरफ से गवर्नमेन्ट को सुझाव देते कि आपने जो टीम बढ़ाई उससे ये-ये काम लीजिये तो उससे देश को फायदा होता। अगर आप यह बताते हैं कि यहां यहां पर लीकेजेज हैं उनमें इस टीम को लगाइये तो कितना अच्छा होता। मैं तो यहां तक कहता हूं कि एक एक पब्लिक अन्डर टेकिंग पर एक-एक आदमी जोड़ा जाय तो उसको मैं ठीक समझता हूं क्योंकि उसमें करोड़ों रुपया लगाया जाता है। बहरहाल मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता था। मेरा ख्याल यह है कि और लोग भी जवाब देंगे । माननीय नेक राम जी ने इस सवाल को मुश्किल समझा और मेरे सामने पेश किया इसलिये मैंने उसका जवाब दे दिया है।

एक चार्ज यह भी गवर्नमेन्ट पर बड़े जोश खरोश के साथ और गुस्से में लगाया गया कि कैसा आपका समाजवाद है ? मैं यह कह सकता हूं कि मेरा भी समाजवाद में अटूट विश्वास है और मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि समाजवाद की रूपरेखा पार्टियों के साथ बदल जाती है।

आपको देखना होगा कि जो ब्राडर पालिसीज हैं वह समाजवाद की तरफ ले जाती हैं या नहीं। मैं बड़े अदब के साथ तीन चार चीजें रखना चाहता हूं। मुझे गलतफहमी नहीं है है कि समाजवाद कोई जादू की लकड़ी से आता है। सोवियत रूस जहां पर एक पार्टी का रूल्स था बिलकुल टोटेलिटेरियनिज्म थी उनका कहना है कि हम को अपनी बैकवर्ड ऐग्रीकल्चरल इकानोमी को सोशलिस्ट इकानोमी में बदलने में ४० साल लगे हैं। चाइना दूसरा टोटेलिटेरियन कंट्री है। उनका कहना है कि हम को १५ से २० साल कम से कम लगेंगे। तो समाजवाद तुरन्त नहीं आ जाता है। हम लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी की उपज है। हमारे दिल दिमागों के ऊपर उसकी व्यवस्था का, उसमें शिक्षा का, उसके न्याय का, उसके शासन का असर है। उसके ट्रांस्फार्म करने के प्रोसेस में टाइम लगता है। मेरा केवल इतना निवेदन है कि जो बुनियादी

[श्री गोविन्दसहाय]

कदम उठाये गये हैं उससे हम सोशलिज्म की तरफ बढ़े हैं सोशलिज्म ला नहीं पाये हैं। मिसाल के तौर पर जमींदारियों का खत्म करना लैंड टेन्योर को बदलना, पब्लिक सेक्टर को बढाना, कोआपरेटिव मूवमेन्ट को चालू करना ये स्टेप्स हैं जो सोशलिज्म की तरफ ले जाते हैं लेकिन कुछ दिशाओं में सोशलिज्म की तरफ नहीं ले जा सके हैं। आज भी करप्शन है, बेकारी है शिक्षा की कमी ह। सिर्फ देखना यह है कि इन सब चीजों के लिये हम कोशिश कर रहे हैं या नहीं। मैं एक मिसाल देता हूं। बंगाल पेनीन में ३५ लाख आदमी भूख से मरे। कोई इनकलाब नहीं हुआ। कोई डिमांस्ट्रेशन नहीं हुए, क्योंकि उस वक्त लोगों को यकीन था कि रोटी का इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इस लिये ३५ लाख आदमी कलकत्ता और ढाका की सड़कों पर मर गए। आज थिंकिंग में इनक्लाब हो गया है। आज एक आदमी भूख से मर जाय तो सरकार इधर से उधर हो जाय, क्योंकि आज यह ख्याल है कि भूख से न मरने देने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो सारा ढांचा बदलने की जरूरत है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो स्टेप लिये गये हैं उससे हम सोशलिज्म की तरफ को बढ़े हैं। सोशलिज्म पूरे तरीके से नहीं ला पाये हैं। हमने कभी दावा भी नहीं किया है कि यू० पी० सोशलिज्म स्टेट हो गया है। माननीय नेकराम शर्मा जी ने इशारा किया अभी बहुत सी तोपें बाकी हैं मैं उनसे सुनना चाहूंगा कि जरा वह बताएं यह कदम सोशलिज्म की तरफ उठाये जाने चाहिये थे वह नहीं उठाये गये। तो हम को भी फायदा हो। मैं इस लिये कहता हूं कि अपोजीशन का एक बहुत बड़ा फायदा यह होता है कि अपोजीशन सदन के जायके को बनाता है। आप जैसी शुरुआत करेंगे वैसी ही हवा हो जायगी। जसा कि हमारे अपोजीशन के नेता ने पहली स्पीच में ही एक जायका बना दिया कि चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ है सरकारी मुलाजिमों ने पक्षपात किया है ८० फीसदी लोग यही बोल रहे हैं। अपोजीशन की बड़ी भारी जिम्मेदारी है और कुछ मानों में हम से भी अपोजीशन की ज्यादा जिम्मेदारी है। आप हम को खराब कहते हैं और अपने को अच्छा। तो जो अच्छे हैं उनको अच्छी बातें भी करनी चाहिये। हम को सुझाव देना चाहिये कि यह कदम जरूरी थे आपने नहीं उठाये। तो उससे हम को फायदा होगा।

कुछ करप्शन कैरेक्टर बिल्डिंग और कम्युनिज्म का चर्चा किया गया। करप्शन नहीं होना चाहिये बावजूद इसके कि है। कैसे उसको खत्म करना चाहिये इसके लिये कुछ बातें आनी चाहिये। महज यह कहने से करप्शन है करप्शन है इससे ऐटमास्फियर खराब करते हैं यह कहते रहेंगे कि देश बर्मा हो जायगा सीलोन हो जायगा या फौज आ जायगी तो मैं आपसे यही कहता हूं कि क्या आप ये डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं? अगर करते हैं तो यह चीज आपके हित में नहीं है कि आप इस किस्म की बात कहें क्योंकि इससे जिनको नहीं पता है उनको भी पता हो जायगा कि यह तो खुद ही इस बात की आशंका कर रहे हैं। तो अगर हमें डेमोक्रेसी को सकसेस बनाना है तो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर जो है, डेमोक्रेटिक कोड जो है, डेमोक्रेटिक शिक्षा जो है उस किस्म के विचारों को हमें लाना होगा। मैं कबूल करता हूं कि हमारे अन्दर बहुत सी कमियां हैं। अभी हमारा केवल एक स्वप्न पूरा हुआ है कि देश आजाद हुआ है। लेकिन आजादी के बाद जो स्फूर्ति जो उन्नति चारों दिशाओं में जो तरक्की मेल मिलाप और समृद्धि होनी चाहिए वह अभी नहीं है और उसे अभी लाना है। लेकिन उस के लाने के भी कुछ टेकनीक्स हैं कुछ स्टेप्स हैं। वह आप हमें बतायें। महज यह कहने से कि तुम बुरे हो बुराई दूर नहीं हो जायगी। मैं बहुत सी बातों से स्वयं सहमत हूं। कम्यूनलिज्म एक खराब चीज है। लेकिन उसको कहकर हम और आप दूर नहीं कर सकते। वह हमारी और आपकी जड़ों तक पहुंच गया है। उसको हटाने के लिए समूचे तौर से हमको और आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एजूकेशन के स्तर पर पोलिटिकल ढांचे के स्तर पर सभी स्तर पर हमें स्टेप्स लेने होंगे। हमारा पोलिटिकल पैटर्न बहुत सी बीमारियों की जिम्मेदार है। उस पैटर्न पर भी सोचने की जरूरत है।

मैंने काफी समय लिय। अध्यक्ष महोदय, दो शब्द और कहना चाहता हूं। गवर्नर महोदय ने जिन बातों का जिक्र किया था मुझे अफसोस है कि उसका किसी ने जिक्र नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---आप कितना समय और चाहेंगे ?

श्री गोविन्दसहाय---केवल दो मिनट मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मामूली तौर पर एक बजट सेशन में और गवर्नर ऐड्रेस में केवल एक ही फर्क होता है कि गवर्नर ऐड्रेस म जो डिस्कशन है वह गवर्नर की सरकार क्या करना चाहती है उसके प्रोपोजल्स और पालिसीज पर होना चाहिये । (व्यवधान) मैं बता रहा हूं। अगर ऐसा है तो आप सब कुछ कह सकते हैं आप यह भी कह दें कि उसमें कागज भी नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन उन्होंने तीन चार चीजों का जिक्र किया। उन्होंने जिक्र किया कि सरकार कोआपरेटिव ऐक्ट पेश करना चाहती है। आपके लिए मुनासिब था कि आप कोआपरेटिव पर कन्फाइन करते। उन्होंने कहा कि शिक्षा को ओरियेंटेट करके नेशनल इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। आप इस चीज को डेवलप करते। इस तरह से जो बातें गवर्नर महोदय ने कहीं उनको आप बताते कि यह बातें आप नहीं कर पायेंगे । तो इससे हमें एक खूराक मिलती। लेकिन खूराक तो आप दें नहीं और जायका खराब कर दें तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप कहें कि आप बड़े बेईमान हैं और हम कहें कि आप बड़े बेईमान हैं तो लोग यह कहेंगे कि सब बडे बेईमान हैं। इसलिये मेरी आपस प्रार्थना है कि आपकी बड़ी जिम्मेदारी है आप बड़े बाइज्जत लोग हैं हमसे ज्यादा आप में स्फूर्ति है तो हम आपसे यह आशा करते हैं कि इस सदन के अन्दर आप एक अच्छा वातावरण पदा करेंगे ।

एक बात के लिये मैं अवश्य आपको बधाई देता हूं। मैं दो बजे से बैठा हूं और जिस मुस्तैदी के साथ अपोजीशन के लोग यहां बठे रहे उससे यह आशा हुई कि कम से कम आप इस मामले में हम लोगों के मुकाबिले में अधिक मुस्तैद हैं और आगे भी आप अपना काम इसी तरह मुस्तदी से करते रहेंगे। मैं इसके लिए तो आपको बधाई देता हूं और शायद आपकी इस अच्छी बात का हम पर भी असर पड़ें।

श्री श्रीराम (बिजनौर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर हमारे इस हाउस में गवर्नर महोदय का भाषण हुआ उसके सिलसिवे में जो बाते हो रही है उसमें कई बातें थीं। प्रथम बात जो है वह चुनाव के विषय में कही गई। चुनाव के बारे में कल से काफी चर्चा चल रही है यह जो कुछ भी यहां पर कहा जा रहा है विरोधी दल की तरफ से और बहुमत की तरफ से उस विषय में मैं सिर्फ इतना आज कहूंगा कि जैसे तरीके अंग्रेजी राज्य में उस वक्त के लोगों में राज्य कायम रखने के लिये किये थे आज जब बहुमत दल के हाथ से सत्ता है तो उसी तरह के तरीके अख्तियार किये जा रहे हैं। हमारे इसी सूबे के अन्दर अब से १४ साल पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव हुए थे और बीच में हम यह सुनते रहे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में संशोधन हो रहा है १४ साल के बाद जब कि वे चुनाव होने वाले थे उस वक्त एक आर्डिनेन्स बनाकर एक अन्तरिम जिला परिषद् बनाई गई और उस अन्तरिम जिला परिषद् को इतने अधिकार दिये गये यहां तक कि गाड़ी खरीदकर दी गई। वह गाड़ी अन्तरिम जिला परिषद् के चेयरमैन के लिये नहीं दी गई बल्कि वह प्रत्येक जिले में कांग्रेस के चुनाव को जीतने के लिये खरीदकर दी गई। वह आर्डिनेन्स इसी वजह से बनाया गया था। बहुत सारी नौकरियां भी इसी तरह से निकाली गई वादे हुये कि आगामी कांग्रेस के चुनाव जीतने पर तुमको नौकरी दे दी जायगी। हमने अपने जिले में दखा कि जब ये चुनाव आये तो अध्यक्ष अपनी गाड़ी को लेकर तमाम जिले में घूमते रहे और चुनाव का काम करते रहे। जिन लोगों को नौकरी दी गई उन सब से यह वादे हुये कि तुम चुनाव में कम करो। मैंने देखा कि हर निर्वाचन क्षेत्र में अध्यक्ष अपनी गाडी ले जाकर चुनाव का काम करते थे और लोगों पर दबाव डालते थे कि तुम कांग्रेस को वोट दो।

इसके अतिरिक्त यह भी बतलाना चाहता हूं कि यहां पर साम्प्रदायिकता के विषय में कुछ बातें कही गई। यह मानी हुई बात है कि जिन लोगों के हाथ म सत्ता होती है वह हल्के भी अपने तरीके से कटवा लेते हैं। ऐसे ही तरीके के हल्के काटे गये। बिजनौर जिले के अन्दर जो हल्के काटे गये हैं उनमें साम्प्रदायिकता की बू आती है। मैंने देखा मंडावर से जो

[श्री श्रीराम]

हल्का जुड़ा हुआ था किरनपुर उसको नजीबाबाद मे मिला दिया गया । इस तरीके से हल्के बनाए गये । मैंने इसको चुनाव के दिनों में घूम घूमकर देखा है कि जहां पर कांग्रेस वालों ने देखा कि वहां पर उनकी हार होने वाली है तो वहां पर पोलिंग स्टेशन दूर दूर कर दिये गये । ५–६ मील फासले पर दूसरी जगह कर दिये गये । यह सब बातें होने के बाद हम देखते हैं कि कि कांग्रेस का बहुमत उतना नहीं आया है कि जितना कि हम सबको पहले आशा थी । मेरा ख्याल है कि यदि इस तरह का आर्डिनेन्स न बनाया जाता तो आज यह पर और किसी की सरकार होती । इसलिये विरोधीदल जो बात कहते हैं वे सही है और ठीक है । मैं सरकारी कर्मचारियों की बात नहीं कहना चाहता । जैसा कि एक दोस्त ने कहा कि कोई कार्यवाही ऐसी योजनाबद्ध नहीं हुई इस प्रकार की बातें लिखित नहीं की जाती हैं। यह योजना किस तरह से चली है इसको हम सब जानते है । अन्तरिम जिला परिषद् के चयरमैन ने बिजनौर जिले के अन्दर एक स्थान एक व्यक्ति को थप्पड़ मारा कि तुम दूसरे लोगों को वोट क्यों देते हों । इसके साथ-साथ कहीं-कहीं पर मुसलमानपन के नाम पर वोट मांगा गया । कहीं प्रलोभन देकर वोट माँगा गया । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बहुत सी जगहों पर साम्प्रदायिकता के नाम पर लोगों से वोट मांगे गये । बहुत सी जगहों पर जाति के नाम पर वोट मांगे गये ।

राज्यपाल के अभिभाषण में हरिजनों की तरक्की की बात है । मैं हरिजनों के विषय म भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं । १० साल के लिये जो रिजर्वेशन था वह समाप्त हुआ । इसके बाद १० साल के लिये सरकार के द्वारा रिजर्वेशन फिर हो गया । इसका मतलब यह हुआ कि उनकी उन्नति पूरी तरह से नहीं हुई । अभी एक बहुमत के सदस्य बोले थे । उन्होंने कहा कि जातीयता के नाम पर यहां पर बातें नहीं होनी चाहिये । यदि ऐसी बातें थीं तो १० साल के लिये हरिजनों का यह रिजर्वेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं थी । पिछड़े लोगों के लिये भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि सारी दुदियां में चाहे वह हरिजन हों या किसी दूसरी जाति के हों सरकार का फर्ज होता है कि वह उन लोगों की उन्नति के लिये कदम उठावे हरिजनों के लिये काफी रुपया बजट में रखा गया है लेकिन उस रुपये से उतना लाभ नहीं होता जितना होना चाहिये क्योंकि वह उस तरह से व्यय नहीं होता जिस तरह कि होना चाहिये । माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि स्वर्गीय पन्त जी के मरने के कुछ मास पहले यह कहा था कि पंजाब में हरिजनों के लिये जमीन खरीदकर दी गई है और उत्तर प्रदेश में सरकार भी अपनी तरफ से कुछ न कह सकी लेकिन हरिजनों की न शिक्षा में तरक्की हुई, और न अन्य उन्नति हुई और न व्यक्तिगत उन्नति हुई । तहसीलों के लिये चिट्ठी लिखी हुई कि हरिजनों को जमीन दी जाय लेकिन वह बात कागज में ही रह गई । कोई जमीन न पंचायतों न हरिजनों को दी । मेरा अपना यह ख्याल है कि हरिजनों के लिये जितनी बातें शुरू की जाती हैं वे सब अधूरी रह जाती हैं । तराई के इलाक में जितने जंगल थे, हरिजनों के देने की बात थी उसमें न तो जंगल लगाया गया और न वहां पर प्लान्टेशन की स्कीम लागू हुई है । वहां पर स्कीम के अनुसार जंगलों में पेड़ नहीं लगाये गये हैं न वह जमीनें हरिजनों को दी गई ।

आज हरिजनों में इतनी क्षमता है कि वह उन जमीनों को ले सकते, लेकिन वह जमीनें वन विभाग में ले जाई गई हैं और उनके पेड़ काट कर लोग अपने घरों को ले गये हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । जमीन्दार अभी भी उन जमीनों को अपने कब्जे में रखे हुये हैं। जब मैं सदन में नहीं था तो पिछली बार यह प्रश्न सदन में उठा था और उस समय माननीय गोविन्दसहाय जी ने कहा था कि अगर उन्होंने उन जमीनों को अपने कब्जे में कर लिया है तो उससे देश का उत्पादन बढ़ा ही है । अगर हरिजन उस जमीन पर काबिज था तो उसे उस पर से हटाया गया है और हथकड़ी डाल कर जेल भेजा गया लेकिन जमीन्दारों के लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

इसके बाद कोआपरेटिव में गल्ले का बीज बांटने की स्कीम है। उसमें ५,६ महीने पहले बीज दिया जाता है और उस समय उसमें जौ और चना आदि मिला रहता है लेकिन जब किसान से वह वापस लिया जाता है तो उम्दा किस्म का होना चाहिये। इसके अलावा उस पर जो सूद लिया जाता है वह करीब २ या ३ पैसा प्रति रुपया बैठता है। तो ऐसी दशा में मैं सरकार और माननीय अध्यक्ष महोदय आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार को इसके लिये सक्रिय कदम उठाना चाहिये। आज कल हरिजनों को मकान बनाने के लिये सहायता दी जाती है और फिर चुनाव के मौके पर उन से कहा जाता है कि हमने सहायता दी थी इसलिये हमको वोट मिलना चाहिये। यह रवैया ठीक नहीं है। हमारे बिजनौर जिले में कहा गया कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे मकान ढहा दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त हुआ।

माल मंत्री के सभा सचिव, (श्री ब्रजविहारी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्व-प्रथम आपको और जितने सम्मानित सदस्य इस सदन में चुन कर आये हैं उन सब को बधाई देता हूं कि भगवान की तरफ से हमको यह अवसर मिला है कि हम समाज, देश और देश की सेवा कर सकें। विरोधी पक्ष के जितने माननीय सदस्य और नेता चुने गये हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं और विरोधी दल के नेता जो माननीय दुबे जी चुने गये हैं, उनको खासतौर से बधाई देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं। यह दुर्भाग्य है कि वह इस समय यहां मौजूद नहीं हैं।

जो बातें यहां कह गईं हैं उनको मैं बहुत गौर से सुनता रहा। मैंने उन पर विचार भी किया है। मैं देखता हूं कि तीन बातें विशेषतौर पर कही गई हैं विरोधी पक्ष के सदस्यों की तरफ से। क्षमा करेंगे समाजवादी पार्टी के वह सज्जन जिनको विरोधी पार्टी के कहा जाने पर आपत्ति थी। विरोधी पार्टी का नाम लेना कोई बुरी बात नहीं है। यह एक अच्छी बात है, और वह समय आ सकता है कि लोकतन्त्र में, किसी समय विरोधी पार्टी के लोग इधर आकर बैठ जायं। इसी लिये विरोधी पार्टी का आदर किया जाता है और इसमें, मैं समझता हूं नाराजगी की कोई बात नहीं होनी चाहिये।

तीन मुख्य आपत्तियां हैं विरोधी पक्ष को। पहले तो कहा गया कि चुनाव में धांधली की गई है। अधिकरियों ने चुनाव में पक्षपात किया। यह पहला आरोप है जो विरोधी पार्टी की तरफ से किया गया है और जिस पर बहुत जोर दिया था सम्मानित नेता विरोधी दल ने। दूसरी बात मन्त्रिमण्डल के विस्तार के सम्बन्ध में कही गई है और तीसरी बात यह कही गई कि ऐसी व्यवस्था हो गई है, कांग्रेस की हुकूमत में, कि धनी और धनी होता गया है और गरीब ज्यादा गरीब होता गया है। यह मुख्य-मुख्य तीन बातें हैं। एक चौथी बात भी कही है जिसका निष्कर्ष तीसरी बात से निकल आता है और यह है कि कांग्रेस राज्य में कोई प्रगति नहीं हुई।

अभी माननीय गोविन्द सहाय जी ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कुछ बातों पर प्रकाश डाला। इस तरफ से और सदस्यों नें भी कहा है कि और इन आक्षेपों का जवाब दिया है। मैं तो चाहता था कि जन संघ के नेता भी इस समय यहां होते तो अच्छा होता। मैं भी एक उम्मीदवार रहा हूं और मेरे मुकाबले में एक जन संघ के उम्मेदवार थे, यहां हम लोगों ने प्रतीज्ञा की है आपके समक्ष, अध्यक्ष जी कि हम इस सदन में ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करेंगे। मैं आपके द्वारा, क्या माननीय जन संघ के नेता से कह सकता हूं कि वह अपने हृदय पर हाथ रख कर स्वयं प्रश्न करें और उत्तर दें कि क्या जो चुनाव हुये हैं, उसमें उनकी तरफ से ईमानदारी के साथ ही काम हुआ है? उनकी पार्टी के क्या काम रहे हैं, क्या नीति रही है, क्या कार्य-प्रणाली रही है, क्या वे सब ठीक रहे हैं? और पार्टियों को छोड़ दीजिये, मैं जन संघ पार्टी से ही निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी तरफ से जो चुनाव प्रचार का तरीका रहा है और जो बातें कही गई हैं वे सब सत्य थीं? और ठीक थीं? जैसा कि

[श्री बृजबिहारी]

माननीय गोविन्द सहायजी ने कहा, हमें विवाद का एक ऊंचा स्तर रखना चाहिये। मेरा निवेदन है कि आप लोगों को बहुत गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये और ऐसी परम्परायें स्थापित करना चाहिये जो आने वाले विधायकों के लिये भी आदर्श बन सकें। क्या यह सही नहीं है कि चुनाव प्रचार में जन संघ की तरफ से जो बातें कही गईं उसमें लेशमात्र भी सत्यता नहीं थी वह कहावत है—"आत्मनःप्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्" यानी जो बात अपने को बुरी लगे, उसे दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिये। एक सज्जन ने कमीशन बिठाने की बात कही। मैं, माननीय दुबे जी हैं नहीं, उनका नेता उनके दल के हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसी बात की स्वयं इंक्वायरी पहले करा लें कि उनकी तरफ से चुनाव में कितनी अनियमितताएं बरती गई हैं। क्या जनसंघ की तरफ से अनियमितताएं नहीं बरती गई। जो अधिकारीगण यहां नहीं हैं, उनके बारे में चाहे जो कुछ कहा जा सकता है। मैं यह नहीं कहता कि अधिकारियों ने १६ आने निष्पक्ष भाव से काम किया, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि उन्होंने पौने सोलह आने जरूर ईमानदारी के साथ काम किया और पक्षपात नहीं किया। यह बिलकुल सही नहीं है कि कर्मचारियों ने कर्त्तव्य निष्ठा के साथ कार्य किया। ४ दिन के अन्दर इतने बड़े चुनाव का प्रबन्ध करना ऐसा कार्य था जिसके लिये हमें उनको धन्यवाद देना चाहिये था। उनको धन्यवाद देने के बजाय उन पर लाछंन लगाना उनके 'मारेल' को गिराना है। हमें अपनी तरफ पहले देखना चाहिये।

"बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न देखा कोई,
जो दिल खोजा आपना, मुझसे, बुरा न कोई।"

सच्ची बात यह है कि हमको और आपको अपने हृदय पर हाथ रख कर सोचना चाहिये, विचार करना चाहिये कि हमारी क्या नीति रही है, हमारा क्या "ऐक्शन" रहा है, हमारी क्या कार्यप्रणाली रही है। ईश्वर को साक्षी रखकर विचार करने पर सही बात स्वयं स्पष्ट हो जायेगी।

(लाल बत्ती जलने पर)

समय बहुत कम शेष है। हम अन्य बातों को भूल जाते हैं और आलोचना करने लगते हैं अधिकारियों की। मैं चाहूंगा कि मुझे दो मिनट का समय और दे दिया जाय।

मन्त्रिमण्डल के विस्तार के सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं। विरोधी पक्ष के नेता ने सन् १६३७ से आंकड़े दिये और यह दिखलाया कि उस समय मन्त्रिमण्डल कितना छोटा था और व्यय कितना कम हुआ और सन् १६६० तक किस प्रकार मन्त्रिमण्डल तथा व्यय बढ़ता चला गया। मैं बतलाना चाहता हूं कि सन् १६३७–३८ में १२, ६६ लाख के करीब बजट था और सन् १६५०-५१ में वह ५२, २६ लाख हुआ और १६६०–६१ में १,५०,६२ लाख के करीब हुआ। एग्जेक्ट फिगर्स मेरे पास नहीं हैं। तो क्या आप यह कहते हैं कि काम बढ़ा नहीं है। आप देख लीजिये कि जिलों में काम में काफी विस्तार हुआ है बढ़ोत्तरी हुई है। इस सम्बन्ध में गोविन्द सहाय जी ने रोशनी दिया कि आप लोग जितने यहां बैठे हैं वह सब समाजवादी समाज की रचना प्रतिज्ञा ले चुके हैं तो उसके अनुसार कार्य तो करना ही होगा। वह भी एक दलील है। दसरी दलील यह है कि काम इतना बढ़ा है बजट में थोड़ी बहुत बढ़ोत्तरी आवश्यक है, फिर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

***श्री भगवानसहाय** (जिला शाहजहांपुर)—अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, महामना राज्यपाल के सम्बोधन से मुझे असंतोष हुआ। उन्होंने अपनी सरकार की नीतियों का जो जिक्र किया है वह या तो नाकाफी है या उनका कहीं-कहीं जिक्र भी नहीं किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सबसे बड़ी बात जो महामना राज्यपाल ने कही है वह इस बात की शिकायत की है कि उनकी सरकार इस प्रदेश में समाजवादी ढांचे की सरकार बनाना चाहती है। श्रीमन्, सोशलिस्ट पैटर्न आफ स्टेट क्या है, इसके बारे में जब मैं सोचता हूं तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि सोशलिस्ट पैटर्न आफ स्टेट को लाने के लिये सबसे जरूरी बात है कि हर आदमी को बराबर मौका हो इस प्रदेश के अन्दर हर दिशा में उन्नति करने का और पैदावार की तरक्की और उसके साधन वितरण करने के साधन के ऊपर सरकार का पूरा कब्जा हो। इस दृष्टि कोण से जब हम महामना राज्यपाल के सम्बोधन को देखते हैं तो हमको घोर निराशा होती है। श्रीमन, सबसे बड़ा इस ओर डिपार्टमेंट प्लानिंग का है और प्लानिंग में सरकार के वक्तव्यों के हिसाब से ५ बुनियादी बातें हैं। एक तो यह कि जरअत पैदावार को हम ५ प्रतिशत हर साल बढ़ायेंगे। इस ओर जब हम देखते हैं तो हमको घोर निराशा होती है। खेती में पैदावार बढ़ नहीं रही है और कुछ थोड़ी बहुत बढ़ी भी है तो जो सरकारी टार्जेट है उनकी कहीं भी पूर्ति दूर तक नहीं दिखाई देती। एक बात यह है कि समाज के विभिन्न अंगो की आय में जो असमानता है उसको हमें बराबर लाना है। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो मालूम होता है कि यह असमानता कम नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ती जाती है। अगर सरकारी आंकड़े देखते हैं तो मालूम होता है कि इस देश की राष्ट्रीय आय बढ़ी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम कम हुई है। फिर यह दौलत कहां गई? कुछ बड़े-बड़े पूंजीपतियों के घरानों में वह दौलत चली गई और समान वितरण नहीं हो सका।

जहांतक इम्पलायमेंट बढ़ाने की बात थी उस दिशा में जब हम देखते हैं तो उसमें भी निराशा होती है। हमारी संख्या के हिसाब से इम्पलायमेंट कम होता जा रहा है। बहुत बड़ी आबादी अन-इम्पलायड पड़ी हुई है। बदकिस्मती की बात है कि माननीय गोविन्द सहाय जी इस समय यहां नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि हम कोई ऐसा सुझाव चाहते हैं जिससे मालूम हो कि हमने सोशलाइजेशन की तरफ कौन सा कदम नहीं उठाया तो उसके लिये सब से बड़ी और बुनियादी बात यह है कि सत्ता का ट्रांसफर ब्यूरोक्रेसी से निकलकर जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों के हाथ में आये हैं। आज जब हम जिलों में देखते हैं तो सत्ता डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में है, अन्तरिम जिला परिषद् के हाथ में नहीं है। नगरपालिकाओं के हाथ में सत्ता नहीं है, बिल्क सिटी मैजिस्ट्रेट या ऐसे ही किसी दूसरे कर्मचारी के हाथ में सत्ता है। तो इस बुनियादी बात की तरफ कि नौकरशाही से निकलकर सत्ता जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों के हाथ में आये, कोई कदम नहीं उठाया गया है, बल्कि दिन व दिन नौकरशाही ताकतवर होती जा रही है। गोविन्द सहाय जी ने यह भी कहा कि हमने जो भी समाजवादी ढंग की चीजें हैं उनको लिया है, बड़े-बड़े चुनाव करा दिये तो मैं कहना चाहता हूं कि उन्हीं की सरकार के जमाने में अन्तरिम जिला परिषदों का चुनाव १४-१५ वर्ष तक नहीं कराया गया। और मैं यह पेशीनगोई करता हूं कि नगरपालिकाओं के चुनाव को भी सरकार कोई न कोई बहाना निकाल कर टालेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने चुनाव में कोई भाग नहीं लिया और चुनाव बड़े निष्पक्ष रहे। ऐसी बात नहीं है। सरकारी संकेत पर सरकारी कर्मचारियों ने, सरकारी मशीनरी ने चुनाव में हस्तक्षेप किया। मिसाल के तौर पर गोंडा या प्रतापगढ़ दूर जाने की आवश्कता नहीं है, बल्कि यहीं पर कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड का दफ्तर एक सरकारी इमारत में है, सिर्फ पांच कदम के फासले पर है। क्या यह सरकारी इमारत का दुरुपयोग नहीं है? इस इमारत का एलाटमेंट एक दूसरे आदमी के नाम से करना और खुल्लम खुल्ला पार्लियामेंटरी दफ्तर रखना क्या यह दुरुपयोग नहीं है? आप सारी चिट्ठी-पत्रियों में देख सकते हैं कि फलाने नम्बर का बंगला है और फलाने नम्बर का टेलीफोन है और क्या यह सही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के चुनाव के नतीजे की खबर वायरलेस से भेजी गई और सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल किया गया? क्या कोई जिम्मेदार मेम्बर ट्रेजरी बेंचेज की तरफ स इस बात का खंडन कर सकता है? तो यह कहना कि सरकार

[श्री भगवानसहाय]

ने इलेक्शन निष्पक्षता से कराये हैं, यह बात ठीक नहीं है। हां, कुछ स्थानों पर निष्पक्षता से चुनाव हुआ, लेकिन वह उन्हीं स्थानों पर हुआ जहां की नौकरशाही मजबूत थी और उसने उसका हुक्म मानने से इंकार कर दिया, लेकिन वहां की नौकरशाही कमजोर थी वहां उसने सरकार का दबाव माना। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने घोर खेद को प्रकट करता हूं।

श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, मैं पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि कल से हम जिन प्रयत्न में थे, हमको आपने बोलने की आज्ञा दी। हमें एक सौभाग्य और प्राप्त हुआ था जब कि अलीपुर सेंट्रल जेल में हम आपके साथ थे। उस समय भी १ अप्रेल सन् १६३३ को जेल के अन्दर एक मीटिंग हुई थी, उसको भी आपने ही प्रीसाइड किया था। सौभाग्य से आज भी सभा के आप सभापति हैं, इसलिये मुझे आज वह बात याद आ रही है। आज भी आपने हमें १० मिनट बोलने का वरदान दिया है इसलिय मैं आपका आभारी हूं।

मैं कल से यहां पर जितनी बातें सुन रहा हूं, अगर उन सब पर मैं पूर्ण रूप से जाना चाहूं तो न तो आप ही मुझे उतनी आज्ञा दें सकेंगे और न यह सदन ही उसको बरदाश्त कर सकेगा। मैं आपके जरिये इस सदन से यह प्रार्थना करना चाहुंगा कि एक बात जो चुनाव के बारे में बड़े जोरों से कही गई। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे जरा गोंडा चलें और निष्पक्ष नहीं पक्षपातपूर्वक ही वे वहां देखें तो आपको मालूम होगा कि जिला अन्तरिम परिषद् के इलेक्शन में ८ बजे थे, जिलाधीश की घड़ी की सुई पिछाड़ी जा रही थी और जब कि हमारी पार्टी के लोगों को खारिज किया जा रहा था, लेकिन दूसरी पार्टी के दो आदमियों को उसमें बढ़ाया जा रहा था। मैं पूछ रहा था कि जिलाधीश महोदय, यह क्या इंसाफ किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि इंसाफ तो हमारे हाथ से किसी ने ले लिया है। कुछ भाइयों ने कहा कि अधिकारियों की तारीफ करनी चाहिये। हां, उनकी तारीफ करनी चाहिये कि जिस प्रकार हुक्म की पाबन्दी उन्होंने इस राज्य में की उस प्रकार की पाबन्दी अंग्रेजी राज्य में भी बड़े मुश्किल से पाई जाती थी।

इलेक्शन से एक माह पेश्तर वहां क्या-क्या हुआ? हमारे पूज्य पंडित जी ने दर दर फिर कर अफसरों को इंगित किया कि हमारे अफसर यहां क्या कर रहे हैं। अफसर लोग रात दिन दौड़े, पी० ए० सी० घूमी, डी० आई० जी०, आई० जी० डिप्टी कमिश्नर, एस० डी० ओ० इन सब लोगों ने रात दिन एक कर दिया। एस० डी० ओ० ने तो कहा कि एक डेढ़ महीने से हैड क्वार्टर को नहीं देखा। दरवाजे-दरवाजे घूम कर क्या नहीं हुआ। कानपुर की गंगा गोंडा में बहाई गई। लखनऊ की गोमती का इशारा गोंडा की तरफ गया, क्या नहीं हुआ? मैं यह प्रार्थना करूंगा कि चाहे पक्षपातपूर्ण चाहे, निष्पक्षतापूर्ण, अगर कोई भी जाकर इस चीज को दरियाफ्त करे कि वहां क्या हुआ, तो मालूम हो जायगा कि शाम को क्या रहा, और सुबह क्या हो गया। इस चीज को मद्देनजर रखते हुये आप ख्याल करें। हां, यह बात जरूर है कि अधिकारियों का कोई कसूर नहीं है। वह तो ऊपर से हुक्म हुआ और रातोंरात मोटरों द्वारा वहां पहुंचे और रात में ही सारी करामात कर दी गई। य सारी चीजें सामने आवेंगी, यह छिप कर रहने वाली बात नहीं है।

जहां तक चुनाव की मिसाल है इसका जीता जागता नमूना गोंडा पहुंच कर ही कोई देखना चाहे तो देख सकता है। हमारे कुछ साथियों ने समाजवादी ढांचे का जिक्र किया है। इस समाजवादी ढांचे के मुताल्लिक तो हम लोग गांव वाले ही शिकार हैं। जब पिछला जिला परिषद् बिल पेश था उस वक्त जब गांव वालों पर ६०० रुपये वार्षिक आय पर टैक्स लगाने की बात हो रही थी तो हम लोग एतराज कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसे नहीं माना गया। देहात वालों के ऊपर तो ५० रुपये की माहवार आमदनी महीने पर ही टैक्स लगाया जाय और शहर वालों की साढ़े तीन हजार रुपये तक की सालाना आय पर छूट रहे, यह कहां

का समाजवादी ढांचा है ? देहात में तो एक हलवाहा जो किसी के घर काम करता है वह भी २५ रुपये महीने की आमदनी कर लेता है और अगर वह दो भाई हैं उसे किसी के घर स २५–२५ रुपया भी मिलता है तो भी उसे टैक्स देना पड़ेगा ।

यही नहीं आप सब लोग जानते हैं कि गांव में रहने वालों के लिये साढ़े १२ एकड़ जमीन की सीलिंग मुकर्रर है। उसकी बाबत मैंने उस वक्त जिक्र किया था कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक्स विभाग ने ७० रुपया फी एकड़ पर ईयर इनकम आंका है। तो उस हिसाब से १२ एकड़ में करीब ८४० रुपया होता है एक परिवार के लिये और एक परिवार में ५ आदमी माने जाते हैं तथा उस आमदनी को ५ आदमियों में बटवारा किया जाय तो १६८ रुपये एक आदमी के ऊपर पड़ता है और फिर अगर उसको १२ से तकसीम करें तो वह १४ रुपये माहवार पड़ता है। जो गांव में बसते हैं और जिनको हम और आप मालिक और राजा कह कर उनको वोट लेकर यहां आये हैं उनकी आमदनी तो १४ रुपये माहवार हो और जो वहां ग्राम सेवक हैं उसे ११० रुपये या १२५ रुपये तनख्वाह मिलती है । जरा यह सोचने की बात है कि मालिक की आमदनी तो १४ रुपये हो और सेवक की आमदनी ११० या १२५ रुपये हो, या किस तरह का विरोधाभास है। क्या आप सोचते हैं कि वह मालिक जिसकी आय १४ रुपये माहवार है वह अपने लड़के को ऊंची शिक्षा दिला सकता है अगर यह बात नहीं है तो जिसके पास ज्यादा पैसा है वही ऊंचा शिक्षा दिला सकता है और यही नहीं बल्कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वही न्याय हासिल कर सकता है। क्या यही समाजवादी ढांचा है जिस क पास पसा नहीं है, जिसके पास एक दमड़ी का ठिकाना नहीं है, क्या वह भी अपने लड़के को लखनऊ के अन्दर पढ़ा सकता है?

उसी जिला परिषद् बिल में गांवों के लिये कहा गया था कि कम से कम जिला परिषदे को अधिकार दिया जाय कि वह भी अपने यहां हाई स्कूल खोल सकें, लेकिन वह मंजूर नहीं किया गया, जैसे गांव वालों के लिये हाई स्कूल की आवश्यकता ही नहीं है। जिला परिषदों को इतना तक अख्तियार नहीं है कि वे गांवों में भी हाई स्कूल खोल सकें। क्या उनके बच्चों के लिये ७–८ वें क्लास या मिडल पास कर लेना ही काफी है ? और क्या यही समाजवादी ढांचा है? यही नहीं, बल्कि यहां तक कहा गया है कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं, वह गरीब होते जा रहे हैं। नमूना साफ है। हमारे जेल मन्त्री जी इस समय मौजूद नहीं हैं, जब वे हमारे जिले में गये थे तो हमने जिक्र किया था इस बात का कि आज गांव में इस विकास योजना में किसका विकास हो रहा है? जिसके पास पैसा है उसका। कहा जाता है कि आपको अगर कुयें की जरूरत है तो लाओ ५० रुपये तो हम भी तुम्हें ५० रुपये देंगे, जिस के पास ५० रुपये हैं वह आप से ५० पा सकता है, जिसके पास हजार हैं वह हजार पा सकता है अगर किसी मिल मालिक के पास एक लाख हैं तो वह एक लाख पा सकता है लेकिन जिस के पास एक दमड़ी का ठिकाना नहीं है क्या उसको भी कुछ मिल सकता है? क्या आपकी योजना में इसका भी कोई जिक्र है? क्या आपका यही समाजवादी ढांचा है, इसी से आप समाजवादी समाज बनायेंगे? ऐसे समाज के निर्माण की भूरि-भूर प्रशंसा की जाय तो बहुत थोड़ी है....

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२९ मार्च, १९६२।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २९ एल० ए०—१९६२—८४५।